द्वितीय माला, खण्ड ५४—अंक ४८

बुधवार, १९ अप्रैल, १९६१
२९ चैत्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

(खण्ड ५४ में अंक ४१ से अंक ५० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची

द्वितीय माला खण्ड ५४—अंक ४१ से ५०—११ से २१ अप्रैल, १९६१/२१ चैत्र से १ वैशाख १८८३ (शक)

पृष्ठ

अंक ४१—मंगलवार, ११ अप्रैल, १९६१/२१ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३३ से १४३६, १४३८ से १४४१, १४४४ से १४४७ और १४५१ से १४५४ . . ४८३५–६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३७, १४४२, १४४३, १४४८, १४४९ और १४५५ से १४५८ . ४८६२–६८

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०३६ से ३०७१ . . . ४८६८–८३

नागा विद्रोहियों द्वारा भारतीय वायुसेना के कर्मचारियों को पकड़ लेने के बारे में सभा पटल पर रखे गये पत्र . ४८८३–८४

४८८४

प्राक्कलन समिति—

एक सौ पचीसवा प्रतिवेदन . . ४८८४

वित्त विधेयक, १९६१, के बारे में याचिका . ४८८४

अनुदानों की मांगें ४८८५–४९२३

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . ४८८५–९४

प्रतिरक्षा मंत्रालय . ४८९५–४९२३

कृषि आयोग के बारे में आधे घंटे की चर्चा ४९२३–२६

दैनिक संक्षेपिका ४९२७–३०

अंक ४२—बुधवार, १२ अप्रैल, १९६१/२२ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १४५९ से १४६२, १४६५ से १४७६ १४७० से १४७७ . . . . . ४९३१–५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६३, १४६४, १४६८, १४६९ और १४७८ से १४८१ . . ४९५५–५८

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०७२ से ३१४४ और ३१४६ से ३२१७ ४९५८–५०२६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––

एस० एस० दारा जहाज में आग . ५०२७–२८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ५०२८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––

ब्यासीवां प्रतिवेदन ५०२८

प्राक्कलन समिति––

एकसौ सत्ताइसवां तथा एक सौ इकतीसवां प्रतिवेदन ५०२९

अनुदानों की मांगें ५०२९–६९

प्रतिरक्षा मंत्रालय ५०२९–५९

सामुदायिक विकास तथा सहकार-मंत्रालय . ५०५९–६९

उड़ीसा-भूमि सुधार अधिनियम के बारे में आधे घंटे की चर्चा ५०७०–७१

दैनिक संक्षेपिका ५०७२–७८

अंक ४३––गुरुवार, १३ अप्रैल, १९६१ /२३ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ––

तारांकित प्रश्न संख्या १४८२ से १४९०, १४९२ और १४९४ . ५०७९–५१०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १४९१, १४९३, और १४९५ से १५१८ ५१०२–१४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२१८ से ३२९३ . ५११४–४६

दिनांक ९-३-६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९२२ में शुद्धि

निधन संबंधी उल्लेख . ५१४६–४७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––

कोलार की राष्ट्रीयकृत सोने की खानों के बंद हो जाने की संभावना ५१४७–४८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ५१४८–४९

प्राक्कलन समिति––

एक सौ उन्तीसवां और एक सौ बत्तीसवां प्रतिवेदन . . ५१४९–५००

पृष्ठ

समिति के लिए निर्वाचन--

विश्व-भारती . . ५०१०

अनुदानों की मांगें ५१५०–९४

सामदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय ५१५०–९४

कार्य मंत्रणा समिति . ५१९५

त्रेसठवां प्रतिवेदन . ५१९६–५२०२

दैनिक संक्षेपिका

अंक ४४—गुरुवार, १४ अप्रैल, १९६१/२४ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५१९, १५२१ से १५२५, १५२८, १५३० से १५३५ और १५३७ ५२०३–२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १५२०, १५२६, १५२७, १५२९, १५३६ और १५३८ से १५५२ ५२२९–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२९४ से ३३४५ . ५२३७–५८

स्थगन प्रस्ताव—

१३ अप्रैल, १९६१ को दिल्ली में बिजली की व्यवस्था का भंग हो जाना । ५२५८–५९

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५२५९–६०

प्राक्कलन समिति--

एक सौ चौथा और एक सौ अठारहवां प्रतिवेदन ५२६०

कार्य मंत्रणा समिति--

त्रैसठवां प्रतिवेदन ५२६१

अनुदानों की मांगें ५२६१–७७

इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

व्यासीवां प्रतिवेदन . . . ५२७८

कोयला खानों के राष्ट्रीकरण के बारे में संकल्प--अस्वीकृत . ५२७८–८६

धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म स्वीकार करने वालों के बारे में संकल्प . ५२८६–९४

दैनिक संक्षेपिका . ५२५९–५३००

पृष्ठ

अंक ४५—शनिवार, १५ अप्रैल, १९६१ / २५ चैत्र, १८८३ (शक)

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ५३०१–०२

सभा का कार्य . ५३०२–०३

अनुदानों की मांगें . ५३०३–६३

इस्पात खान और ईंधन मंत्रालय ५३०३–४५

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . . ५३४५–६३

पूर्वोत्तर रेलवे पर खतरे की जंजीरों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ५३६३–६९

दैनिक संक्षेपिका ५३७०–७१

अंक ४६—सोमवार, १७ अप्रैल, १९६१ / २७ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५५३ से १५५५, १५५८, १५५९, १५६२ से १५६७, १५६९, १५७०, और १५७२ से १५७५ ५३७३–९८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५५६, १५५७, १५६०, १५६१, १५६८, १५७१ और १५७६ ५३९९–५४०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३४६ से ३४१६ और ३४१८ से ३४२० ५४०२–३६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५४३७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ५४३७

प्राक्कलन समिति

एक-सौ-चौतीसवां प्रतिवेदन ५४३७

अनुदानों की मांगें

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . ५४३८–९१

केरल राज्य में नारियल की फसल को क्षति के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ५४९१–९३

दैनिक संक्षेपिका ५४९४–९८

अंक ४७—मंगलवार, १८ अप्रैल, १९६१ / २८ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५७७ से १५८०, १५८२, से १५८५, १५८७ से १५८९, १५९१, १५९३ से १५९५ और १५९९ से १६०२ ५४९९–५५२५

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १५८१, १५८६, १५९०, १५९२, १५९६ से १५९८ और १६०३ से १६१० . . . ५९१५–३१

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४२१ से ३४९१, ३४९३ से ३५०२ और ३५०४ से ३५१३ ५५३१–७२

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . ५५७१

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५५७१–७२

अनुदानों की मांगें . . . ५५७२–५६२४

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . ५५७२–८५

वित्त मंत्रालय ५५८५–५६२४

डिग्री कालेजों के अध्यापकों के वेतन क्रमों के बारे में आधे घंटे की चर्चा ५६२४–२७

दैनिक संक्षेपिका . . . ५६२८–३३

अंक ४८—बुधवार, १९ अप्रैल, १९६१ / २९ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्य १६११ से १६१५, १६१८, १६२०, १६२१ और १६२३ से १६२९ . ५६३५–५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६१६, १६१७, १६१९, १६२२ और १६३० से १६३५ . . . . . ५६५९–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५१४ से ३५२३, ३५२५ से ३५५८ और और ३५६० से ३५७१ . ५६६४–९१

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ५६९२

राष्ट्रपति से सन्देश . . . ५६९२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

तिरासीवां प्रतिवेदन ५६९२

अनुदानों की मांगें ५६९३–५७३०

वित्त मंत्रालय ५६९३–५७२७

अणु-शक्ति-विभाग . ५७२८

संसद् कार्य विभाग . . ५७२८–३०

विनियोग (संख्या २) विधेयक--पुरस्थापित ५७३०

वित्त विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . ५७३०–३३

दैनिक संक्षेपिका . . . ५७३४–३८

अंक ४६—गुरुवार, २० अप्रैल, १९६१ /३० चैत्र, १८८३ (शक)

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६३६ से १६४०, १६४२ से १६४६ और १६४९ से १६५४ . ५७३९—६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६४१, १६४७, १६४८, १६५५ और १६५६ . . . . . ५७६३—६६

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५७२ से ३६३८ . . ५७६६—९३

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . . ५७९३—९४

विशेषाधिकार का प्रश्न . . . . . ५७९४—९५

स्थगन प्रस्ताव—

प्रोटावा में भारतीय उच्च आयोग के प्रथम सचिव की गोली लगने से मृत्यु . . . . . ५७९५—९६

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर सिलीगुडी के निकट रेलवे दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

श्री शाहनवाज खां . . . . . ५७९६—९७

विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६१—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ५७९७—९८

खण्ड २, ३ और १ . ५७९८

पारित करने का प्रस्ताव ५७९८

वित्त विधेयक—

विचार कर ने का प्रस्ताव . . . ५७९९—५८३२

सभा का कार्य . ५८३२

दैनिक संक्षेपिका . . . ५८३३—३७

अंक ५०—शुक्रवार, २१ अप्रैल, १९६१ /१ बैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६५७ से १६५९, १६६१ से १६७५ और १६७५—क . ५८३९—६९

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६० और १६७६ से १६८३ . ५८६६—७२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३६, से ३७०१ ३७०३ से ३७२५ ५८७२—५६०५

स्थगन प्रस्ताव

बेला रोड पर डेरी किशनचंद में आग लग जाना . . ५६०५—०७

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य—

क्यूबा की स्थिति . . . . ५६०७—०६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ५६०६—११

वित्त विधेयक, १६६१—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ५६११—६१

दैनिक संक्षेपिका . . ५६६२—६७

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GMGIPND—LS III—543 (Ai) LS—23-6-31—126

लोक-सभा

[बुधवार, १९ अप्रैल, १९६१
२९ चैत्र, १८८३ (शक)]

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सिक्किम की रक्षा

+

†*१६११. श्री आसर :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री हेम राज :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिक्किम सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें सिक्किम की रक्षा के लिए एक पृथक सहायक सेना बनाने की अनुमति दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका) : (क) सिक्किम सरकार ने सुझाव दिया है कि सिक्किम की प्रतिरक्षा के लिए सिक्किम मिलिशिया के निर्माण द्वारा उनका सहयोग लिया जाये ।

(ख) इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

†श्री आसर : क्या मैं जान सकता हूं कि यह निश्चय कब किया जायेगा ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : जब इस पर पूरी तरह से विचार हो जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या इस मिलिशिया की कमान भारतीय पदाधिकारियों के हाथ में होगी ? इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** इस समय तो सिक्किम मिलिशिया का कोई अस्तित्व ही नहीं है । यदि प्रश्न यही हो कि इसकी कमान कौन करेगा तो स्पष्टतः इसका नेतृत्व भारतीय प्रशिक्षित पदाधिकारी हो सकता है । और कौन हो सकता है ? मेरा ख्याल है कि सिक्किम में कोई प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति नहीं है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या सिक्किम में इस समय प्रतिरक्षा के पर्याप्त प्रबन्ध हैं ?

†**श्री जवाहर लाल नेहरू :** हम समझते हैं कि पर्याप्त प्रबन्ध है ।

श्री ब्रजराज सिंह : इस सहायक-सेना की आवश्यकता क्यों अनुभव की जा रही है जब कि सिक्किम की प्रतिरक्षा की जिम्मेवारी सीधे भारत सरकार पर है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यह मिलिशिया अथवा होम गार्ड, जिसका सुझाव दिया गया है, वैसे ही हैं जैसे कि भारत के अन्य भागों में हैं । इनका स्तर सेना के समान नहीं होता । सुझाव दिया गया है, अतः हम इस पर विचार कर रहे हैं । यह सेना का स्थान नहीं ले सकती ।

†**श्री हम बरुआ :** क्या सिक्किम द्वारा अपनी एक पृथक मिलिशिया कायम करने का एक कारण यह है कि चीन ने सिक्किम और भूटान के हिमाचल राज्यों के भारत के साथ विशेष सम्बन्धों को मानने से इन्कार कर दिया है और सिक्किम सरकार किसी आपात स्थिति का सामना करने के लिये यह मिलिशिया बनाना चाहती है ?

†**श्री जवाहर लाल नेहरू :** मैं ऐसा नहीं समझता । इसका इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह तो केवल एक प्रस्थापना है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं जानना चाहता हूं कि सिक्किम की तरह भूटान सरकार ने भी भारत सरकार से अपनी सुरक्षा के लिए कुछ अनुरोध किया था, यदि हां, तो भारत सरकार ने भूटान की सुरक्षा के सम्बन्ध में भी कुछ विशेष व्यवस्था की है ?

†**श्री जवाहर लाल नेहरू :** अनुरोध करने का प्रश्न तो नहीं है क्योंकि यह तो जानी हुई बात है कि और सब लोग इस को स्वीकार करते हैं कि भूटान की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है ।

†**श्री त्यागी :** सिक्किम की रक्षा का दायित्व भारत सरकार पर है और यह मिलिशिया जिसका सुझाव दिया गया है, सिक्किम की रक्षा के विचार से बनायी जा रही है । अतः यदि इस मिलिशिया को भारतीय सेना से स्वतंत्र रहने की अनुमति दे दी गयी तो सिक्किम की प्रतिरक्षा के लिये दो सेनायें हो जायेंगी । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या प्रधान मंत्री यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि इस मिलिशिया को बनाया गया तो यह भारतीय सेना के नियंत्रणाधीन होगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यह तो स्पष्ट है । इस मिलिशिया का संगठन, नेतृत्व तथा नियंत्रण हमारी सेना के लोगों के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता ; यदि इस मिलिशिया को बनाने का निर्णय किया गया । किन्तु अभी तक तो हम ने इस बारे में कोई निश्चय नहीं किया । जैसा कि मैं ने पहले बताया है, यह एक प्रकार के होम-गार्डस् होंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : किन्तु इसका उद्देश्य तो सिक्किम की रक्षा है। यदि इसका उद्देश्य कुछ और हो, तब तो बात समझ में आती है किन्तु यह तो सिक्किम की प्रतिरक्षा के लिए है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : प्रश्न मैं ने नहीं बनाया। मुझे तो केवल प्रश्न का उत्तर देना है। यह मुझे प्रश्न पूछना होता तो मैं 'मिलिशिया' शब्द का प्रयोग करता। मैं इतने शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता।

†**श्री विश्वनाथ राय** : क्या सिक्किम की प्रस्तावित मिलिशिया का भारत की सहायक (आक्सिलरी) सेना से कोई सम्बन्ध होगा?

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : माननीय सदस्य किस सहायक सेना का उल्लेख कर रहे हैं?

†**अध्यक्ष महोदय** : उनका ख्याल है कि यहां पर कोई सहायक सेना है।

पाकिस्तान में भारतीय पावन-स्थान

†* १६१२. **श्री अजित सिंह सरहदी** : **क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान में रह गये पावन-स्थानों की पवित्रता को कायम रखने और उनकी सम्पत्ति की रक्षा करने के लिये मार्गोपायों का विचार करने के बारे में मई, १९५५ के समझौते में निर्दिष्ट भारत और पाकिस्तान की संयुक्त समिति की बैठक आयोजित करने के बारे में कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि इस बारे में कोई प्रगति नहीं हुई है तो इस सिलसिले में क्या कदम उठाने का विचार है?

†**वैदेशिक-कार्य-मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) १९५५ के समझौते के अनुसार भारत-पाकिस्तान संयुक्त समिति की पहली बैठक २४ और २५ जनवरी १९५८ को कराची में हुई। पाकिस्तान सरकार ने नई दिल्ली में दूसरी बैठक बुलाने के हमारे आमंत्रण का अभी तक जवाब नहीं दिया है।

(ख) कराची में हमारे कार्यवाहक उच्चायुक्त पाकिस्तान सरकार पर इस बारे में शीघ्र निश्चय करने के लिये बल दे रहे हैं।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : पहली बैठक में किन विषयों पर चर्चा की गयी थी और पाकिस्तान को बैठक बुलाने के लिये आखिरी बार कब कहा गया था?

†**श्री सादत अली खां** : पहली बैठक जनवरी, १९५८ में हुई थी और उस बैठक में कुछ अस्थायी निश्चय किये गये थे किन्तु इसके पश्चात् दूसरी बैठक नहीं हुई।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : मैंने तो यह पूछा था कि पहली बैठक में किन विषयों पर चर्चा की गयी थी और दूसरी बैठक के लिये पाकिस्तान से आखिरी बार कब कहा गया था?

†**श्री सादत अली खां** : कुछ महत्वपूर्ण पावन-स्थानों के बारे में, जिनके परिरक्षण और संधारण का उत्तरदायित्व सम्बन्धित सरकार पर डाला जाना चाहिये था, कुछ अस्थायी निश्चय किये गये थे। यह निश्चय किया गया था कि प्रत्येक देश में उन की संख्या २०० तक सीमित

---

†मूल अंग्रेजी में

रखनी चाहिये । पावन-स्थानों की सूचियों के पुनरीक्षण के समय इस में परिवर्तन किया जा सकता है और दूसरे देश के उन स्थानों की, जिन्हें उस देश की सरकार का विशेष देख रेख में रखा जाना हो, सूचियों को अन्तिम रूप से तैयार करने का दायित्व प्रत्येक देश का होगा । हम ने पाकिस्तान की सरकार को जनवरी १९६१ में आखिरी बार कहा था ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार को भारत में मुसलमानों के पावन-स्थानों के बारे में पाकिस्तान सरकार से कोई सन्देश प्राप्त हुआ है, और यदि हां, तो यह सन्देश कब मिला था ?

†**श्री सादत अली खां** : इस सारे विषय पर यहां चर्चा होने की संभावना है । मुसलमानों के पावन-स्थानों के बारे में हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई ।

†**श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या दोनों देशों में कोई ऐसा भी समझौता हुआ था कि दोनों देशों की ओर से कुछ इस प्रकार के पवित्र स्थानों की सूचियां प्रस्तुत की जायें, यदि हां, तो भारत की ओर से कितने स्थानों की सूची प्रस्तुत की गई और पाकिस्तान की ओर से कितने स्थानों की सूची पेश की गई ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जी हां यह सवाल तो बरसों से चल रहा है । जब मैं सन् १९५३ में कराची गया था यानी आठ बरस हुए जब मैं वहां गया था तो यह निश्चय हुआ था दोनों गवर्नमेंट्स में कि ऐसे पवित्र मुकामों की ठीक देखभाल हो और जो लोग वहां आना जाना चाहें उन को आसानियां हों, सहूलियतें हों । साथ ही इस पर विचार किया जाय कि जो जायदाद उनके साथ है, उसकी निसबत क्या किया जाय ज्वायंट कमिशंस मुकर्रर किये जायें जो दोनों गवर्नमेंट्स को इन बातों पर विचार करने की सिफारिशें पेश करें । उसके बाद कान्फ्रेंसिस वगैरह हुई और उन में असूलन तो कोई ना-इत्तिफाकी नहीं है । इसमें निश्चय हुआ कि जो खास खास श्राइन्ज हैं, उन की फहरिस्तें बनें । हमारी तरफ से जो फहरिस्त बनी थी और पाकिस्तान को पेश की गई थी वह शायद दो सौ के करीब स्थानों की थी । सिद्धान्त में कोई फर्क नहीं है, कोई दो राय नहीं हैं । लेकिन अमली रूप जब दिया जाता है तो कठिनाइयां पेश हो जाती हैं ।

सीमेंट मजूरी बोर्ड

†*१६१३. { **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री पांगरकर :
श्री तंगामणि :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २२ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सीमेंट कारखानों के मालिकों ने सीमेंट मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को इस बीच क्रियान्वित कर दिया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : १७ सीमेंट कारखानों (११ ने पूर्णतः और ६ ने अंशतः) ने सिफारिशों को क्रियान्वित किया है । शेष कारखाने इस बारे में आवश्यक कदम उठा रहे हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इस से पहले एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने यह बताया था कि ३२ सीमेंट कारखानों में से १७ कारखानों ने इन सिफारिशों को पूर्णतः अथवा अंशतः क्रियान्वित कर दिया है। क्या मैं जान सकता हूं कि अन्य १५ कारखानों ने इन सिफारिशों को क्रियान्वित क्यों नहीं किया ?

†**श्री आबिद अली** : कुछ मामलों में मालिकों और कर्मचारियों के बीच समायोजन सम्बन्धी बातचीत चल रही है और ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। आशा है कि शीघ्र ही सभी सीमेंट कारखानों द्वारा इन सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया जायगा ।

†**श्री तंगामणि** : पहले एक बार हमें बताया गया था कि ए० स० सी० ने, जिनका सीमेंट का उत्पादन देश के सीमेंट के कुल उत्पादन का ५० प्रतिशत है, अभी तक इन सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया। क्या मैं जान सकता हूं कि ए० सी० सी० के साथ चल रही बात चीत किस प्रक्रम पर है ?

†**श्री आबिद अली** : ए० सी० सी० के कुछ कारखानों में इन सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा चुका है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या डालमिया नगर में स्थित सीमेंट कारखाने ने इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने से इन्कार कर दिया है और यदि हां, तो सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**श्री आबिद अली** : बिहार में स्थित ७ कारखानों ने इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिय कार्यवाही की है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इससे पहले एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या सरकार का विचार एक अन्तिम तिथि निर्धारित करने का है ? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस बारे में कोई अन्तिम तिथि निश्चित की गयी है और यदि हां, तो कौन सी तिथि निश्चित की गयी है और इसके पश्चात् सरकार का क्या रवैया होगा ?

†**श्री आबिद अली** : हम चाहते हैं कि इन सिफारिशों को शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित किया जाय। इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने में बहुत समय बीत चुका है। इन्हें बहुत पहले ही कार्यान्वित किया जाना चाहिये था। इसलिये अन्तिम तिथि निश्चित करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : कपड़ा उद्योग के बारे में क्या कार्यवाही की जायगी ? माननीय मंत्री महोदय ने बताया था कि क्रियान्विति के लिये विधान पेश किया जायगा। क्या सीमेंट उद्योग के सिलसिले में भी इस प्रकार का विधान पेश किया जायगा ?

†**श्री आबिद अली** : अभी नहीं। हमारा विचार है कि हम बिना विधान प्रस्तुत किये ही अपना काम निकालें और हमें आशा है कि सिफारिशों को क्रियान्वित किया जायगा। किन्तु यदि आवश्यकता पड़ी तो हम विधान भी पेश करेंगे ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या मैं जान सकता हूं कि सीमेंट कारखानों को इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने में क्या कठिनाई है, जब कि उन सीमेंट कारखानों को जो उन्हें क्रियान्वित करते हैं, सीमेंट के प्रति-धारण मूल्यों में वृद्धि करने की अनुमति दी गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री आबिद अली : २७ कारखानों को प्रति-धारण मूल्य में वृद्धि करने की अनुमति दे दी गयी है। उन्हें यह चेतावनी दे दी गयी है कि यदि उन्होंने सिफारिशों को क्रियान्वित न किया तो उन्हें दी गयी रियायत वापस ले ली जायेगी।

†श्री तंगामणि: क्या यह सच नहीं कि मद्रास, कोयम्बतूर और मदुरा जैसे कुछ स्थानों में जीवन निर्वाह-व्यय देशनांक अखिल भारतीय जीवन-निर्वाह-व्यय देशनांक से अधिक है ?

†श्री आबिद अली : कुछ एककों से बातचीत हो रही है और यदि कोई चीज़ ऐसी है जो इन सिफारिशों के अन्तर्गत नहीं आती, तो उस पर अन्य तरीकों से ध्यान दिया जायगा।

नंगल उर्वरक कारखाने में आक्सीजन गैस

+

†*१६१४. { श्री नथवानी :
श्री मुरारका :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री: नंगल स्थित उर्वरक कारखाने की फालतू आक्सीजन गैस के उपयोग के बारे में २१ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०३२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फालतू गैस का वास्तविक मूल्य क्या है ;

(ख) इसको बेचने के लिए क्या प्रबन्ध किये गये हैं ; और

(ग) इस गैस का इस्तेमाल कहां पर और किस प्रयोजन के लिए किया जायेगा ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का उत्पादन करने वाले संयंत्रों से आक्सीजन की प्राप्ति एक उपोत्पाद के रूप में होती है। निरक्षेप रूप में इस प्रकार के उपोत्पाद का कोई 'वास्तविक मूल्य' नहीं हो सकता। इसका मूल्य पूर्णत: इस बात पर निर्भर है कि उसकी कितनी बिक्री हो सकती है। सिलिन्डरों में भरने के लिए जितनी बिक्री हो, उस के अनुसार आक्सीजन के प्रति हज़ार क्यूबिक फुट के लिए ५.०० रु० प्राप्त हो सकते हैं। फालतू गैस की बहुत थोड़ी मात्रा को इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।

(ख) उर्वरक निगम ने इसकी बिक्री के लिए टेंडर मांगे हैं। ठेकों को अंतिम रूप देने के लिए, टेंडर देने वालों के साथ बात चीत की जा रही है।

(ग) इस प्रकार बेची गयी गैस का प्रयोग आक्सी-एसीटीलीन वैल्डिंग के लिए और अस्पतालों में किया जायेगा।

†श्री नथवानी : आजकल कुल कितनी फालतू गैस का उत्पादन होता है ?

†श्री सतीश चन्द्र : जब कारखाने में पूर्ण तरह से उत्पादन होने लगेगा तो प्रतिदिन २६५ मीट्रिक टन गैस उपलब्ध हो सकेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नथवानी** : क्या मैं जान सकता हूं कि अतिरिक्त गैस की शेष मात्रा का क्या किया जायेगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : यदि इसको किसी अन्य प्रयोजन के लिए इस्तेमाल न किया गया तो यह व्यर्थ चली जायेगी। हमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की आवश्यकता है और इनको तैयार करते समय हमें यह गैस भी प्राप्त होती है । इस गैस का बहुत दूर तक परिवहन नहीं किया जा सकता और जब तक उसी स्थान पर कोई रासायनिक कारखाना न हो, इस गैस को इस्तेमाल करना संभव नहीं । हां, इसकी थोड़ी बहुत मात्रा को सिलिंडरों में बन्द कर के वैल्डिंग गैस के रूप में बेचा जा सकता है ।

†**श्री मुरारका** : श्रीमन्, विवरण में यह कहा गया है कि इस प्रकार के उपोत्पाद का निरपेक्ष रूप में कोई 'वास्तविक मूल्य' नहीं हो सकता । माननीय मंत्री का ऐसा सोचने का कारण है कि इस प्रकार के उपोत्पाद का इस से अधिक मूल्य नहीं हो सकता ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : क्योंकि इसका और कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता, जब तक कि अन्य कच्चे पदार्थ उपलब्ध न हों और उनकी सहायता से इस गैस द्वारा अन्य चीजों का उत्पादन न किया जाये ।

†**श्री मुरारका** : क्या यह सच नहीं है कि बहुत सी नई कम्पनियां बन रही हैं जो आक्सीजन संयंत्र लगा रही हैं और बहुत लाभ उठा रही हैं ? क्या मैं जान सकता हूं कि प्रतिदिन इस २६५ मीट्रिक टन गैस को व्यर्थ क्यों गंवाया जायेगा और उस के उपयुक्त इस्तेमाल का विचार क्यों नहीं किया जा रहा ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं। आज इस देश की कुल आवश्यकता प्रतिवर्ष लगभग ५० करोड़ क्यूबिक फीट है । केवल इस कारखाने में २२० करोड़ क्यूबिक फीट गैस का उत्पादन होगा। यदि इसका उपयोग करने के अन्य तरीके न ढूंढे गये, तो इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस के अतिरिक्त एक मन गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए लगभग १८ मन के सिलिंडर की आवश्यकता पड़ती है, जिस के कारण इस गैस का बहुत दूर ले जाना अलाभप्रद होता है ।

गोमांस का निर्यात

†*१६१५. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १८ मार्च, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४६४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में गोमांस के निर्यात में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो १९५८, १९५९ और १९६० में कुल कितना निर्यात किया गया, इस से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई और यह निर्यात किस कम्पनी के माध्यम से किया गया ;

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इस प्रयोजन के लिए बम्बई और कलकत्ता में नये बूचड़खाने बनाये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जा रहा है ।

(ग) इस के कोई विशेष कारण नहीं है ।

(घ) जी नहीं ।

विवरण

भारत के विदेशी व्यापार सम्बन्धी आंकड़ो में गोमांस के निर्यात का पृथक रूप में उल्लेख नहीं होता। दूध देने वाले पशुओं के मांस का, जिस में गोमांस भी शामिल है, निर्यात इस प्रकार रहा :

	मात्रा ('०००' हंडरवेट में)	मूल्य ('०००' (रु० में)
१९५८	४१	४३
१९५९	७८१	५३५
१९६०	४३६	३९६

निर्यात करने वाली कम्पनियों के नाम उपलब्ध नहीं हैं।

†**श्री मो० ब० ठाकर** : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत में गोमांस का कुल उत्पादन निर्यात और उपभोग कितना होता है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : सरकार के पास इस बारे में आंकड़े नहीं हैं। मूल प्रश्न के उत्तर में मैं ने बताया है कि मांस के निर्यात पर नियंत्रण नहीं हैं और विभिन्न किस्मों के मांस के आंकड़े अलग अलग नहीं रखे जाते ।

†**श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस गोमांस में बछड़ों और बैलों का मांस भी शामिल है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मुझे इसका पता नहीं । मांस के निर्यात पर नियंत्रण नहीं है और ना ही इस के आंकड़े पृथक पृथक रखे जाते हैं। हमारे पास जो आंकड़े हैं उनका सम्बन्ध दूध देने वाले सभी किस्म के पशुओं के मांस के कुल निर्यात से है और वे आंकड़े मैं दे चुका हूं ।

डा० गोविन्द दास : क्या यह बात सही नहीं है कि सरकार की यह स्पष्ट नीति है कि कम से कम काम आने वाले जानवरों का वध न किया जाय, और यदि यह नीति है तो क्या यह बात सही नहीं है कि जिस मांस का निर्यात यहां से होता है उस में अच्छे से अच्छे गोमांस का निर्यात होता है और वह मांस केवल अच्छे से अच्छे जानवरों से ही प्राप्त हो सकता है ?

श्री सतीश चन्द्र : मेरी तो इस के बारे में कोई इत्तला नहीं है। मैं ने आप से अर्ज किया है कि मैं ने जो फिगर दिए हैं इनको बीफ के फिगर मान लेना ठीक नहीं है । मुमकिन है कि इस में बीफ न हो कोई और चीजें हों, लेकिन जो कुछ भी हो यह कलकत्ता, बम्बई, मद्रास आदि बन्दरगाहों में उन जहाजों को दिया जाता है जो वहां आते हैं और अपनी खुराक की चीज खरीदते हैं। चूंकि यह उन जहाजों को दिया जाता है, इसलिए इस को एक्सपोर्ट में डाल दिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० गोविन्द दास : मैं यह जानना चाहता था कि जिस मांस का निर्यात होता है क्या इसके संबंध में सरकार स्पष्ट कह सकती है कि इस मांस में गोमांस शामिल नहीं है ?

श्री सतीश चन्द्र : मैं नहीं कह सकता क्योंकि जो जहाज बन्दरगाहों में आते हैं वे शायद उसे भी लेते हों ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो गोमांस का निर्यात होता है यह किन किन स्थानों में तैयार किया जाता है और गो गोमांस निर्यात होता है क्या उस के लिए कोई ऐसा कायदा बनाया गया है कि अमुक प्रकार की गायों का मांस ही तैयार कर के बाहर भेजा जाए ?

श्री सतीश चन्द्र: मैं ने अर्ज किया कि जो जहाज हिन्दुस्तान के बन्दरगाहों में, जैसे कल-कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, आदि में आते हैं वे अपनी खुराक की बहुत सी चीजें लेते हैं और उस में मांस भी लेते हैं। मैं ने जो फिगर दिए हैं उन में गोमांस के फिगर भी शामिल हैं या नहीं यह मैं नहीं कह सकता और न मैं गोमांस के फिगर दे रहा हूं। यह तो सारे मांस के फिगर हैं, यह तो वह कुल क्वांटिटी है जो कि बन्दरगाहों पर आने वाले जहाजों को दी जाती है ।

डा० गोविन्द दास : जब सरकार की यह नीति है कि अच्छे जानवरों का वध न किया जाए, तो क्या सरकार इस बात के लिए कोई आदेश देगी कि कम से कम बाहर जाने वाले मांस में गोमांस शामिल न किया जाए और गोमांस बाहर न भेजा जाए ?

श्री सतीश चन्द्र : सरकार की यह नीति है और राज्य सरकारें भी इसको मानती हैं। इसलिए राज्य सरकारों को देखना चाहिए और वे इस बात का ध्यान रखें कि उन के अपने अपने राज्यों में अच्छे जानवरों का वध न किया जाए ।

श्री रघुनाथ सिंह : मेरी प्रार्थना है कि इस सवाल को बन्द कर दिया जाए तो अच्छा हो। इन पर इतने सवाल उठाये जा रहे हैं यह बड़ा अनप्लेजेंट सा हो गया है ।

श्री भो० ब० ठाकुर : २८ मार्च, १९५९ को अतारांकित प्रश्न संख्या २४६४ के उत्तर में माननीय कृषि मंत्री, श्री अजित प्रसाद जैन ने उन देशों के नाम बताये थे, जिन्हें गोमांस का निर्यात किया जाता है। यदि यह ठीक है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय उपमंत्री महोदय को आज इन नामों को बताने में किन कठिनाइयों का अनुभव हो रहा है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : जुलाई अथवा अगस्त, १९५९ से २०० अन्य चीजों के साथ सभी किस्मों के मांस के निर्यात पर से नियंत्रण हटा लिया गया है। उस से पहले कुछ आंकड़े उपलब्ध थे, जिन्हें खाद्य तथा कृषि मंत्री ने मार्च, १९५९ में प्रस्तुत किया था। किन्तु इसके पश्चात् विनियंत्रण हो गया और हमारे पास प्रत्येक किस्म के मांस के बारे में पृथक आंकड़े नहीं हैं ।

चाय अनुसन्धान और वैज्ञानिक केन्द्र, तोकलाई

†*१६१८. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चाय सन्था ने भारत सरकार से तोकलाई स्थित चाय अनुसंधान और वैज्ञानिक केन्द्र को वित्तीय सहायता देने के लिये कहा है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्थापना पर विचार कर लिया है?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां ।

(ख) मामले पर ध्यान दिया जा रहा है।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : यहां पर किस किस्म का अनुसंधान किया जायेगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : माननीय सदस्य को विदित है कि भारतीय चाय संस्था तोकलाई परीक्षण केन्द्र का संचालन कर रही है जो कि आसाम की एक प्रसिद्ध संस्था है। यह केन्द्र चाय की खेती के सभी पहलुओं की ओर ध्यान दे रहा है। इस संस्था में कीट-विज्ञान, कवक-विज्ञान[1] पौदों सम्बन्धी व्याधिकी और पौदों के अभिजनन[2] आदि के बारे में अलग अलग शाखायें हैं। अब इस संस्था के व्यय में निरन्तर वृद्धि हो रही है। यह संस्था प्रति वर्ष ४० लाख रु० से अधिक व्यय कर रही है और संथा यह चाहती है कि इस संस्था का विस्तार करने के लिये सरकार सहायता दे।

†**श्री न० रं० घोष**: भारतीय चाय संथा, भारतीय चाय-उत्पादक संथा और दक्षिण भारतीय संथा के बीच जो सम्मेलन हुआ था और जिसमें तोकलाई अनुसंधान संस्था को सरकार को सौंपने तथा दूअर्स और मद्रास में इस संस्था की दो शाखायें खोलने के बारे में विचार हुआ था, क्या परिणाम निकला है? इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

†**श्री सतीश चन्द्र** : इस मामले पर विचार किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय के सचिव, प्रो० एम० एस० थैकर, ने एक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें विभिन्न चाय सन्थाओं और चाय बोर्ड के प्रतिनिधि उपस्थित थे। उन्होंने इस मामले पर विचार किया था और विचार यह है कि इस अनुसंधान केन्द्र को और दक्षिण में 'उपासी' द्वारा संचालित केन्द्र के कार्य को संभालने के लिये एक नया संगठन बनाया जाये। यह संगठन दूअर्स में भी एक केन्द्र खोल सकता है। मामले पर विचार किया जा रहा है। अभी तक हम किसी अन्तिम परिणाम पर नहीं पहुंचे ।

†**श्री नारायण स्वामी** : क्या दक्षिण भारत की युनाइटेड प्लान्टर्स एसोसिएशन ने आर्थिक सहायता के लिये आवेदन किया है और यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या विचार है?

†**श्री सतीश चन्द्र** : 'उपासी' दक्षिण में एक चाय अनुसंधान केन्द्र का पहले से ही संचालन कर रहे हैं और उन्हें सरकारी अनुदान दिया जाता है।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : चाय बोर्ड का इस बात से क्या सम्बन्ध है? क्यों कि चाय बोर्ड का एक कृत्य चाय सम्बन्धी अनुसंधान को प्रोत्साहन देना है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या चाय बोर्ड ने भी इस सारी योजना पर विचार किया है और इस बारे में उन्होंने क्या सुझाव दिये हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : इस सारे मामले पर चाय बोर्ड के परामर्श से विचार किया जा रहा है। इन चर्चाओं में चाय बोर्ड का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व होता है और चाय की खेती सम्बन्धी अनुसंधान कार्य के लिये चाय बोर्ड की निधि में से बहुत से अनुदान दिये जाते हैं।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : क्या सरकार का कोई अपना चाय अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Mycology.

[2] Plant Breeding.

†श्री सतीश चन्द्र : जी नहीं । सरकार इन संस्थाओं को सहायता दे रही है और इस समय इस बात पर विचार किया जा रहा है कि इन संस्थाओं का कार्य संभालने के लिये एक नये संगठन का निर्माण किया जाये । किन्तु अभी इसे अन्तिम रूप से तय नहीं किया गया ।

†श्री संगामणि : अभी हाल में 'उपासी' ने वलपराइ में एक केन्द्र खोला है । क्या यहां पर खोले गये अनुसंधान केन्द्र का और परीमेड में खोली जाने वाली शाखा का इस बात से कोई सम्बन्ध है और क्या इस बारे में कोई ताल मेल है ताकि इन केन्द्रों में प्रत्येक स्थान पर एक ही काम न हो ?

†श्री सतीश चन्द्र : दक्षिण में जो उप-केन्द्र खोले गये हैं, वे मुख्य केन्द्र की शाखायें हैं, जिसका मैंने अभी कुछ देर पहले उल्लेख किया था । इन का उद्देश्य इन विशिष्ठ इलाकों की विशिष्ठ समस्याओं, जैसे जीवरसायन और भूमि रसायन, की ओर ध्यान देना है । हर स्थान की भूमि और जल वायु में भिन्नता होती है और ये उप-केन्द्र मुख्य केन्द्र के अलावा खोले गये हैं ।

†श्री हेम बरुआ : इस बात को देखते हुए कि आसाम का तोकलाई परीक्षण केन्द्र एक प्रकार का लघु विश्वविद्यालय है, जो देश में प्रशंसनीय कार्य कर रहा है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस संस्था को अनुसंधान और वित्तीय क्षेत्र में अनुदान के रूप में कोई सहयोग दिया है ?

†श्री सतीश चन्द्र : इस सारे प्रश्न का सम्बन्ध इसी बात से है । हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं ।

नागा विद्रोही

+

†*१६२०. { श्री अमजद अली :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम राइफल्स के एक दस्ते ने १६ मार्च, १६६१ को अथवा इसके आसपास आसाम सीमा के निकट मायलांग के पास नागा विद्रोहियों के शिविर पर हमला किया था ; और

(ख) यदि हां, तो दोनों पक्षों के कितने व्यक्ति हताहत हुए ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका) : (क) और (ख) १६ मार्च, १६६१ को आसाम राइफल्स के एक दस्ते ने आसाम के सीमान्त के निकट मोकुचुंग जिले में माइलांग के निकट नागा विद्रोहियों के एक शिविर पर सहसा आक्रमण किया, जिस में उन्हें सफलता मिली । इस आक्रमण में ग्यारह विद्रोही मारे गय । समाचार है कि एक राइफलमैन का पता नहीं चल रहा ।

†श्री अमजद अली : क्या हम इसका कोई अनुमान लगा सकते हैं कि नागालैंड में नागा विद्रोहियों के कितने शिविर हैं और आसाम राइफल्स द्वारा इस प्रकार के कितने छापे मारे गये हैं ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मेरा ख्याल है कि यह नहीं बताया जा सकता कि वहां पर कितने शिविर हैं, क्योंकि इनकी संख्या में परिवर्तन

---

†मूल अंग्रेजी में

होता रहता है और भौगोलिक दृष्टि से भी इन शिविरों के स्थान बदलते रहते हैं। हमारी एक कठिनाई यह है कि वे बर्मा की सीमा के अन्दर से अपनी गतिविधियों का संचालन करते हैं। हम बर्मा की सीमा को पार नहीं कर सकते किन्तु जब वे संकट में होते हैं तो वे सीमा के उस पार भाग जाते हैं। वे संभवतः वहां पर अपनी चीजों का भण्डार भी करते हैं, जिन्हें हम प्राप्त नहीं कर सकते। ये लोग निरन्तर रूप से अपने अड्डे बदलते रहते हैं, इसलिए हमारे लिए यह बताना संभव नहीं कि ऐसे शिविरों की संख्या कितनी है ?

†**श्री अमजद अली** : क्या हम बता सकते हैं कि इस वर्ष और पिछले वर्ष आसाम राइफल्स और नागा विद्रोहियों में कितनी बार मुकाबिला हुआ ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह इस बात पर निर्भर करता है कि 'मुकाबले' की परिभाषा क्या है। मुकाबला बड़े पैमाने पर हो सकता है और बिल्कुल छोटे पैमाने पर भी। किन्तु मेरे पास इस संबंध में जानकारी नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को देखते हुए कि पिछले विश्वयुद्ध के बाद छोड़े गये शस्त्रास्त्र, जिनको नागा विद्रोही इस्तेमाल कर रहे हैं, अब तक खराब हो चुके होंगे, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि ये लोग नये शस्त्रास्त्र कहां से प्राप्त कर रहे हैं?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हम ने इस बात का पता लगाने का प्रयत्न किया है और हमें कुछ जानकारी प्राप्त भी हुई है। वे इन शस्त्रास्त्रों को बर्मा के विभिन्न स्थानों से प्राप्त करते हैं और कई बार भारत से भी।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं समझ नहीं पाया कि भारत मंत्री ने क्या कहा है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने यह कहा है कि हमें कुछ ऐसे मामलों की जानकारी है, जिन में नागा विद्रोहियों ने बर्मा की सीमा के अन्दर से शस्त्रास्त्र प्राप्त किये हैं अर्थात् उन लोगों के पास से, जिन के पास शस्त्रास्त्र हैं और कई बार भारत के अन्दर से भी उन्हें ऐसा करने में सफलता मिली है। मुझे पता नहीं कि क्या माननीय सदस्य यह सोच रहे हैं कि कोई अन्य देश शस्त्रास्त्र सप्लाई कर रहा है। हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ** : प्रधान मंत्री ने बड़ी गंभीर बात कही है कि उन्हें भारत से ही शस्त्रास्त्र प्राप्त हो रहे हैं। क्या इस बात का पता लगाया गया है कि उन्हें भारत से किस स्थान से शस्त्र प्राप्त हो रहे हैं?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं। मैं ने केवल यही कहा है कि कभी कभी, बहुत बड़ी मात्रा में नहीं, कभी किसी व्यक्ति से और कभी व्यक्तियों के समूह से। कभी कभी एसा भी होता है। हम ने वहां पर नागाओं के जो ग्राम-रक्षक दल (Village Guards.) बनाये हैं, उन में से कई लोगों ने कई बार कदाचार किया है और उन लोगों ने अपनी बन्दूकें विपक्षियों को दे दी हैं; हालांकि कुल मिला कर देखा जाये तो ये नागा बहुत अच्छे लोग हैं।

†**श्री बसुमतारी** : क्या मैं जान सकता हूं कि वहां पर प्रशासन के नये ढांचे की स्थापना के पश्चात् इन नागा विद्रोहियों की संख्या में वृद्धि हुई है अथवा कमी?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं समझता कि इनकी संख्या में वृद्धि हुई है। किन्तु इनकी गणना करना कठिन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश में नमक की कमी

*१६२१. **श्री राधा मोहन सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में नमक की अत्याधिक कमी हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और भारत सरकार नमक को तुरन्त उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में नमक की कमी के बारे में सरकार को हाल में कोई सूचना नहीं दी गयी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री राधा मोहन सिंह : क्या सरकार को मालूम है कि इस प्रकार की खबर निकलने के कारण व्यापारी लोग फायदा उठाते हैं और ज्यादा दाम चार्ज करते हैं ? अगर यह खबर गलत थी, तो उस को कांट्राडिक्ट करने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की ?

श्री मनुभाई शाह : बहुत सी गलत खबरें निकलती हैं । हम तो देख लेते हैं कि वहां सप्लाई हो रही है या नहीं । हमने फौरन इतिला दी और फौरन रेलवे की मूवमेंट भी हुई है। सब कुछ वहां पर काबू में है ।

श्री राधा मोहन सिंह : क्या यह सम्भव है कि हर एक जिले में कुछ स्टाक रखा जाय, जो कि ऐसी खबरें फैलने पर और स्केयर होने पर बाहर लाया जा सके ?

श्री मनुभाई शाह : वही उत्तर प्रदेश की स्कीम है कि हर जिले में एक क्वोटा एलाटमेंट दिया जाता है और उस का स्टाक रखा जाता है ।

श्री भ० दी० मिश्र : क्या यह ठीक है कि सेंधा नमक का देश भर में अभाव है, जो कि सर्वश्रेष्ठ नमक कहा जाता है ?

श्री मनुभाई शाह : राक साल्ट तो हिन्दुस्तान में जितना बनता है, उतना है । बहुत कम है । बाकी सब पाकिस्तान से आता था, इस लिये उस की कमी तो है ही ।

कॉफी उद्योग

†*१६२३. **श्री वारियर :**
श्री जीनचन्द्रन :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री कोडियान :
श्री पुन्नुस :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि निर्यात की जाने वाली कॉफी का विशाल भंडार

---

†मूल अंग्रेजी में

जमा हो जाने और निर्यात मूल्यों में ४० से लेकर ५० प्रतिशत तक की अत्यधिक कमी हो जाने के कारण काफी उद्योग को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार और कॉफी बोर्ड यथोचित मूल्य हासिल करने और उद्योग को बचाने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

निर्यात की जाने वाली कॉफी की अतिरिक्त मात्रा का निर्धारण कॉफी के कुल उत्पादन, घरेलू आवश्यकताओं और निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता को देखते हुए किया जाता है। १९५९–६० में कॉफी का कुल उत्पादन ४९,००० टन था और निर्यात के लिये २०,६०० टन कॉफी का निर्धारण किया गया था। १९६०–६१ में ५३,००० टन कॉफी के उत्पादन का अनुमान है और निर्यात के लिए २१,५०० टन का निर्धारण किया गया है। हम जो कॉफी निर्यात करते हैं उसका मूल्य इसलिए कम मिलता है क्योंकि १९५९ से विश्व की मंडियों में कॉफी की कीमतों में कमी हो गयी है। यह एक ऐसी बात है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है क्योंकि भारत विश्व के कुल कॉफी निर्यात में से केवल २ प्रतिशत कॉफी का निर्यात करता है ।

निर्यात की जाने वाली कॉफी का यथासंभव अधिकतम मूल्य प्राप्त करने की दृष्टि से निम्न-लिखित कदम उठाये गये हैं :

(एक) निर्यात के लिए बहतर किस्म की कॉफी रिलीज की जाती है ।

(दो) निर्यात के लिए बेची जाने वाली कॉफी की ध्यानपूर्वक जांच करने के लिये तालिकाएं बनायी गयी हैं ।

†श्री वारियर : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हमारी कॉफी को विदेशी मंडियों में इसलिए दिक्कत पेश आती है क्योंकि कॉफी बोर्ड उत्पादकों से कॉफी के सारे स्टाक खरीद लेता है और इस कार्य में बड़ी देर हो जाती है ?

†श्री सतीश चन्द्र : इसमें जरा भी सचाई नहीं है। वास्तविकता यह है कि भारत में काफी बहुत कम पैदा होती है और हम उपभोग करने वाले देशों की कुल आवश्यकता का केवल २प्रतिशत भाग निर्यात कर पाते हैं। काफी की कीमतों पर ब्राजील की कॉफी की कीमतों का गहरा प्रभाव पड़ता है। ब्राजील में काफी बहुत अधिक पैदा होती है और ब्राजील में कॉफी का आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने के कारण कीमतों में कॉफी कमी हो गयी है। इसके कारण यहां भी कॉफी की कीमतें गिर गई हैं, और इस समय फी कॉकी जो कीमत मिल रही है, उस पर उसे निर्यात करना लाभप्रद नहीं है इसलिए कॉफी के निर्यात को कुछ कम कर दिया गया है ।

†श्री नंजप्प : माननीय मंत्री महोदय ने यह बताने की कृपा की है कि निर्यात के लिए कितनी मात्रा निर्धारित की गयी थी किन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि वास्तविक निर्यात कितना हुआ । क्या मैं जान सकता हूं कि १९५९–६० और १९६०–६१ में क्या कीमत प्राप्त हुई ?

†श्री सतीश चन्द्र : १९५९–६० में निर्यात के लिए २०,६०० टन कॉफी का निर्धारण किया गया था और इस सारी मात्रा का निर्यात किया गया। १९६०–६१ में २१,५४८ टन काफी निर्यात की गयी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नंजप्प** : क्या मैं जान सकता हूं कि एक टन का मूल्य क्या मिला ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : हर किस्म का मूल्य अलग होता है । कॉफी की लगभग दस किस्में हैं ।

†**श्री नंजप्प** : वह किसी किस्म की कॉफी की कीमत बता दें, उदाहरणतः रोबस्टा अथवा प्लान्टेशन 'ए' ।

†**श्री सतीश चन्द्र** : प्लान्टेशन 'ए' की कीमत फरवरी, १९६० में २६० रु० प्रति ५० किलो थी । नवम्बर, १९६० में घट कर यह १७५ रु० प्रति ५० किलो हो गयी थी ।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** : स्टेट बैंक आफ इंडिया भारतीय चाय बोर्ड को 'ओवरड्राफ्ट' की कितनी सुविधा प्रदान करता है ताकि काफी की फसलों और इसके विपणन को वित्तपोषित किया जा सके ? यदि कॉफी बोर्ड वित्त पोषण करना और विपणन करना बन्द कर दे तो क्या उत्पादकों, विशेषतः लघु उत्पादकों, पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : यह एक बिल्कुल भिन्न प्रश्न है । स्टेट बैंक कॉफी बोर्ड को, उसके कब्जे में स्टाक की मात्रा के आधार पर ऋण देता है, और इस मामले को समय समय बातचीत द्वारा तय किया जाता है ।

श्री विभूति मिश्र : अभी मंत्री जी ने बताया है कि ब्राजीलियन कॉफी के कारण हिन्दुस्तान की काफी की आधी कीमत हो गई । तो मैं जानना चाहता हूं कि काफी के स्माल ग्रोअर्स को सहायता देने के लिए और कीमत ठीक रखने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है ।

श्री सतीश चन्द्र : हिन्दुस्तान में कॉफी इस्तेमाल होती है, ज्यादातर तो मुल्क में ही इस्तेमाल होती है और उसका दाम मुनासिब मिल रहा है । अगर वह बाहर के बाजारों में उतने दाम पर नहीं बिकती है—बिकती है, लेकिन कम दाम पर बिकती है, क्योंकि इन्टरनेशनल प्राइस गवर्न होती है ब्राजील की कॉफी से, तो उस पर हमारा चारा नहीं है ।

†**श्री हेडा** : इस बात को देखते हुए कि हमारे देश में कॉफी के उत्पादन में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है और निर्यात-मार्केट में कॉफी की कीमतों में कमी हो रही है, क्या सरकार की कोई एसी दीर्घ-कालीन योजना है कि फी कॉकी कीमतों में उपयुक्त कमी करके देश में काफी की खपत में वृद्धि की जाये ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : यदि देश के अन्दर भी कॉफी की कीमतों में कमी कर दी जाय तो कॉफी की खेती एक अलाभप्रद सौदा बन जायेगी । बाह्य कारणों से हमें विदेशी मंडियों में सब से कम कीमत प्राप्त हो रही है । किन्तु कॉफी के उत्पादकों को भारत में कॉफी का यथोचित मूल्य प्राप्त हो रहा है जिससे उसे सम्बल प्राप्त होता है । आन्तरिक खपत और निर्यात का निर्धारण सब बातों अर्थात् कुल उत्पादन, आन्तरिक आवश्यकता और कुछ विदेशी मुद्रा अर्जित करने की जरूरत पर विचार करने के पश्चात् किया जाता है ।

†**श्री वारियर** : क्या भारत में कॉफी स्टाक इकट्ठा नहीं हो गया है जो निर्यात नहीं किया जा सकता, लेकिन साथ ही दुनिया के बाजार में नये लोग आ रहे हैं और उनकी कॉफी अच्छी बिक रही है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : हमारी कॉफी अच्छी किस्म की है और यहां पैदा किया गया प्रत्येक औंस बेचा जा सकता है । यह सवाल कीमतों का है । यह केवल अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर ही बेची जा

---

†मूल अंग्रेजी में

सकती है। यदि हम विदेशी बाजारों में सारी कॉफी बेचना चाहें तो हमें शायद बाजार मिल सकता है। लेकिन वह हमारे किसानों के लिए लाभदायक नहीं होगा।

†**श्री तंगामणि** : कर प्रस्तावों के तौर पर जो कार्यवाही हम पहले ही कर चुके हैं उन्हें और विवरण में उल्लिखित अन्य कार्यवाहियों को देखते हुए चालू वर्ष अर्थात् १९६१–६२ के लिए निर्यात की अनुमानित मात्रा कितनी है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : अभी फिलहाल १९६०–६१ की फसल निर्यात की जा रही है। १९६१–६२ के लिए कोई आंकड़े इतने जल्दी देना संभव नहीं हैं।

†**श्री तंगामणि** : पहले के वर्षों में औसत करीब २०,००० टन था। क्या चालू वर्ष अर्थात् १९६१–६२ के लिए वह अधिक होगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : १९६०–६१ में निर्यात के लिए २१,५०० टन नियत था। १९६१–६२ में निर्यात की मात्रा उस समय निर्धारित की जायेगी जब हमें वास्तविक उत्पादन मालूम हो जायेगा। फसल तैयार हो जाने पर हम उत्पादन का अनुमान लगा सकेंगे और देश में उपभोग के लिए और निर्यात के लिए मात्रा निर्धारित कर सकेंगे। अभी तक यह नहीं हुआ है।

†**श्री नंजप्प** : माननीय मंत्री ने बताया था कि किसान को उचित कीमत मिलेगी लेकिन जहां तक निर्यात मूल्य का सम्बन्ध है, उसे कितनी कीमत मिलेगी और वास्तव में उस पर कितनी रकम खर्च की गयी है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : ये सब बातें कॉफी बोर्ड तय करती है, जिसमें किसान, निर्यातक तथा कॉफी सम्बन्धी प्रत्येक अन्य हित के प्रतिनिधि होते हैं। वह इस विषय की पूरी चर्चा करता है और स्वत: कीमत निर्धारित करता है। कॉफी बोर्ड से जो इस उद्योग की प्रतिनिधि संस्था है, जो जानकारी प्राप्त हुई है वही मैं बता रहा हूं।

†**श्री सिंहासन् सिंह** : मैं यह जानना चाहता हूं कि कॉफी संकट, चीनी संकट आदि के और भारत में ऊंची कीमतों के क्या कारण हैं ? क्या यह सरकार द्वारा लगाये गये उत्पादन शुल्क के कारण है कि कीमतें ऊंची हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : कीमतें तभी ऊंची होंगी जब उत्पादन कीमतें ऊंची होंगी।

अशोक होटल

\+

†*१६२४. { **श्रीमती मैमूना सुल्तान** :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अशोक होटल में कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक है और इस होटल का संचालन व्यय भी बहुत अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्मचारियों की संख्या और संचालन व्यय में कमी करने की कोई गुंजाइश है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा): (क) यह धारणा कि इस होटल में कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है, प्राक्कलन समिति ने २४ मार्च, १९६१ को पेश की गयी अशोक होटल सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में भी व्यक्त की है। प्रबन्धक निस्संदेह इस विषय की तथा संचालन व्यय के मामले की विस्तृत छानबीन करेंगे।

(ख) और (ग). प्रबन्धक बराबर ही होटल में कर्मचारियों की संख्या और खर्च की स्थिति की समीक्षा करते रहते हैं और जहां कहीं संभव होता है, होटल में कार्यकुशलता या सेवा को बिगाड़े बगैर सभी संभव किफायतें करता है।

†**श्रीमती मैमूना सुल्तान :** १९५९ तक और इससे आगे इस होटल को कितना घाटा हुआ, क्या सरकार ने इस भारी घाटे के कारणों की सावधानी से छानबीन की है और किस हद तक यह घाटा दूर हुआ है?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** आज तक इस होटल में ५५,७६,००० रुपये का घाटा हुआ है। उसके मुकाबले में पिछले साल हमें ६ लाख रुपये से अधिक मुनाफा हुआ था। अभी समाप्त वर्ष के लिए अ-लेखापरीक्षित लेखे में करीब २७ लाख रुपये का मुनाफा दिखायी पड़ता है। इस आकार के होटल में यह आशा करना असंभव है कि यह प्रारंभ से ही मुनाफा करेगा। वास्तव में इसे ठीक से चलने के लिए तीन या चार साल लगते हैं। मुझे यह बताने में खुशी है कि इस होटल के संबंध में अब स्थिति बिल्कुल बदल गयी है। अब आगे अनुमान है कि हर साल हमें काफी मुनाफा होगा।

†**श्री बसुमतारी:** क्या वहां खाना खाने वालों की यह बड़ी भारी शिकायत है कि वहां रहने की किराये की तुलना में भोजन का स्तर बहुत गिर गया है?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** ऐसे होटल में जहां ४५० पलंग हों अक्सर शिकायतें रहेंगी। वास्तव में हमें भी अक्सर शिकायतें मिलती रहती हैं। लेकिन उसके विरुद्ध हमें होटल में ठहरने वाले लोगों से प्रशंसापत्र भी कहीं अधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं। प्रबन्धकों को बराबर यह ख्याल रहता है कि उन्हें सेवाएं, भोजन आदि के बारे में सावधान रहना चाहिये।

तीसरी पंचवर्षीय योजना

†*१६२५. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप न दिये जाने की स्थिति में विभिन्न राज्य सरकारों ने वर्ष १९६१-६२ के लिये योजना की क्रियान्विति सम्बन्धी कार्यक्रम किस प्रकार तैयार किये हैं; और

(ख) यदि इस सिलसिले में केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों को कोई हिदायतें दी गयी हों, तो वे क्या हैं?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** (क) और (ख). तीसरी पंचवर्षीय योजना के खर्च के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए योजना आयोग द्वारा कार्यकारी समुदायों को १९६१-६२ के खर्च के संबंध में सिफारिशें करने के लिए कहा गया था। केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने योजना आयोग के परामर्श से राज्यों को बताया है कि केन्द्रीय सहायता १९६१-६२ में संभवतः उपलब्ध होगी। राज्यों ने सामान्यतया इन दो बातों को ध्यान में रखकर १९६१-६२ के लिए अपनी

†मूल अंग्रेजी में

योजनाएं तैयार की हैं। यद्यपि इस पंचवर्षीय योजना के कुछ ब्यौरे अभी तय करने हैं फिर भी कई महत्वपूर्ण निर्णय पहले ही किये जा चुके हैं ताकि तीसरी योजना के पहले साल के लिए योजनाएं तैयार की जा सकें।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यह क्या बात है कि अंतिम रूप से निर्णय किये बगैर तथा इस संसद् की स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही हमने उसे कार्यान्वित करना शुरू कर दिया है?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : इसमें संसद् की उपेक्षा करने की कोई बात नहीं है। वास्तव में हम केन्द्रीय बजट की चर्चा के मध्य में हैं और इसी तरह राज्यों के बजट पर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी ध्यान में रखनी हैं। पहली बात यह कि योजना का वित्तीय और भौतिक ढांचा, मोटे अर्थ में, सभा ने 'ड्राफ्ट आउटलाइन' पर विचार करते समय ही स्वीकार कर लिया था। फिर, जारी रखी जाने वाली योजनाएं हैं जिन्हें न्यूनतम समय में पूरा करना होगा। हमें कुछ क्षेत्रों में उत्पादन की निरन्तरता को भी ध्यान में रखना है। इसलिए इन सब बातों के कारण बहुत अधिक अनिश्चितता की गुंजाइश नहीं रहती। इसीलिए तीसरी योजना के पहले साल का काम चल रहा है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इस योजना को अंतिम रूप देने के संबंध में क्या स्थिति है और वह अंतिम अनुमोदन के लिए संसद् के समक्ष संभवत : कब रखा जायगा?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : वर्तमान संकेतों के अनुसार, अंतिम रूप में तीसरी पंचवर्षीय योजना संभवत: जून के मध्य में संसद् सदस्यों को दी जायेगी। अभी हमारी यही उम्मीद है। सभा को शायद यह भी पता है कि हम यह चाहते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद् मई के अन्त तक इस योजना पर चर्चा कर ले। राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक के बाद ही कुछ निर्णय अंतिम रूप से निश्चित किये जायेंगे।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या विदेशी मुद्रा की जरूरतें तय की जा चुकी हैं और यदि हां, तो क्या वाशिंगटन स्थित आर्थिक कार्य के कमिश्नर जनरल श्री बी० के० नेहरू को उसकी सूचना दी गयी थी ताकि इस महिने की २५ तारीख को एड इंडिया क्लब की बैठक में चर्चा के समय उससे सहायता मिले?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : योजना के प्रारूप में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता के बारे में हम पहले ही संकेत दे चुके हैं। वास्तव में वे पहले ही योजना आयोग की कुछ चर्चाओं में उपस्थित थे।

†**श्री प्रभात कार** : क्या यह सच नहीं कि पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और तामिलनाड़ जैसे राज्यों से योजना में किये गये नियतनों के बारे में शिकायतें आयी थीं? राज्यों द्वारा उठाये गये ये झगड़े किस प्रकार दूर किये गये?

†**श्रम तथा रोजगार और योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : किसी क्षेत्र में शायद पूर्ण संतोष न हो और वह असंतोष महिने दो महिने में योजना अंतिम रूप से निर्धारित किये जाने के बाद भी बना रहेगा। हमने संभव सर्वोत्कृष्ट ढंग से इसे सुलझाने का प्रयत्न किया है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : वर्ष १९६१–६२ के लिए केन्द्रीय सरकार से राज्यों को नियतन की क्या रकमें बतायी गयी हैं? क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि पिछले वर्ष और उससे पिछले वर्ष की तुलना में योजना के पहले वर्ष में बहुत ढिलाई है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** मोटे तौर पर पहले वर्ष में वह कुल खर्च का १४–१५ प्रतिशत, दूसरे वर्ष में १७–१८ प्रतिशत, तीसरे वर्ष में २०–२१ प्रतिशत, चौथे वर्ष में २२–२३ प्रतिशत और अंतिम वर्ष में २४-२५ प्रतिशत है ।

†**श्री त्यागी :** मुझे ज्ञात हुआ है कि विभिन्न राज्यों की अधिकतर पूंजीगत आवश्यकताओं और मांगों को सरकार द्वारा दी गयी राजसहायता या यहां से मंजूर किये गये ऋणों से पूरा किया जाता है । ऐसे मामलों में, इस प्रकार के कोई वचन देने से पहले, वापसी भुगतान की उनकी क्षमता की छानबीन की गयी है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** यह बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे सदा ही ध्यान में रखा जाता है । मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य को संतुष्ट करने के लिए मैं और कुछ कह सकता हूं या नहीं लेकिन यह अवश्य ही महत्वपूर्ण बात है जो हम ध्यान में रखते हैं ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** मैं जानना चाहता हूं कि कौन से ऐसे कारण पैदा हुए हैं जिन की वजह से आयोजन का अन्तिम मस्विदा तैयार करने में इतनी देरी हुई है और क्या उन कारणों में से एक कारण यह भी है कि मुल्क की जन-संख्या के जो आंकड़े अभी प्रकाशित हुए हैं उनसे जो बेकारों की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, उस पर विचार करने के लिए ज्यादा समय लेना पड़ रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** संपूर्ण योजना पर चर्चा हो रही है । अगला प्रश्न ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** पहले सरकार ने यह बताया था कि अंतिम रूप में योजना इस अधिवेशन के अन्त में सभा के सामने रखी जायगी ताकि हमें इसी अधिवेशन में उस पर बहस करने का मौका मिले । अब हमें बताया जाता है कि वह जून के मध्य तक उपलब्ध होगी और हम उस पर अगले अधिवेशन में ही चर्चा कर सकेंगे । तब तक चार पाच महिने बीत जायेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि अंतिम योजना कब तैयार हो जायेगी ?

†**श्री नन्दा :** मेरे माननीय सहयोगी ने बिल्कुल ठीक स्थिति बतायी है । हमारे अत्यधिक प्रयत्नों के बावजूद, इस अधिवेशन में पूर्ण प्रलेख प्रस्तुत करना संभव नहीं होगा । राष्ट्रीय विकास परिषद् मई के अन्त तक उस पर विचार कर लेगा । इसके बाद हम यथाशीघ्र उसे संसद् सदस्यों के सामने रख देंगे ।

यह एक कारण है । इसके अलावा और भी कई कारणों से देर हुई है ।

मोटरगाड़ियों का निर्यात

+

†*१६२६. { **श्री विश्व नाथ राय :**
(**श्री दी० चं० शर्मा :**
(**श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इस समय मोटरगाड़ियों का निर्यात करने की स्थिति में है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या शीघ्र ही निर्यात किया जाने लगेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) मोटरगाड़ियों का निर्यात यद्यपि थोड़ी मात्रा में, पहले ही किया जा रहा है । अनुमान है कि अगले एक दो वर्षों में ये निर्यात काफी बढ़ जायेंगे ।

†**श्री विश्व नाथ राय** : इस वर्ष और अगले वर्ष कितनी भारतीय मोटरगाड़ियां के निर्यात किये जाने का अनुमान है और उनका क्या मूल्य होगा ?

†**श्री मनभाई शाह** : यह पहले ही बता देना कठिन है । लेकिन ऑटोमोबाइल असोसियेशन का लक्ष्य १ करोड़ रुपया है जिसका मतलब लगभग ४०० मोटरगाड़ियां है ।

†**श्री विश्व नाथ राय** : भारतीय मोटरगाड़ियों की मांग किन किन देशों में है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अधिकतर श्रीलंका और पड़ोसी देश ।

†**श्री सिंहासन सिंह** : इन गाड़ियों का निर्यात मूल्य क्या होगा ? वह देश में प्रचलित मूल्य से कम होगा या अधिक ?

†**श्री मनुभाई शाह** : साधारणतया लीलैंड के ट्रक और भारी ट्रक निर्यात किये जा रहे हैं और छोटी गाड़ियां भी प्रत्याहृत के कारण विदेशों को भेजी जा रही हैं । पूरा आयात शुल्क लौटा दिया जाता है और उस कारण निर्यात संभव हो जाता है ।

†**श्री वी० चं० शर्मा** : जहां तक भारत का संबंध है क्या हमने मोटरगाड़ियों के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है ? यदि नहीं, तो हम गाड़ियों के निर्यात की कोशिश क्यों कर रहे हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : आत्म निर्भरता नहीं है । लेकिन हमारे बढ़ते हुए औद्योगिक विकास को देखते हुए हमें विश्व-बाजार निर्माण करना है । वास्तव में इसका यह अर्थ नहीं कि हम देश में त्याग करें क्योंकि निर्यात से प्राप्त विदेशी मुद्रा से कमायी गयी अतिरिक्त कोटे में से वह निर्यात होता है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : निर्यात में राजसहायता की रकम कितनी है और वह राजसहायता किस प्रकार दी जा रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : कोई वास्तविक राजसहायता नहीं है । लेकिन जिन कारखानों को अधिक मोटरगाड़ियां तैयार करने की सुविधा मिलती है वे स्वाभाविक ही ऊपरी खर्च नहीं लेते जो वे आम तौर से स्थानीय निर्माण पर डालते हैं ।

डा० महेन्द्र प्रताप : क्या हिन्दुस्तान के लोगों की जरूरियात पूरी हो गयी हैं इसलिए देश का माल बाहर भजा जा रहा है। मैं कहता हूं कि हमको अपना माल तब तक बाहर भेजना ही नहीं चाहिए जब तक कि हमारे देश की जरूरियात पूरी न हो जाएं ?

†**श्री मनुभई शाह** : सरकार का ऐसा ख्याल नहीं है । हमने तो जो प्राइम मिनिस्टर का मसेज है उसको जगह जगह छपवा कर रखा है, जिसमें कहा गया है कि जरूरत पड़े तो हमको अपना इस्तैमाल कम करके भी बाहर के लिए निकासी करनी चाहिए ।

†**श्री वी० चं० शर्मा** : मोटरगाड़ियों के सभी हिस्से भारतीय हैं या भारत में बने हुए हैं ? यदि नहीं, तो वे कितने प्रतिशत विदेशों से मंगाये जाते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता । मैंने कई बार सभा पटल पर विवरण रखा है । एक गाड़ी में तो ७६ प्रतिशत देशी पुर्जे हैं । मैंने पहले एक दिन सभा में बताया था कि अगले दो वर्षों में भारत में सभी मोटरगाड़ियों में ८० से ६० प्रतिशत देशी पुर्जे होंगे ।

सुरक्षा उपकरण समिति

+

†*१६२७. { श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या श्रम और रोजगार मंत्री २२ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरक्षा उपकरण समिति और खानों में वायु-संचारण, प्रकाश-प्रबन्ध और खान-योजना सम्बन्धी प्रविधिक समिति ने इस बीच अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इन की मुख्य सिफारिशें क्या है ; और

(ग) उन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) केवल सुरक्षा उपकरण समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की है ।

(ख) खनन उद्योग को आवश्यक सुरक्षा साजसामान और उपकरण उपलब्ध करने की समस्या की बराबर समीक्षा करते रहने के लिए एक स्थायी खान सुरक्षा उपकरण मंत्रणा बोर्ड स्थापित करने की सिफारिश समिति ने की है ।

(ग) रिपोर्ट पर संबंधित हितों की राय जानन के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : मैं ठीक ठीक समझ नहीं पाया । माननीय मंत्री ने सुरक्षा उपकरण समिति के बारे में कुछ कहा । क्या मैं जान सकता हूं कि हवा और रोशनी के बारे में क्या हुआ ?

†श्री ल० ना० मिश्र : वे काम कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक रिपोर्ट पेश नहीं की है लेकिन हम शीघ्र ही उसकी आशा कर रहे हैं ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : पिछली बार माननीय मंत्री ने कहा था, दो या तीन महीने । अब दो और तीन, पांच महिने हो गये हैं । विलंब के क्या कारण हैं ? क्या नंगे भग लैम्प जमीन के अन्दर ले जाने की अनुमति है ?

†श्री ल० ना० मिश्र : उचित हवा आदि मालूम करने के लिए उन्हें कई स्थान देखने पड़ते हैं । कई बार उनकी बैठकें हुई हैं । हम उन्हें रिपोर्ट पेश करने के लिए कहते रहे हैं । चूंकि काम बहुत कठिन है और उन्हें कई प्रकार की खाने देखनी होती हैं, इसलिए समय लगता है ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि उस प्रकार का चिराग अब भी इस्तेमाल किया जा रहा है ?

†श्री ल० ना० मिश्र : वह अब भी इस्तेमाल किया जा रहा है । हम उस लालटेन के प्रयोग को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री त० ब० विट्ठल राव : राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् कब बनायी जाने वाली है ?

†श्री ल० ना० मिश्र : सुरक्षा समिति की सिफारिशों में से एक वह भी है ।

भविष्य निधि में अंशदान की दर

†*१६२८. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री पांगरकर :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २२ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच भविष्य निधि में अंशदान की दर को सवा छः प्रतिशत से बढ़ा कर ८१/३ प्रतिशत करने का अन्तिम निश्चय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी नहीं ।

(ख) इस प्रयोजन के लिए नियुक्त की गयी तकनीकी समिति ने अपनी जांच पड़ताल पूरी कर ली है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : यह तकनीकी समिति अपनी रिपोर्ट संभवतः कब पेश करेगी ?

†**श्री आबिद अली** : वह अभी काम कर रही है । शायद कुछ महिने और लगेंगे ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : पहले एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था जिन एककों के भुगतान करने की क्षमता है उनका पता लगाया जा रहा है और सरकार निर्णय करेगी यदि उद्योग इस बात से सहमत न हो कि उसे कार्यान्वित किया जाना चाहिये । मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई निर्णय किया गया है और क्या सरकार यह कहने की स्थिति में है कि वह वहां कार्यान्वित किया जाना चाहिये ?

†**श्री आबिद अली** : हम समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं । उसके बाद ही कोई निर्णय किया जा सकगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह समिति किस प्रकार की जांच पड़ताल कर रही है ? वह भारत के अन्य भागों के दौरों का उल्लेख करती है या गवाहों को बुलाने का उल्लेख करती है कि उसे इतना समय लग रहा है ?

†**श्री आबिद अली** : उसने मालिकों को, कर्मचारी संगठनों और कारखानों को २० प्रश्नावलियां जारी की हैं और जमशेदपुर, बंगलौर, हैदराबाद, मद्रास आदि जैसे महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा भी किया है और मुझे बताया गया है कि समिति रिपोर्ट के प्रारूप पर विचार कर रही है ।

†**श्री तंगामणि** : यह तकनीकी समिति किन किन उद्योगों को शामिल करती है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि यह सिद्धान्त १९५८ में नैनीताल में मंजूर किया गया था और इतना अधिक विलंब क्यों हुआ ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली** : यह समिति पहली दशा में लोहा और इस्पात, कागज, सिगरेट, बिजली और मशीनों संबंधी या सामान्य इंजीनियरी की वस्तुओं जैसे उद्योगों पर विचार कर रही हैं और दूसरी दशा में वह सीमेन्ट और कपड़ा उद्योगों पर विचार करेगी। यह ठीक है कि एक श्रम-सम्मेलन में यह तय किया गया था कि अंशदान की मात्रा बढ़ायी जानी चाहिये। लेकिन बाद में चल कर यह कठिनाई हुई कि यदि सिफारिश मंजूर की गयी तो शायद कुछ उद्योग बोझ न उठा सकें। इसलिए यह विकल्प अधिक उपयुक्त समझा गया कि पहले यह मालूम कर लिया जाये कि कौन कौन से उद्योग अधिक मात्रा देने के योग्य है और तब उन पर बोझ डाला जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में विमानों द्वारा संभरण

†*१६२९. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण (नेफा) में विमानों द्वारा संभरण करने का ठेका एक गैर-सरकारी विमान कम्पनी को दिया गया है; और

(ख) कम्पनी का नाम क्या है और ठेके की क्या शर्तें हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)** : (क) और (ख). नेफा और नागालैंड में विमानों द्वारा माल पहुंचाने के लिए कलिंग एयरलाइन्स को ठेका दिया गया है।

ठेके की मुख्य शर्तें बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७३]**

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या हमारा प्रतिरक्षा मंत्रालय विमानों द्वारा यह माल पहुंचाने का काम अपने हाथ में लेने के लिए पूरी तरह सुसज्जित नहीं था ? यह ठेका दिया जाने से पहले क्या इस पर भी विचार किया गया था ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां हर चीज, हमारी सेनाएं आदि विमानों द्वारा ले जानी पड़ती हैं, सड़कें बनाने और दूसरी बातों के कारण विमानों द्वारा माल पहुंचाये जाने के कारण प्रतिरक्षा मंत्रालय को बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी। उसके पास इतना साज-सामान या विमान नहीं थे कि वे यह काम शुरू करते। इसी कारण उसने यह ठेका दिया।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : जब यह ठेका दिया गया तब आवश्यक विमानों की संख्या और सालाना खर्च होने वाली रकम पर अवश्य ही विचार किया गया होगा। क्या मैं जान सकता हूं कि कितने कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं और त्रियान्विति के पहले साल में अब तक कितनी रकम दी जा चुकी है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे खेद है कि अभी मेरे पास जानकारी नहीं है।

†**श्री बसुमतारी** : क्या नेफा क्षेत्र के लोग और नागा लोगों से कोई शिकायत आयी है कि यह कम्पनी समय पर अनाज नहीं पहुंचा सकी जिसके कारण उन्हें तकलीफ उठानी पड़ी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जहां तक मुझे ज्ञात है यह कम्पनी अच्छा काम कर रही है। उसके पास बहुत अच्छे प्रशिक्षित विमान चालक हैं जो उस क्षेत्र को जानते हैं। कुछ शिकायतें हो सकती हैं लेकिन अभी मुझे याद नहीं हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि विमान द्वारा खाद्य सामग्री पहुंचाने में भ्रष्टाचार हो रहा है और विमान द्वारा अनाज पहुंचाने का काम करने वाले कुछ लोग, कलिंग एयरवेज के कुछ लोग थोड़ा खाना पहुंचा देते हैं और बाकी हिस्सा "लक्ष्य का पता नहीं" मद में दिखला देते हैं और वह स्थानीय बाजार में बिकता है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच की गयी है ? यह काफी समय से चल रहा है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जब तक किसी निश्चित जगह के बारे में कोई निश्चित शिकायत न हो तब तक मैं कैसे उत्तर दे सकता हूं । यदि कोई निश्चित मामला हो तो हम जांच करेंगे । मैं इस तरह के सामान्य आरोप का उत्तर नहीं दे सकता ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या इस तरह के कोई अपराध अब तक सरकार के ध्यान में लाये गये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जब तक कोई निश्चित उदाहरण उनके सामने नहीं रखे जाते, वे उत्तर देने में असमर्थ हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या कई बार इसी सभा में यह बात सरकार के ध्यान में लायी गयी है कि इस कम्पनी ने विमान-नियमों का उल्लंघन किया है, बहुत ज्यादा माल लादा है और कानून के कई उल्लंघनों के लिये वह उत्तरदायी रही है और इन सब बातों को देखते हुए क्या कारण है कि इस सामरिक महत्व के क्षेत्र में इसी कम्पनी को फिर ठेका दिया गया ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि इस कम्पनी के विरुद्ध इस प्रकार के आरोप हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य भूल रहे हैं । आरोप एक दूसरी कम्पनी के विरुद्ध थे, इस कम्पनी के विरुद्ध नहीं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : यह वही कम्पनी है । इन बातों की जांच करने के लिए एक जांच समिति नियुक्त की गयी थी--काटजू समिति ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : क्या उस कम्पनी का इन्डाकर कम्पनी नहीं था ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : वह कलिंग भी थी ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: वह किसी तरह उससे सम्बन्धित हो सकती है लेकिन वह एक ही नहीं है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : जैसाकि श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने बताया है, काटजू समिति ने इस कलिंग कम्पनी के कई लेन-देनों की जांच पड़ताल की है । क्या यह सच है कि इस क्षेत्र में अनाज पहुंचाते समय यह कम्पनी भारत से चोरी छिपे चीजें लाती है और इसी प्रकार नागालैंड से चीजें ले जाती है । इस कम्पनी के विरुद्ध यह गंभीर आरोप हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जैसाकि मैंने बताया, यदि कोई निश्चित शिकायतें आती हैं तो मैं उसकी जांच करूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह वही कम्पनी है जिसके सम्बन्ध में जांच समिति नियुक्त की गयी थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जहां तक मुझे याद है, वह इन्डामर कम्पनी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री जांच करेंगे (**अन्तर्बाधा**)

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस बात को देखते हुए कि फोक्कर मित्रता . . .

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : असैनिक उड्डयन उपमंत्री इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं ।

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : माननीय सदस्य ने काटजू समिति का उल्लेख किया है। वह समिति असैनिक उड्डयन मह निदेशक, श्री काटजू, की अध्यक्षता में नियुक्त की गयी थी। उसने एक रिपोर्ट पेश की है। इस समिति के निर्णयों के बारे में मैंने इस सभा में एक प्रश्न का उत्तर दिया था। उसमें तस्कर व्यापार आदि का कोई उल्लेख नहीं है। उससे यह मालूम हुआ था कि कुछ नियमों का उल्लघन किया गया है उदाहरणार्थ, कुछ नियमों के विरुद्ध विमानों का उड़ाया जाना। उन्हें इस बारे में चेतावनी दी जा चुकी है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : औचित्य प्रश्न के हेतु श्रीमन्। माननीय उपमंत्री ने अभी अभी बताया कि काटजू समिति की रिपोर्ट पर यहां चर्चा की गयी थी। उस पर कभी चर्चा नहीं हुई है।

†**कुछ माननीय सदस्य** : उन्होंने यह नहीं कहा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : वह अलग बात है मेरा औचित्य प्रश्न यह है। माननीय उपमंत्री ने काटजू समिति का उल्लेख किया। वह तस्कर व्यापार के मामलों की जांच करने के लिए नियुक्त नहीं किया गया था। इस विशिष्ट मामले में मेरी जानकारी यह है कि चूंकि वहां के कांग्रेस प्रमुख श्री विजयानन्द पटनायक इस विशिष्ट विमान कम्पनी के प्रमुख हैं इसलिए यह जनता के पैसे से किया जा रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य मेरी ढिलाई से लाभ न उठायें। वे केवल औचित्य प्रश्न ही कहें, न कि और बहुत सी बातें। उन्हें अपने औचित्य प्रश्न तक ही सीमित रहना चाहिये अन्यथा मैं कोई औचित्य प्रश्न उठाने के लिए अनुमति नहीं दूंगा। यहां कोई औचित्य प्रश्न नहीं है। माननीय मंत्री ने कहा कि उसमें तस्कर व्यापार का कोई उल्लेख नहीं था, केवल कुछ नियमों के उल्लंघन का उल्लेख था। माननीय सदस्य अपनी राय दें ।

†**श्री त्यागी** : उन्होंने मुख्य मंत्री श्री विजयानन्द का नाम लिया था। वे उस समय मुख्य मंत्री नहीं थे (**अन्तर्बाधा**)

†**श्री ब्रजराज सिंह** : क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि इस मामले में जो धारणा देश में उत्पन्न हुई है वह उसे दूर करे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। प्रश्नकाल समाप्त हो गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रेयन से बनी चीजों का निर्यात

†***१६१६. श्री दामानी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६० में रेयन से बनी वस्तुओं के निर्यात की क्या स्थिति थी और इन चीजों के निर्यात का संवर्द्धन करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

वर्ष १९६० में ४६२ लाख रुपये के मूल्य के कपड़े का निर्यात किया गया जबकि वर्ष १९५९ में ३८७ लाख रुपये का निर्यात किया गया था। रेशम और रेयन की वस्तुओं सम्बन्धी निर्यात संवर्द्धन परिषद् रेयन से बने कपड़े के निर्यात को बढ़ाने के लिये विभिन्न पग उठा रही है। इन में से प्रमुख ये हैं। (क) अन्तर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना (ख) विदेशों में कार्यालय खोलना (ग) विदेशों में गहन रूप से प्रचार और (घ) संभावित मंडयों में व्यापार शिष्टमंडल भेजना।

इसके अतिरिक्त, नकली रेशम के कपड़े की निर्यात संवर्द्धन योजना में निर्यातित माल की नौतल-पर्यन्त-निःशुल्क मूल्य के १०० प्रतिशत तक धागे के आयात के समेत विभिन्न प्रोत्साहन योजनायें शामिल हैं। नकली रेशम के कपड़े के निर्यात पर आयात उत्पादन शुल्क में छूट दी जाती है। कपड़े की क्वालिटी को सुनिश्चित करने और आयात की मात्रा निर्धारित करने के लिये कपड़े के निर्यात से पूर्व उसके निरीक्षण की भी व्यवस्था है।

कोरापुट और बस्तर में आदिवासी लोग

†*१६१७. **श्री संगण्णा:** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार को कोरापुट जिला (उड़ीसा) और बस्तर जिला (मध्य प्रदेश) के आदिवासी लोगों और अन्य नेताओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि कृषि योग्य बनायी गयी भूमि के कोटे को २५ प्रतिशत से बढ़ा कर ५० प्रतिशत कर दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

तिब्बत में भारतीय मुसलमान

†*१६१९. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ल्हासा में बहुत से मुसलमानों ने अपने आप को भारतीय नागरिक घोषित किया है और इस बात की मांग की है कि उन्हें भारत भेजा जाये;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में चीन सरकार का रवैया क्या है; और

(ग) भारत सरकार ने उनकी भारत में वापसी के लिए क्या प्रयत्न किये हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) से (ग). यह पता लगा है कि चीनी उद्भव के कुछ मुसलमानों ने भारत जाने की आज्ञा मांगी है। क्योंकि यह बात सुझाने के लिये कोई जानकारी नहीं है कि ये व्यक्ति भारतीय उद्भव के हैं और भारतीय नागरिकता

†मूल अंग्रेजी में

के अधिकारी हैं, भारत सरकार ने इस बारे में चीन सरकार से अभ्यावेदन नहीं किया है । दूसरी ओर, जैसा सभा को ज्ञात है, भारत सरकार ने काश्मीरी उद्भव के मुसलमानों को वापस भेजने के प्रश्न को उठाया है । अब अधिकांश काश्मीरी मुसलमान भारत आ गये हैं ।

पुरुलिया का लाख उद्योग

†*१६२२. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुरुलिया जिले के लाख उद्योग के लिये उसके समाप्त हो जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है क्योंकि उसके उत्पादों की कीमतें अलाभप्रद हैं;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने सिफारिश की है कि राज्य व्यापार निगम को इस उद्योग के सम्पूर्ण उत्पादन को निर्यात के लिए खरीद लेना चाहिए; और

(ग) इस उद्योग को बचाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) पुरुलिया जिले में और देश के अन्य केन्द्रों में लाख उद्योग को वर्तमान आन्तरिक मूल्यों के बहुत कम और अलाभप्रद होने से कठिनाई (समाप्त होने का खतरा नहीं) का सामना करना पड़ रहा है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) इस समय प्रमुख कठिनाई लाख की आन्तरिक और निर्यात मूल्यों में बहुत अन्तर है । आन्तरिक मूल्य निर्यात मूल्य से बहुत कम हैं । इस कारण उत्पादकों ने सरकार से अभ्यावेदन किया है कि निर्यातक अनुचित लाभ कमा रहे हैं जबकि उनके मूल्य बहुत कम और अलाभप्रद हैं । पुरुलिया में एक विद्यमान फार्म समेत एक राज्य ब्रूड लाख फार्म खोलने में उत्पादकों और निर्माताओं की क्षमता को बढ़ाने में पश्चिम बंगाल सरकार ने कई पग उठाये हैं और उसी जिले में चार फार्म और खोले जाने वाले हैं । इसके अतिरिक्त, पुरुलिया में ऋणसुविधायें दी गयी हैं और उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम वहां तक लागू कर दिया गया है । हाल ही में भारतीय लाख निर्यातक संस्था द्वारा एक बड़ी भंडार योजना चालू की गयी है जिसका उद्देश्य इस व्यापार में अधिक क्रय-शक्ति और धारण-शक्ति उत्पन्न करने से है ।

रेयन के कपड़े का निर्यात

†*१६३०. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिल्क, रेयन और नाइलान के कपड़े के निर्यातकों ने यह प्रस्थापना पेश की है कि रेयन के कपड़े सम्बन्धी मौजूदा निर्यात प्रोत्साहन योजना का निर्यातकों के पक्ष में पुनरीक्षण किया जाये;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इन मांगों के बारे में सरकार का क्या रवैया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७४]**

अमृतसर में छोटे पैमाने का ऊनी कपड़ा उद्योग

†*१६३१. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री चुनी लाल :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊनी वर्स्टेड धागे की कीमतों में असाधारण वृद्धि होने के कारण अमृतसर में १०० छोटे कारखानों के बन्द हो जाने और कुछ और कारखानों के बन्द होने की संभावना के परिणामस्वरूप वहां के छोटे पैमाने के ऊनी कपड़ा उद्योग के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो ऊनी वर्स्टेड धागे की कीमतों में स्थिरता लाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). अमृतसर के छोटे पैमाने के ऊन निर्माता संघ ने अभ्यावेदन किया है कि वर्स्टेड धागे के मूल्य में वृद्धि से उन पर बुरा असर पड़ा है और परिणामस्वरूप कई कारखाने बन्द हो गये हैं । ऊनी और वर्स्टेड धागे के उचित मूल्य निर्धारित करने का प्रश्न प्रशुल्क आयोग को सौंपा जा चुका है । कपड़ा आयुक्त भी यह पता लगाने के लिये आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं कि उचित मूल्यों पर धागे के संभरण को सुनिश्चित करने के लिये क्या पग उठाये जायें । इतने समय में यह आशा की जाती है कि ऊनी और वर्स्टेड धागे के कताई करने वालो द्वारा स्वेच्छा से निर्धारित मूल्य से इस कठिनाई में कमी आयेगी ।

निर्यातकों के नाम दर्ज करना

†*१६३२. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री बी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दामानी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यातकों की सूची बनाने की योजना का प्रारूप तैयार किया जा चुका है और उसे मंजूरी दे दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) और (ख). आदर्श योजना सरकार ने मंजूर कर ली है । इसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २८६१/६१]** डी० जी० सी० आई० एस०, विभिन्न निर्यात संवर्द्धन परिषदों और वस्तु बोर्डों को इसे क्रियान्वित करने को कहा गया है यदि उनके व्यापार की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, उन्हें अपनी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये किसी संशोधन का सुझाव नहीं देना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कपड़ा मजूरी बोर्ड

†*१६३३. **श्री पांगरकर :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २२ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़ा मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के बारे में इस बीच और क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इनको अब तक कितने कपड़ा कारखानों में क्रियान्वित किया जा चुका है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क),इन सिफारिशों को ३२ और मिलों ने कार्यान्वित किया है ।

(ख) ३७६ (३१६ पूर्णतः और ६० अंशतः) ।

छतरियों का निर्यात

†*१६३४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छतरियों के निर्यात में अक्तूबर से दिसम्बर, १९६० तक की तिमाही में पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए निर्यात की तुलना में काफी कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों तिमाहियों में किये गये निर्यात के आंकड़े क्या हैं; और

(ग) इस कमी के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) और (ख). अक्तूबर-दिसम्बर, १९६० की तिमाही में ६७,००० रुपये की मूल्य के १७०४ दर्जन छतरियों का निर्यात हुआ । जब कि १९५९ की इसी तिमाही में यह निर्यात ४,१५,००० रुपये के मूल्य की १२,१७७ दर्जन छतरियों का हुआ था ।

(ग) देशीय उत्पादन के विकास के परिणामस्वरूप, छतरी की ताड़ियों का आयात करके छतरियों के निर्यात की इच्छा को जारी नहीं रखा गया ।

नंगल उर्वरक कारखाना

†*१६३५. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नंगल उर्वरक कारखाने में केवल एक 'कम्प्रेसर' के चालू होने के कारण इस कारखाने के काम में बाधा पड़ गयी है; और

---

†मूल अंग्रजी में

(ख) यदि हां, तो (१) 'कम्प्रेसर' सम्बन्धी खराबी और (२) अन्य कारणों से उत्पादन में कितनी हानि होगी और उसे किस प्रकार पूरा किया जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

अधिष्ठापित क्षमता के पूरे उपयोग के लिये कारखाने को तीन हाईपर कम्प्रेशर चाहियें । अब तक दो कम्प्रेशर लगा दिये गये हैं और तीसरा मार्ग में क्षतिग्रस्त हो गया था । वह फ्रांस में संभरणकर्त्ताओं को वापस भेज दिया गया है । अतः इस समय कारखाने की केवल दो-तिहाई अधिष्ठापित क्षमता का ही उपयोग किया जा सकता है । तथापि इस समय पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं है और परिणामस्वरूप तीसरे कम्प्रेशर के लगाने में विलम्ब के कारण उत्पादन को हानि नहीं हुई है ।

कुल १६४,००० क्विलोवाट की आवश्यकता में इस समय केवल ६०,००० किलोवाट बिजली का उत्पादन हो रहा है । इत्तुगतरंगित समुद्र के कारण जो हानि होती है, वह दैवी आपत् समझी जाती है । और इसलिये क्षतिपूर्ति का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारतीय राष्ट्रजनों का अपहरण

†३५१४. { **श्री पांगरकर** :
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, १९६० के बाद से भारत-पश्चिम पाकिस्तान सीमा पर से पाकिस्तानियों द्वारा कितने भारतीय राष्ट्रजनों का अपहरण किया गया;

(ख) उनमें से अब तक कितने छोड़े जा चुके हैं; और

(ग) उनमें से बाकी व्यक्तियों को छुड़ाने के बारे में क्या कार्यवाही की गयी है?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) नवम्बर, १९६० से मार्च, १९६१ तक की अवधि में भारतीत पश्चिम पाकिस्तान सीमा पर किसी भारय राष्ट्रजन का अपहरण नहीं किया गया ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

जापान और आस्ट्रेलिया के लिये पारपत्र

†**३५१५. श्री पांगरकर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५९–६० और १९६०–६१ में जापान और आस्ट्रेलिया के दौरे के लिये कितने भारतीयों को पारपत्र जारी किये गये ?

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : वर्ष १९५९–६० और १९६०–६१ में (३१ जनवरी, १९६१ तक) जापान और आस्ट्रेलिया के लिये पारपत्र और एन्डोर्समेन्ट जारी किये गये भारतीयों की संख्या निम्न प्रकार है :

	१९५९-६०	१९६०–६१ (३१-१-६१ तक)
जापान	४१७०	५००५
आस्ट्रेलिया	२२०२	३१५६

पाकिस्तान से प्रव्रजन

†३५१६. **श्री पांगरकर :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६०–६१ में पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजित गैर-मुस्लिममों की क्या संख्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : वर्ष १९६०–६१ की अवधि में, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से १५,०४४ व्यक्ति भारत आये हैं ।

सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७५]**

उद्योगों में ठेका श्रमिकों का सर्वेक्षण

†३५१७. **श्री पांगरकर :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २५ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ७८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांच चुने हुए उद्योगों में ठेका श्रमिकों की दशा के बारे में शिमला के श्रम विभाग के निदेशक द्वारा किये गये सर्वेक्षण की रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) और (ख). प्राप्त चार प्रतिवेदनों को अगले भारतीय श्रम सम्मेलन के समक्ष रखने की प्रस्थापना है ।

कुन्नूर में घड़ियों का कारखाना

†३५१८. **श्री नंजप्प** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री मद्रास राज्य में नीलगिरी में कुन्नूर स्थान पर स्थापित किये जाने वाले घड़ियों के कारखाने के सम्बन्ध में १६ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्य ९१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस कारखाने के पुरोनिधायकों के क्या नाम हैं;

(ख) इस में कितनी पूंजी लगेगी; और

(ग) कारखाने में उत्पादन कब से होने लगेगा ?

---

†मूल अंग्रजी में

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) यह परियोजना मेसर्स आशिकाटा६म इन्डस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई के नाम से एक कम्पनी द्वारा क्रियान्वित की जायेगी।

(ख) ५० लाख रुपये।

(ग) इस कारखाने में इस वर्ष के अन्त में या अगले वर्ष में के आरम्भ में उत्पादन आरम्भ होगा।

भारतीय ढोरों का निर्यात

†३५१९. श्री वें० प० नायर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय ढोरों के निर्यात में बहुत कमी हो गई है जैसा कि पिछली पशु गणना की वर्ष १९५६ की रिपोर्ट, खंड एक पृष्ठ २५ से स्पष्ट है;

(ख) स्थिति को सुधारने के लिये क्या कोई उपाय किये गये हैं; और

(घ) क्या श्रीलंका, मलाया, सिंगापुर, आदि को निर्यात बढ़ाने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :(क) वर्ष १९५५ की अपेक्षा वर्ष १९५६ में ढोरों का निर्यात कम हुआ।

(ख) और (ग). निर्यात में, जिस की पहले थोड़ी संख्या में आज्ञा दी जाती थी, अब ढील दे दी गई है। राष्ट्रीय पशुधन समिति ने एक विक्रय सूचना सेवा खोली है। भारत से पशु खरीदने में विदेशी क्रेताओं को अभिरुचित करने के ख्याल से समिति ने विश्व कृषि मेले में एक पशुधन पैवेलियन लगा कर भाग लिया और भारतीयों ढोरों की प्रमुख और निर्यात के योग्य नस्लों के बारे में एक पुस्तिका परिचालित की।

पंजाब का औद्योगिक विकास

†३५२०. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६०–६१ में पंजाब सरकार को राज्य के औद्योगिक विकास के लिये कुल कितनी धनराशि का अनुदान दिया गया है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : ६३.४५ लाख रुपये।

पंजाब के बारे में प्रलेखीय चलचित्र

†३५२१. श्री दी० चं० शर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री १६ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १९१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के बारे में प्रलेखीय चलचित्र बनाने में और क्या प्रगति हुई है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : शूटिंग आरम्भ करने का प्रश्न विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रजी में

पंजाब में स्थानीय विकास कार्य योजना

†३५२२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार ने पंजाब को स्थानीय विकास-कार्य योजना के अधीन कितनी वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) उपरोक्त अवधि में राज्य सरकार के पास कितनी रकम बिना खर्च की गयी पड़ी है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) द्वितीय योजना के दौरान पंजाब राज्य को कुल ७३.६६ लाख रुपये का आवंटन किया गया ।

(ख) द्वितीय योजना-काल (१९५६–५७ से १९५९–६०) के प्रथम चार वर्षों में राज्य सरकार के पास १४.१६ लाख रुपये की रकम बकाया थी । वर्ष १९६०–६१ अभी समाप्त हुआ है, राज्य सरकार को व्यय के आंकड़े देने में कुछ समय लगेगा जो विभिन्न जिला अधिकारियों से एकत्रित किये जान हैं ।

पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों के लिये शिक्षा

†३५२३. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९४७ से १९६० तक पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों के लिये सभी प्रकार की शिक्षा पर वार्षिक कितनी धनराशि खर्च की गयी है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : वर्ष १९६०–६१ के अन्त तक पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों की शिक्षा के लिये मंजूर की गई कुल धनराशि निम्न प्रकार है :

(रुपये लाखों में)

१. इमारत बनाने और उपकरण खरीदने के लिये शिक्षण संस्थाओं को पूंजी अनुदान	४०७.७६
२. विस्थापित व्यक्तियों को अधिछात्रवृत्ति, पुस्तक अनुदान और ट्यूशन फीस	६२५.००
३. कालिजों पर आवर्त्ती व्यय	४०.००
४. प्राइमरी स्कूलों पर आवर्ती व्यय	२२७.००
५. शिक्षक प्रशिक्षण	१४.४०
६. शिविरों में शिक्षा	१४८.८०
कुल	१४६२.९६

वार्षिक आधार पर व्यय के आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं । इस जानकारी को इकट्ठा करने में जो समय व श्रम लगेगा वह प्राप्त परिणामों के अनुरूप नहीं होगा ।

संयुक्त राष्ट्र कमान में भारतीय सैनिक

†३५२५. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र कमान में काम करने के लिये विभिन्न विदेशों में भेजे गये भारतीय सैनिकों और अन्य व्यक्तियों की क्या संख्या है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन को देशवार क्या कार्य सौंपा गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवहारलाल नेहरू)**: (क) और (ख). भारतीय सशस्त्र बलों के सैनिकों ने अब तक चार संयुक्त राष्ट्र संचालनों में निम्नलिखित संख्या में और निम्नलिखित कार्यों के लिये भाग लिया :

(१) अगस्त, १९५३ और मार्च, १९५४ के बीच ६११२ अफसरों और सैनिकों ने कोरिया में काम किया। इन में से ३३१ क्षत्रीय एम्बुलेंस यूनिट में थे। २३२ ने तटस्थ राष्ट्र स्वदेश-प्रत्यावर्तन आयोग में काम किया जो कोरियाई युद्ध में दोनों ओर से बनाये गये युद्ध बन्दियों को अपने अपने स्वदेश भेजने के लिये उत्तरदायी था और ५५४९ व्यक्तियों ने भारतीय कस्टोडियन बल में कार्य किया जिस ने युद्ध बन्दियों कों संभाला और स्वदेश-प्रत्यावर्तन आयोग के क्रियाकारी एजेन्ट के रूप में कार्य किया ।

(२) वर्ष १९५८ में लेबनान की सरकार के सुरक्षा परिषद् में अनुरोध पर, यह सुनिश्चित करने के लिये कि लेबानी सीमा से कोई व्यक्ति अवैध रूप से न आ जा सके, अथवा शस्त्रों का संभरण न कर सके, अथवा अन्य सामान न भेज सके। लेबनान में एक संयक्त राष्ट्र प्रेक्षक दल स्थापित किया गया। इस दल में जून और दिसम्बर, १९५८ के बीच ७१ भारतीय सेना के अधिकारियों ने कार्य किया ।

(३) नवम्बर, १९५६ से एक संयुक्त राष्ट्र आपात बल संयुक्त अरब गणराज्य में गाज़ा में भेजा गया है। यह बल वहां प्रथम तो युद्ध-विराम कराने और काहिरा पर आक्रमण के बाद आंग्ल-फ्रांसीसी और इजराइली फौजों की वापसी कराने और अन्त में युद्ध विराम सन्धि सीमांकन रेखा के साथ संयुक्त अरब गणराज्य और इजराइल में युद्ध-विराम संधि का उल्लंघन रोकने के लिये वहां गया था। इस आपात बल में आरम्भ से ही एक भारतीय सैनिक दस्ता भी था जिस में समय समय पर व्यक्ति बदलते रहते थे। फरवरी, १९६१ के अन्त में इस बल में सभी रैंकों के १२५५ व्यक्ति काम कर रहे थे ।

इस के अतिरिक्त आपात बल के कमाडर के रूप में कार्य करन के लिय लेफ्टिनेंट जनरल पी० एस० ग्यानी की सेवायें संयुक्त राष्ट्र को सौंपी गयी हैं।

(४) सुरक्षा परिषद् के आदेशों के अनुसार कांगों में संयुक्त राष्ट्र के कार्य-संचालन में सहायता के लिये कांगों में एक संयुक्त राष्ट्र सेना भेजी गयी है। जुलाई, और अक्तूबर, १९६० के दौरान संयुक्त राष्ट्र कमान में काम करने के लिये भारत से सभी रैंकों के कुल ७८३ व्यक्ति भेजे गये। इस के अतिरिक्त फरवरी, १९६१ से संयुक्त राष्ट्र कमान में काम करने के लिये एक ब्रिगेड दल भेजा जा रहा है। इस दल में कुल ४८४४ अफसर और सैनिक हैं और उन में से कुछ को विमान द्वारा भेज दिया गया है और बाकियों को भेजा जा रहा है ।

इस के अतिरिक्त, ब्रिगडियर आर० जे० रिखये की सेवायें, कांगों के मामले में संयुक्त राष्ट्र महा-सचिव के सैनिक परामर्शदाता के रूप में काम करने के लिये, संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंपी गयी हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चावल की भूसी का निर्यात

†३५२६. श्री रा० च० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० में चावल की भूसी के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई; और

(ख) चावल के भूसे के निर्यात की हमारी वर्तमान क्षमता क्या है और वास्तव में हम कितना निर्यात करते हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) १९ लाख रुपये ।

(ख) चावल की भूसी का उत्पादन, जो बहुमूल्य ढोर-चार है, देश की मांग पूरी करने के लिये पर्याप्त नहीं है । फिर भी विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिये कुछ निर्यात किया जाता है । वर्ष १९६० के दौरान १२००० टन चावल के भूसे का निर्यात किया गया ।

पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति

†३५२७. श्री अजित सिंह सरहदी : क्या पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को पश्चिम बंगाल सरकार के जरिये पुनर्वास कार्य के लिये दिये गये ऋण में से अब तक कितनी रकम वसूल कर ली गयी है; और

(ख) अभी कितनी रकम बकाया है ?

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) नवम्बर, १९६० तक ६४.७२ लाख रुपये ।

(ख) ३१ मार्च, १९५९ को १२.६८ करोड़ रुपये वसूल किये जाने थे ।

पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति

†३५२८. श्री अजित सिंह सरहदी : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) इस बात को सुनिश्चित करने के लये कि क्या ऋण लेने वाले उद्योगों ने, जिन्होंने पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार देने का वचन दिया है, ऋण की शर्तों के अनुसार रोजगार दिया है; और

(ख) यदि यह शर्त नहीं मानी गयी और रोजगार नहीं दिया गया, तो ऋण वापस लेने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ।

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). सम्बन्धित राज्य सरकारें, जिन के जरिये ऋण दिये गये हैं, ऋण लेने वाले उद्योगों द्वारा विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार देने की प्रगति पर निरन्तर निगरानी रखते हैं और समय समय पर स्थिति का अवलोकन करते

---

†मूल अंग्रेजी में

रहते हैं। कुछ प्रारम्भिक कठिनाइयों, जैसे कच्चे माल का अनियमित और अनिश्चित संभरण, रोजगार संभावना का अधिमूल्यांकन, आवास की कमी आदि, के कारण सभी मामलों में रोजगार का लक्ष्य पूरा नहीं किया गया है। तथापि, ऋण की रकम को वापस मांगना उचित नहीं समझा गया। क्योंकि उस से कई उद्योग बन्द हो जाते जो देश और विस्थापित व्यक्तियों के हित में नहीं हैं। यह आशा की जाती है कि उद्योग कुछ समय बाद इन कठिनाइयों पर काबू पा लेंगे। और वास्तविक आधार पर पुनर्मूल्यांकित रोजगार के लक्ष्य को पूरा कर लेंगे।

आसाम म पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति

†३५२९. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार देने के लिये छोटे उद्योग स्थापित किये हैं या कोई आरम्भ किया है;

(ख) क्या इस काम के लिये केन्द्रीय सरकार न कोई सहायता दी है और

(ग) यदि हां, तो कितनी सहायता दी गई है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :** (क) से (ग). आसाम सरकार पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार देने के लिये कछार जिले में तीन औद्योगिक योजनाओं को कार्यान्वित करने का विचार रखती है। इस काम के लिये भारत सरकार ने आसाम सरकार को २९.१० लाख रुपये का ऋण मंजूर किया है।

इस के अतिरिक्त आसाम सरकार ने विस्थापित लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से उद्योग स्थापित करने के लिये २१० लोगों को ४.५० लाख रुपये के ऋण मंजूर किये हैं।

विज्ञापन तथा प्रचार निदेशालय

†३५३०. { **श्री अ० मु० तारिक :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५७, १९५८, १९५९ और १९६० के लिये विज्ञापन तथा प्रचार निदेशालय ने कितना व्यय किया है :

(ख) क्या मितव्ययता की कोई गुंजाइश है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) विज्ञापन तथा दृष्य प्रचार के निदेशालय ने १९५७-५८, १९५८-५९, १९५९-६० और १९६०-६१ में इतना वास्तविक खर्च किया है :

	रुपये
१९५७–५८	७९३९०२७
१९५८–५९	१०६५०४५७
१९५९–६०	१०९४५१२६
१९६०–६१	८८०९४००
(२८-२-१९६१ तक)	(विभागीय आंकड़े)

(आंकड़े वित्तीय वर्षों के लिये रखे गये हैं पत्री वर्षों के लिये नहीं।)

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). मितव्ययता के सब उपाय किये जा रहे हैं। विभाग के व्यय के लिये उपबन्ध अनुमोदित कार्यक्रम के आधार पर किया जाता है। कर्मचारियों और व्यय के अन्य मदों संबंधी प्रस्तावों की छानबीन मितव्ययता समिति द्वारा की जाती है और जब संभव होता है वहां मितव्ययता के उपायों द्वारा व्यय को काबू में रखा जाता है। एक एक समाचारपत्र के साथ बातचीत के परिणामस्वरूप, उन से विज्ञापन के रियाय ती दर प्राप्त किये जाते हैं। विज्ञापन देना कम से कम किया जाता है।

प्रधान सूचना पदाधिकारी

३५३१. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५० के पश्चात् प्रधान सूचना पदाधिकारी (प्रिंसिपल इन्फर्मेशन अफसर) के पद पर जो व्यक्ति नियुक्त किये गये उन के नाम और वेतन क्या थे और वे कितने कितने समय तक इस पद पर रहे; और

(ख) वर्तमान प्रधान सूचना पदाधिकारी की नियुक्ति कब और कितने वतन पर हुई और इस समय वे कुल कितना वेतन पा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है।

विवरण

प्रधान सूचना अफसर

प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो

क्रम संख्या	नाम	अवधि	वेतन जो लिया गया
१.	श्री बी० एल० शर्मा	१-२-४९ से १८-९-५० तक	२०००/- रुपये प्रति मास
		१०-४-५१ से २१-८-५२ तक	२०००/- रुपये प्रति मास
		१५-९-५२ से ३-३-५४ तक	२०००/- रुपये प्रति मास
२.	श्री एम० एल० भारद्वाज	१५-१२-५० से ९-४-५१ तक	१३००/- रुपये + २००/- रुपये विशेष वेतन
		२२-८-५२ से १४-९-५२ तक	"
		५-३-५४ से ८-११-५४ तक	१६००/- रुपये
		९-११-५४ से १८-१०-५५ तक	१७००/- रुपये
		६-६-५८ से ९-७-५८ तक	१८००/-रुपये + १०० रुपये अतिरिक्त वेतन। (इस अवधि में श्री टी० आर० बी० चारी प्रधान सूचना अफसर अवकाश पर थे। श्री भारद्वाज ने अपने पद भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के अलावा प्रधान सूचना अफसर के पद पर भी कार्य किया)

†मूल अंग्रेजी में

क्रम संख्या	नाम	अवधि	वेतन जो लिया गया
		१३-१०-५८ से ११-१-५९ तक	१८००/- रुपये १०० रुपये अतिरिक्त वेतन । (इस अवधि में श्री टी० आर० वी० चारी एक विशेष कार्य अर्थात् सूचना और प्रसारण मंत्रालय में विशेष कर्तव्य पदाधिकारी पद पर थे। श्री भारद्वाज ने अपने पद भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के अतिरिक्त प्रधान सूचना अफसर के पद पर भी कार्य किया)
३.	श्री टी०आर०वी० चारी	१९-१०-५५ से १८-१०-५६ तक	१९००/ - रुपये प्रति मास
		१९-१०-५६ से ५-६-५८ तक	२०००/- रुपये प्रति मास
		१०-७-५८ से १२-१०-५८ तक	२००० - रुपये प्रति मास
		१२-१-५९ से अब तक	२०००/- रुपये प्रति मास

ग्राम आवास परियोजना योजनाएं

†३५३२. **डा० विजय आनन्द** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० और १९६१ में समूचे भारत भर में, ग्राम आवास परियोजना योजना के अन्तर्गत कितने मकान बनाये जा चुके हैं ; और

(ख) आन्ध्र प्रदेश में कितनी राशि खर्च की गई थी तथा अब तक कितने मकान तैयार हो चुके हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चंदा)** : (क) सूचना राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) तीन वर्ष पूर्व इस योजना के लागू होने से लेकर आन्ध्र प्रदेश सरकार ने ३६.६४ लाख रुपये की कुल राशि में से ८.७८ लाख रुपये तक ऋण लाभ उठाने वाले लोगों को २८ फरवरी, १९६१ तक दिये थे । उस तिथि तक लगभग ३२५ मकानों के पूर्ण होने की सूचना मिली है ।

प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन

३५३३. **श्री विभूति मिश्र**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में देश को विदेशी व्यापार से २१ अरब रुपये का घाटा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) दूसरी पंचवर्षीय योजना की पूरी अवधि के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। फरवरी, १९६१ को समाप्त होने वाली अवधि में देश का १६७१ करोड़ रुपये का प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन रहा।

(ख) यह प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन प्रमुख रूप से पूंजीगत वस्तुओं, औद्योगिक सामान तथा खाद्यान्नों के भारी आयात के कारण हुआ है।

निर्यात

†३५३४. **श्री कालिका सिंह :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९४८ से लेकर प्रति वर्ष भारत के निर्यात व्यापार का अंश धीरे धीरे गिर रहा है और जैसा कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सांख्यकी १९५८ के संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष पुस्तक में लिखा है, यह २.६ प्रतिशत से १९५८ में गिर कर १.३ प्रतिशत रह गया है ;

(ख) यदि हां, तो धीरे धीरे इसके गिरने के क्या कारण हैं ;

(ग) गिरावट को रोकने और प्रतिशत अंश को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्त में इस बारे में क्या आशा है ;

(ङ) क्या काफी वृद्धि करने का विचार किया गया है ; और

(च) प्रतिशत बढ़ाने के क्या तत्व सहायक होंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) हां, श्रीमान। तथापि इन वर्षों में भारत के निर्यात में सर्वथा वृद्धि हुई है। भारत के निर्यात का मूल्य १९४८–४९ में ४५९ करोड़ रुपये से बढ़ कर और १९४९–५० में ५०६ करोड़ रुपये से बढ़ कर १९५९–६० में ६३९ करोड़ रुपये हो गया है और अनुमान है कि यह १९६०–६१ में ६४४ करोड़ रुपये हो जाएगा।

(ख) से (घ) तीसरी पंचवर्षीय योजना की प्रारूप रेखा में इन मामलों पर चर्चा और व्याख्या की जा चुकी है।

(ङ) और (च) तीसरी योजना की अवधि में भारत के निर्यात में वृद्धि होने की आशा की जाती है, कुल विश्व निर्यात में भारत के प्रतिशत अंश की पूर्व घोषणा नहीं की जा सकती।

अमरीका के साथ प्रतिकूल व्यापार संतुलन

†३५३५. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ से लेकर अमरीका के साथ भारत का किस मात्रा तक प्रतिकूल व्यापार संतुलन रहा है और उन विशिष्ट वर्षों में इसके क्या विशेष कारण हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अमरीका के साथ प्रतिकूल व्यापार संतुलन को बढ़ने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) संगत भारत अमरीकी व्यापार आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :—

(लाख रुपयों में)

	१९५८	१९५९	१९६०
आयात	१६१४६	२१७८५	२४००२
पुनर्निर्यात समेत निर्यात	८१६८*	९५२४	१०१६४
व्यापार संतुलन	(—)७९७८	(—)१२२६१	(—)१३८३८

*इसमें १९.४८ करोड़ रुपये की लागत की अमरीका को भेजी गई चांदी का मूल्य शामिल नहीं है ।

१९५८ से अमरीका को निर्यात बढ़ा है । तथापि आयात में बहुत वृद्धि हुई है क्योंकि पी० एल ०-४८० के अन्तर्गत खाद्यान्नों और दूसरी कृषि जन्य वस्तुओं का भारी आयात किया गया था ।

(ख) जब तक भारत में पी० एल०-४८० के अन्तर्गत खाद्यान्न का भारी आयात जारी रहेगा, प्रतिकूल व्यापार संतुलन के काफी घटने की कोई संभावना नहीं है ।

सीरे का निर्यात

†३५३६. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में कोई सीरा प्रयोग में लाने वाले उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इन उद्योगों के नाम, स्थान और क्षमता क्या हैं ; और

(ग) कितने सीरे का वार्षिक निर्यात किया जाता है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) मद्यसार या दूसरे उत्पाद बनाने के लिये सीरे का उपयोग करने के लिये तीसरी योजना अवधी में अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने का लाइसेंस दिया गया है ।

(ख) विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७६]**

(ग) विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७७]**

मीट्रिक माप

†३५३७. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में जनता की प्रतिशतता में मीट्रिक माप योजना के प्रसार में अधिक अन्तर होने के क्या कारण हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उत्तर प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा में सात प्रतिशत और कम जनता में इसके प्रसार होने तथा बिहार की जनता में ५२·१५ प्रतिशत तक प्रसार होने के विशिष्ट कारण क्या हैं ;

(ग) उपरोक्त प्रतिशतताओं में समानता लाने के लिये क्या कर्यावाही की जा रही है ;

(घ) क्या बिहार की ग्रामीण जनता को इस परिवर्तन के कारण कठिनाई अनुभव हो रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो किस प्रकार की कठिनाई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) प्रारम्भिक स्तर पर मीट्रिक बाटों को अनिवार्य रूप से चालू करने के लिये राज्य सरकारों ने अपने राज्यों के क्षेत्र निश्चित किये थे। उन क्षेत्रों की मात्रा उस पहले की कार्रवाई पर निर्भर थी जो प्रत्येक राज्य ने मीट्रिक प्रणाली जारी करने के लिये की थी और उनके बाट तथा माप संगठनों के कर्मचारियों की संख्या पर निर्भर थी।

(ख) बिहार में बहुत समय से एक बाट तथा माप (पालन) संगठन था तथा मीट्रिक प्रणाली के लागू किये जाने से भी पहले स्टैंडर्ड मापों को लागू किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में मीट्रिक प्रणाली के लागू किये जाने से पहले स्टैंडर्ड बाट लागू नहीं किये गये थे। बम्बई के संयुक्त राज्य में, जिसका एक भाग गुजरात था, बहुत समय से एक प्रवर्त्तन संगठन था, किन्तु बम्बई सरकार ने सब से पहले गुजरात में केवल अहमदाबाद, बड़ौदा और राजकोट नगरों में मीट्रिक बाटों के लागू किये जाने का सुझाव दिया।

(ग) मीट्रिक बाटों का उपयोग १–४–१९६२ से समूचे देश भर में अनिवार्य हो जाएगा ?

(घ) और (ङ) बिहार से ऐसी कोई सूचना नहीं आई कि परिवर्तन से वहां की ग्रामीण जनता को कोई कठिनाई अनुभव हो रही है।

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति

†३५३८. **श्री दशरथ देव** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में अभी कितने विस्थापित व्यक्तियों को और बसाना है ;

(ख) पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिये क्या सक्रिय कार्रवाई की जा रही है ; और

(ग) यह पुनर्वास कार्य कब पूरा हो जाने की संभावना है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) लगभग २०००;

(ख) उनके पुनर्वास की योजना पहले ही मंजूर की जा चुकी है।

(ग) १९६१–६२ के अन्त तक।

पत्रिकाओं का आयात

†३५३९. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ विदेशी पत्रिकाओं को, जो अश्लील बताई जाती हैं, भारत में आने से रोकने के लिए क्या कार्यवाई की गई; है और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) किन किन पत्रिकाओं के क्या नाम हैं जिनके लिये आयात लाइसेंस नहीं दिये जाते ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी की गई है जिस में अन्य चीजों के साथ साथ किसी समाचार पत्र, पुस्तक या अन्य दस्तावेज पर प्रतिबंध लगाया गया है जिन में ऐसे शब्द, चिन्द या दृष्टि में आने वाली चीज़ हों जो अत्यन्त अशिष्ट, या गन्दी या अशलील हैं या जिनका उद्देश्य धमकी देकर बुरा काम करवाना है। इस के अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत वैधानिक उपबंध विद्यमान है जिसका आशय इस प्रकार के साहित्य के आयात को अच्छी तरह से दबाना है।

(ख) 'ब्यूटी पैरेड' 'विल्क प्रौलीज़', 'गाला फौलिक', 'डयूड', 'नजट', 'जैंट', 'सन-बेदिंग', 'नैचरिस्ट', 'पैरिस होलीवुड', 'पैरिस कौकटेल', 'पैरिस पैरेडाइज़', 'आफ्टर डार्क', 'बैचलर', 'फिगर', 'हिटपैरेड', 'कैबेरेट', 'केपर', 'एस्केपेड', 'मैन', 'ग्लेमर पैरेड,' 'प्ले बुआए', 'टोंग', 'स्कैम्प', 'सर', 'स्वेंक', 'शी ऐंड व्यू'।

पूर्व पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति

†३५४०. श्री स० मो० बनर्जी : क्या पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व पाकिस्तान के विस्थापित लोगों को, जो पश्चिम बंगाल से बाहर बसे हैं और जिन्होंने सरकार से कोई सहायता मांगी है, यदि वे मकान बनाना चाहें तो मकान बनाने के लिये वित्तीय सहायता दी जाएगी;

(ख) क्या उन में से कुछ लोगों ने ऐसी प्रार्थना पहले ही कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (ग). अभी हाल में कोई प्रार्थना नहीं की गई। इतने वर्षों के बाद किसी प्रार्थना पर विचार भी किये जाने की गुंजाइश नहीं है। ये लोग अब राज्य की सामान्य जनता का अंग हैं और उस राज्य में रहने वाले अन्य लोगों के समान विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत आवास ऋण मांगने के लिये राज्य सरकार से प्रार्थना कर सकते हैं।

कलिंगा इन्डस्ट्रीज लिमिटेड

†३५४१. श्री प्र० क० देव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलिंगा इन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड ने बहुत वर्षों से वर्कशाप की इमारत के लिये उड़ीसा सरकार को किराया नहीं दिया है;

(ख) क्या उस ने उड़ीसा राज्य सरकार को बिजली का खर्च भी नहीं दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो कितने वर्षों का किराया और बिजली के शुल्क अभी तक नहीं दिये गये और कुल कितनी राशि देनी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या राज्य सरकार ने **प्रमाण-पत्र कार्यवाही** आरम्भ कर दी है ,

(ङ) यदि हां, तो किस तिथि से और यदि नहीं तो उस का क्या कारण है; और

(च) क्या यह सच है कि राज्य सरकार ने वर्कशाप की इमारत को खाली करने के लिये इस फर्म को नोटिस दे दिया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग) सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और अपेक्षित सूचना का विवरण यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

कलिंगा इन्डस्ट्रीज लिमिटेड

†३५४२. **श्री प्र० क० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलिंगा इन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड में उड़ीसा सरकार ने कितने साधारण और अधिमानीय अंश हैं और कितने मूल्य के;

(ख) ये अंश कब प्राप्त किये गये थे; और

(ग) यदि इन पर कोई लाभांश मिलता है तो वार्षिक लाभांश कितना है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख) उड़ीसा राज्य सरकार के पास २०० साधारण (साम्य) अंश हैं जो प्रत्येक १०० रुपये का हेर तथा जो पूर्णतया आहूत हैं और २८०० ५% संचयी मोल्य (कर मुक्त) अधिमानीय अंश हैं जो प्रत्येक १०० रुपये का है तथा पूर्णतया आहूत है । उपरोक्त दोनों श्रेणियों के अंश २६ जनवरी, १९४९ तथा २५ अक्तूबर, १९४९ को क्रमशः राज्य सरकार को आवंटित किये गये थे ।

(ग) उड़ीसा सरकार के अधिमानीय अंशों पर ३१ मार्च १९५९ तक लाभांश की बकाया राशि १,३२,०२१.९२ रुपय थी जो कंपनी द्वारा निदेशकों के निर्णय के अनुसार राज्य सरकार को अन्तरिम लाभांश के तौर पर दे दी गई है, जिसका उल्लेख २९ दिसम्बर, १९६० को समवाय की वार्षिक सामान्य बैठक में पेश किये गये १९५९-६० के समवाय के वार्षिक लेखाओं में संलग्न निदेशकों के प्रतिवेदन में किया गया है ।

कागज बनाने की मशीनें

†३५४३. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १६ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८१२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज बनाने की मशीनों के लिये पूर्ण संयंत्र बनाने के लिये कोई और लाइसेंस दिये जा रहे हैं ?

(ख) यदि हां, तो ये संयंत्र कहां स्थापित होंगे; और

---

†मूल अंग्रजी में

(ग) किन स्थानों के लिये लाइसेंस पहले दिये जा चुके हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** (क) और (ख): उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत, कलकत्ता और अहमदाबाद में कागज बनाने की मशीनों के निर्माण के लिये क्रमशः दो समवायों को भी लाइसेंस दिये गये हैं। इस समय दो और समवायों को क्रमशः सैदात (मद्रास) और पूना में कागज बनाने की मशीनों के निर्माण के लिये, लाइसेंस देने का विचार किया गया है ।

(ग) जिन इकाइयों को लाइसेंस पहले दिये जा चुके हैं, उनका स्थान नीचे दिया जाता है :—

जमशेदपुर (बिहार)	एक इकाई
डालमिया नगर (बिहार)	एक इकाई
कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)	तीन इकाइयां
रूरकेला (उड़ीसा)	एक इकाई
शाहबाद (मैसूर)	एक इकाई
बम्बई (महाराष्ट्र)	एक इकाई
पूना (महाराष्ट्र)	एक इकाई

रूई का मूल्य

†३५४४. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय रूई और पी० एल०-४८० के अन्तर्गत आयात की गई अमरीकी रुई के मूल्यों में क्या अन्तर है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: अमरीका में रुई और भारत में समय समय पर रुई के जो मूल्य होते हैं उन के अनुसार अन्तर में भिन्नता होत होती है। साधारणतया, भारतीय रुई के दाम अमरीकी रुई की समान किस्म मूल्यों से कुछ कम हैं। चालू मौसम में , १ इंच से कम लम्बाई वाले समानवर्ती रेशे के बारे में भारतीय रुई की तुलना में अमरीकी रुई की लागत प्रति क्विंटल २५ से ४० रुपये तक अधिक थी।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय

†३५४५. **श्री तंगामणि** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी १९६१ में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय उद्भव के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधान मंत्री से मुलाकात की थी;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या अभ्यावेदन किया; और

(ग) क्या यह सच है कि उन्होंने नवीन विधानों तथा अन्य उपायों के द्वारा किये जाने वाले नये किस्म के निकार की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (ग): दक्षिण भारतीय राजनीतिक संगठनों के तीन प्रतिनिधियों ने, जिन में केवल एक व्यक्ति

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय उद्भव का था, इस वर्ष फरवरी में प्रधान मंत्री से मुलाकात की। की गई चर्चाएं गोपनीय हैं। मोटे तौर पर, उन्होंने जातिभेद संबंधी विधियों के कार्यान्वित किये जाने के कारण गैर-श्वेत या काले वर्ग वाले लोगों के प्रति किये जाने वाले विकार एवं कष्ठ का उल्लेख किया ।

अगरतला (त्रिपुरा) में औद्योगिक बस्ती में हड़ताल

†३५४६. **श्री दशरथ देव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरतला, त्रिपुरा की औद्योगिक बस्ती में कोई 'स्टे इन' हड़ताल हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की क्या विपत्तियां थी; और

(ग) इन कष्टों को दूर करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) औद्योगिक बस्ती में कोई हड़ताल नहीं हुई । औद्योगिक बस्ती के समीप प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र संख्या १, आदर्श बढ़ई गीरी-इकाई और ग्राम लुहार गीरी-इकाई में काम करने वाले प्रशिक्षणार्थी १४ मार्च, १९६१ को प्रातः ९.१५ से १०.१५ तक एक घंटे के लिये **'स्टे इन'** हड़ताल पर रहे ।

(ख) और (ग). शिकायत यह थी कि जब कछ कर्मचारी त्रिपुरा प्रशासन के प्रिंसिपल इंजीनियर द्वारा उन को आर्डर दिये गये जूते देने के लिये उस के मकान पर गये, उसने उन के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। राज्य सरकार ने इस मामले को ऐसा नहीं समझा जिस में उसको हस्तक्षेप करना चाहिये ।

'वेस्पा' स्कूटर

†३५४७. **श्री राजेन्द्र सिंह :**
श्री तंगामणि :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २२ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ५७९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने किस आधार पर यह गौर किया है कि वेस्पा स्कूटरों की अस्थायी कीमत उचित है और सरकार ने किस आधार पर स्कूटर निर्माताओं से यह कहा है कि वे इनकी कीमत कम करें ;

(ख) क्या सरकार को ज्ञात है कि निर्माताओं ने इस बीच १०० रुपये प्रति स्कूटर कीमत कर दी है और उन्हें राशि वापिस नहीं की गयी है जिन्होंने केवल कुछ एक महीने पहले सरकारी अस्थायी कीमत पर स्कूटर खरीदे थे ;

(ग) क्या सरकार को ज्ञात है कि यदि सरकार द्वारा कीमत कम की गयी होती, तो खरीददारों को वापस मिलनी उचित थी ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्कूटरों की कीमत कम क्यों नहीं की गयी थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (घ). स्कूटरों की कीमतों पर सरकार का कोई भी संविहित नियंत्रण नहीं है। परन्तु फिर भी, मोटर गाड़ियों के निर्माण सरकार द्वारा नोट करने के बाद ही अपनी वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करते हैं। सरकार उन पर आने वाली सम्पूर्ण लागत जैसे कि पैकिंग लागत, स्वदेशी निर्माण आदि पर आने वाली लागत आदि का परीक्षण करने के बाद ही उन कीमतों को मंजूरी देती है। उस आधार पर निर्माताओं द्वारा प्रारम्भ में निर्धारित कीमत को सरकार ने उचित ही समझा था। परन्तु फिर भी उनसे यह कहा गया था कि वे व्यर्थ आधार पर उनकी कीमतों में कमी कर दें, ताकि लैम्ब्रेटा और वेस्पा स्कूटरों की कीमतों के अन्तर को कम किया जा सके। तदनुसार निर्माताओं ने १ दिसम्बर, १९६० से बिना भूतलक्षी प्रभाव से १२५ रुपये कम कर दिये थे। इसलिये जिन व्यक्तियों ने उस तिथि से पहले स्कूटर खरीदे थे वे इस कमी के अधिकारी नहीं हैं।

लोकमान्य तिलक स्मारक

†३५४८. **श्री कालिका सिंह** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २० मार्च, १९६१ को लन्दन में लंका की प्रधान मंत्री और घाना के राष्ट्रपति ने लोकमान्य तिलक के मान में एक स्मारक पट्ट[1] का अनावरण किया था ;

(ख) लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट द्वारा ६०, तैलबॉलरोड, पैडिंगटन, लन्दन, के मकान को जहां लोकमान्य तिलक १९१९ में रहे थे, कितनी कीमत पर प्राप्त किया गया है ; और

(ग) ट्रस्टी कौन कौन हैं और कौन कौन से अन्य स्मारक उनके अधिकार में हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) उस स्मारक-पट्ट का अनावरण घाना के राष्ट्रपति और भारत के उच्चायुक्त द्वारा किया गया था। लंका की प्रधान मंत्री जिन्हें अनावरण करना था, तबियत खराब होने की वजह से वहां न जा सकीं।

(ख) ३५,००० पौंड।

(ग) ट्रस्टी निम्नलिखित हैं :—

१. मैसूर के महाराजा।
२. श्री फेन्नर ब्राम्वे, संसद-सदस्य।
३. श्रीमती जुटिय हार्ट, संसद-सदस्या।
४. श्री जयप्रकाश नारायण।
५. श्री डेरिक सिल्वेस्टर।
६. श्री एन्थानी स्टील।

ट्रस्ट के पास और कोई सामग्री नहीं है।

जासूसी कार्यवाहियों के अन्तर्ग्रस्त वैदेशिक कार्य मंत्रालय के कर्मचारी

†३५४९. **श्री लै० अचौ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों में भारत स्थित विदेशी मिशनों की ओर से जासूसी करने पर वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के कितने कर्मचारियों को विभागीय और अपराधिक रूप से अपराधी ठहराया गया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Commemorative Plaque.

(ख) उनमें से कितने को निकाल दिया गया है, कितनों को गिरफ्तार किया गया है और कितनों को फिर से काम में लगा लिया गया है ; और

(ग) उनमें से कितने गजेटिड और कितने नान-गजेटिड अफसर हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) गत दस वर्षों में दिल्ली स्थित विदेशी मिशनों के सदस्यों को जानकारी देने के अपराध में चार कर्मचारी विभागीय रूप से और एक आपराधिक रूप से अपराधी ठहराया गया था।

(ख) सभी को नौकरी से निकाल दिया गया है। उनमें से एक को १० वर्ष की कैद की सजा दी गयी थी और तीन निवारक निरोध के अधीन हिरासत में हैं ।

(ग) चार नान-गजेटिड अफसर हैं और एक गजेटिड अफसर है।

रबड़ के पौधों के पुनारोपण[1] के लिये राजकीय सहायता

†३५५०. **श्री मणियंगाडन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ के पौधों के पुनारोपण के लिये राजकीय सहायता को बढ़ाने के सम्बन्ध में सरकारी निर्णय को कार्यन्वित कर दिया गया है ;

(ख) इस योजना के अधीन कितने व्यक्तियों ने सहायता के लिये आवेदन किया है ; और

(ग) यदि योजना कार्यान्वित नहीं की गयी है तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां।

(ख) १९६० में ९६७ और १९६१ में अभी तक ११२४ ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रबड़ बोर्ड में वेतन क्रम

†३५५१. **श्री मणियंगाडन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड से इस सम्बन्ध में कोई सिफारिश प्राप्त हुई है कि बोर्ड के अधीन कुछ स्थानों और सरकारी तथा अर्ध सरकारी विभागों के उसी समान स्थानों के वेतन-क्रमों में विद्यमान अन्तर को दूर कर दिया जाये ;

(ख) किन किन स्थानों के वेतन क्रमों के इतना अधिक अन्तर है ; और

(ग) उस सिफारिश के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां।

(ख) रबड़ बोर्ड से सुझाव प्राप्त होने और उनके सम्बन्ध में विचार करने के बाद ही अन्तर ज्ञात हो सकेगा।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Replanting.

आकाशवाणी, दिल्ली, में सब-एडिटर तथा एनाउंसर

†३५५२. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी दिल्ली के विभिन्न विभागों में (भाषावार) कितने सब-एडिटर (उप-सम्पादक) और एनाउंसर काम कर रहे हैं ; और

(ख) उनमें से कितने अस्थायी हैं और कितने स्थायी हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी सम्मिलित है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७८]**

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

†३५५३. **श्री कृष्ण चन्द्र :**
श्री सुमत प्रसाद :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में ऐसे कितने अभ्यर्थी थे जिन्होंने उधार-खरीद आधार पर औद्योगिक मशीनरी की खरीद के लिये राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को आवेदन पत्र भेजे थे, परन्तु उन आवेदन पत्रों को दफ्तर में पहुचने के एक मास बाद ही अस्वीकार कर दिया गया था ;

(ख) उक्त अवधि में कितने आवेदन पत्रों को स्वीकृति दे दी गयी थी ;

(ग) कितने आवेदन पत्रों को (१) एक मास अधिक (२) दो मास से अधिक और (३) तीन मास से अधिक समय तक विचाराधीन अवस्था में रखा गया ; और

(घ) १९६० में प्राप्त आवेदन पत्रों में से कितनों को प्राप्त होने के बाद १ साल की अवधि के भीतर वास्तव में मशीनरी संभरित कर दी गयी है और कितनों को नहीं की गयी है।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) से (ग). १९६० में कुल २,५३२ आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, उनमें से १६२८ को एक मास में निपटा दिया गया है अर्थात स्वीकार कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया या वापिस कर लिया गया था शेष ९०४ आवेदन पत्रों में से ४२३ एक महीने से अधिक समय तक, १४१ दो मास से अधिक और ३४० तीन मास से अधिक समय तक विचाराधीन रहे।

(घ) १९६० में जितने व्यक्तियों ने आवेदन किया था, उनमें से २६८ को मशीनें संभरित कर दी गयी हैं। जिन्हें मशीनरी संभरित नहीं की गयी ह, उनके सम्बन्ध में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

आयात लाइसेंस

†३५५४. **श्री कृष्ण चन्द्र :**
श्री सुमत प्रसाद :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३० मार्च, १९६१ को ऐसे कितने छोटे उद्योगपति थे, जिनके अप्रैल, १९६० से प्रारम्भ होने वाली अवधि के लिये आयात लाइसेन्स के लिये भेजे गये आवेदन-पत्र अन्तिम आदेश के लिये विचाराधीन थे और कितने व्यक्तियों को उक्त अवधि में लाइसेंस दे दिये गये थे ; और

(ख) कितने आवेदनकर्ताओं को आवेदन पत्र की प्राप्ति के बाद चार महीनों की अवधि में आयात लाइसेन्स और प्रमाण पत्र जारी कर दिये गये थे और कितनों को उक्त अवधि में लाइसेन्स नहीं दिये गये थे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ?

तृतीय पंचवर्षीय योजना में कपड़े का उत्पादन

†३५५५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तिम जनगणना के इस परिणाम को देखते हुए कि अब आबादी बढ़ गयी है, तृतीय पंचवर्षीय योजना के अधीन कपड़ा उत्पादन लक्ष्य का पुनरीक्षण कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो लक्ष्य कितना बढ़ाया गया है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). तृतीय पंचवर्षीय योजना पर जनगणना के प्रभाव के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है और तृतीय योजना पर रिपोर्ट तैयार करते समय इसे ध्यान में रखा जायेगा ।

पटसन मिलों के लिये विशेष प्रकार के करघे

†३५५६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने वर्तमान फ्लैट लूम जूट वीविंग मशीनों के स्थान पर स्वचालित "वन-मैक" करघों[1] के प्रयोग के सम्बन्ध में विचार किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). सरकार ने प्रयोगात्मक प्रयोजनों के लिये कुछ एक 'वन-मैक' करघों के आयात की अनुमति दे दी गयी है । इन करघों को लगाने की अनुमति देने से पहले इन प्रयोगों के परिणामों को ध्यान में रखा जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]"One-Mack" Looms.

जापानी वस्तुओं का आयात

†३५५७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६० में भारत को जापानी वस्तुओं का आयात बढ़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो गत वर्षों की तुलना में यह कितना बढ़ा है ; और

(ग) इस देश को मुख्य रूप से किस किस वस्तु का आयात किया जाता है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). जापानी वस्तुओं का १९५९ में ४१·७ करोड़ रुपयों का आयात हुआ था जब कि १९६० में ५४.२ करोड़ रुपयों का आयात हुआ है । इस प्रकार से लगभग ३० प्रतिशत वृद्धि हुई है ।

(ग) १९६० में जापान से मुख्य तथा इन वस्तुओं का आयात किया गया था :—लोहा और इस्पात (धातु मिश्रित इस्पात सहित), खनन, निर्माण तथा अल्प औद्योगिक मशीनरी, रेलवे डिब्बे व इंजन, बिजली की मशीनरी तथा उपकरण, सूत और धागा और रसायन ।

फिनलैण्ड को निर्यात

†३५५८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ और १९६० में फिनलैण्ड को कितनी मात्रा में निर्यात किया गया था ; और

(ख) फिनलैण्ड के यूरोपीय निर्बाध व्यापार सन्था में सम्मिलित हो जाने से उस देश को भारतीय निर्यात व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) १९५९ में ३१,३०,००० रुपयों का ।

१९६० में २४,८९,००० रुपयों का ।

(ख) फिनलैण्ड के यूरोपीय निर्बाध व्यापार सन्था में सम्मिलित होने से उस देश को निर्यात पर होने वाला प्रभाव फिनलैण्ड के सम्मिलित होने की शर्तों पर निर्भर करता है । इस सम्बन्ध में सम्बद्ध देशों के साथ बातचीत चल रही है ।

सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों में दूकानें

†३५६०. {**श्री बहादुर सिंह** :
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों की नयी बस्तियों जैसे—ईस्ट विनय नगर, नार्थ आफ मेडिकल एन्क्लेव, मोती बाग (१, २ और साउथ) आदि के बाजारों में बनायी गयी दूकानें अलाट कर दी गयी हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ये दूकानें तैयार होने के कितने दिन बाद अलाट की गईं ; और

(ग) दूकानें अलाट किये जाने में इतना समय क्यों लगा ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) कुछ एक दूकानें अलाट कर दी गयी हैं और आशा है कि शेष भी शीघ्र ही अलाट कर दी जायेंगी ।

(ख) ईस्ट विनय नगर (लक्ष्मी बाई नगर) नार्थ आफ मेडिकल एन्क्लेव्ज (किदवई नगर) तथा मोती बाग १ की दूकानों का निर्माण कार्य क्रमशः सितम्बर, १९६०, नवम्बर, १९५९, और मार्च, १९६१, में पूरा हो गया था और नई दिल्ली नगरपालिका ने क्रमशः फरवरी, १९६१; अप्रैल, १९६० और मार्च, १९६१ में उन दूकानों का कब्जा लिया था । नई दिल्ली नगरपालिका ने इसके बाद शीघ्र ही उन दूकानों के आवंटन का कार्य प्रारम्भ कर दिया था ।

मोती बाग २ में मार्केट का निर्माण कार्य फरवरी, १९६१ में हुआ है और दिल्ली नगर निगम को इस मार्केट के हस्तान्तरण का कार्य किया जा रहा है और निगम ही इन दूकानों को अलाट करेगा ।

(ग) स्थानीय निकायों को इन मार्केटों के हस्तान्तरण की शर्तें स्वीकार करने के लिये राजी करने में कुछ समय लग गया । इन में विस्थापित व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर दूकानें अलाट करने सम्बन्धी शर्तें भी शामिल थीं ।

पुनर्वास मंत्रालय में छंटनी

†३५६१. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८, १९५९, १९६० और १९६१ में कितने गजटिड अफसरों को छंटनी में निकाल दिया गया था और क्या उनमें से किन्हीं अफसरों को किसी स्थायी विभाग में लगा लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस किस विभाग में ;

(ग) उन्हें किसी और विभाग में लगा लेने के सम्बन्ध में क्या क्या यत्न किये जा रहे हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के क्षत्र में (१) १९५८ में ३ प्रबन्ध पदाधिकारी (२) १९५९ में १५ असिस्टेंट कस्टोडियन (न्याय कार्य) (३) १९६० में ११ असिस्टेंट कस्टोडियन (न्याय कार्य) (४) १९६१ में ३ प्रबन्ध पदाधिकारी और ५ असिस्टेंट कस्टोडियन (न्याय कार्य) छंटनी में निकाल दिये गये थे ;

(ङ) छंटनी में निकाले गये इन पदाधिकारियों में से कितनों ने तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी और कितने अर्धस्थायी बनने के प्रमाण पत्रों के लिये योग्य थे ;

(च) उनमें से कितनों को अर्ध स्थायी सेवा के प्रमाण पत्र जारी कर दिये गये थे और शेष पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र जारी न करने के क्या कारण थे ;

(छ) क्या उनमें से कोई भी पदाधिकारी अर्ध स्थायी पद के प्रमाण पत्र के योग्य नहीं था ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ज) यदि हां, तो उन्हें तीन वर्षों तक सेवा करने की अनुमति क्यों दी गयी थी ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खान्ना)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) रोजगार तथा प्रशिक्षण महा निदेशालय में स्थापित विशिष्ट सैल द्वारा सभी अतिरिक्त तथा छंटनी में आये हुए गजटिड अफसरों के नाम (सिवाय उनके जिनकी आयु अधिक हो गयी है और जो कि सेवा से निवृत्त हो गये हैं और सिवाय उन व्यक्तियों के जो कि नियमित सेवा में से सम्बन्ध रखते थे और उन्हें उनके दफ्तरों को वापस भेज दिया गया है) संघ लोक सेवा आयोग तथा सभी सरकारी उपक्रमों को भेज दिये गये हैं । आयोग ने यह स्वीकार कर लिया है कि वह सूचना प्राप्त रिक्त स्थानों के विज्ञापन देने से पहले उपयुक्त स्थानों पर इन व्यक्तियों को पहले लगाने का यत्न करेगा । इसी प्रकार से सरकारी उपक्रमों ने भी यह स्वीकार कर लिया है कि वे उन अतिरिक्त कर्मचारियों को काम में लगाने का यत्न करेंगे ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) से (ज) उन छंटनी में निकाले गये व्यक्तियों में से १९ व्यक्तियों ने तीन वर्ष तक की सेवा पूरी कर ली थी परन्तु उनमें से केवल एक ही व्यक्ति अर्ध स्थायी सेवा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के योग्य था और वह प्रमाण पत्र उसे जारी कर दिया गया था । शेष पदाधिकारी अर्ध स्थायी सेवा प्रमाण पत्रों के लिये योग्य नहीं थ । तीन वर्ष से अधिक समय तक बिना अर्ध स्थायी घोषित किये सेवा जारी रखने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

कोठागुदम में उर्वरक फैक्टरी

†३५६२. **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री वेंकटा सुब्बया :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोठागुदम में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये एक गैर-सरकारी पार्टी को एक लाइसेंस दिया गया है ; और

(ख) इस कारखाने की कितनी क्षमता होगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश सरकार ने यह विचार किया है कि उसे कोठागुदम उर्वरक कारखाने की स्थापना के लिये दिया गया लाइसेन्स, जो कि ८०,००० टन प्रतिवर्ष नाइट्रोजन के निर्माण की क्षमता का है, एक गैर सरकारी पार्टी को दे दिया जाये जो कि लेने के लिये तैयार है । वह सुझाव विचाराधीन है ।

उड़ीसा के लिये सीमेंट

†३५६३. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सितम्बर, १९६० से मार्च, १९६१ तक उस राज्य के बाढ़ ग्रस्त व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उड़ीसा को सीमेन्ट का कोई विशेष कोटा आवंटित किया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस कोटे की मात्रा क्या है; और

(ग) कितने व्यक्तियों ने इस विशेष कोटे से सीमेन्ट प्राप्त किया था ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). जी, हां। सितम्बर, १९६० से मार्च, १९६१ तक की अवधि में उड़ीसा के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिये तदर्थ आधार पर ६००० टन सीमेन्ट आवंटित किया गया था। क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों को सीमेन्ट का आवंटन राज्य सरकारों द्वारा ही किया जाता है ? इसलिये केन्द्रीय सरकार को यह ज्ञात नहीं है कि वास्तव में कितने व्यक्तियों को वह सीमेन्ट प्राप्त हुआ था।

बाली किला विस्फोट के सम्बन्ध में रिपोर्ट

†३५६४. **श्री तंगामणि :**
श्री धर्म लिंगम :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मार्च, १९६१ में बाली किले में हुए विस्फोट के सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस रिपोर्ट को सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी, हां।

(ख) रिपोर्ट की प्रतियां संसद पुस्तकालय में रख दी गयी हैं।

इटली को आर्थिक मिशन

†३५६५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इटली को एक आर्थिक मिशन भेजने का कोई विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो उसे भेजने का मुख्य प्रयोजन क्या है; और

(ग) उस मिशन में कौन-कौन व्यक्ति सम्मिलित होंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) इटली की सरकार के निमंत्रण पर एक प्रतिनिधि मण्डल शीघ्र ही इटली जा रहा है ?

(ख) वह प्रतिनिधि मण्डल इटली से प्रविधिक सहयोग तथा व्यापार के बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार करेगा।

(ग) उस मिशन में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे:—

१. श्री नित्यानंद कानूनगो, वाणिज्य मंत्री (नेता)।
२. श्री आर० वी० रमन, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव।
३. श्री एन० आर० रेड्डी, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के उप सचिव।
४. श्री एम० ए० चिदम्बरम, उद्योगपति, मद्रास।
५. श्री एन० बी० अमीन, ज्योति लिमिटिड, बड़ौदा।
६. श्री सीताराम पण्डित, वेस्टर्न इंडिया टेनरीज, बम्बई के डायरेक्टर।
७. श्री जी० आर० दामोदरन, पी० एस० जी० इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी, कोयम्बटूर, मद्रास।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में दशमिक बाट तथा माप

३५६६. **श्री खुशवक्त राय :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के फल व सब्जियों के फुटकर व्यापारियों ने नये बांटों का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन वस्तुओं के थोक व्यापारी अभी तक पुराने बांटों का ही प्रयोग करते हैं; और

(ग) इस असमानता को दूर करने के लिये कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) फल व सब्जियों के अधिकांश फुटकर व्यापारियों ने मेट्रिक बाटों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है।

(ख) इन वस्तुओं के अधिकांश थोक व्यापारी मेट्रिक बांटों का इस्तेमाल करते हैं । इनमें से कुछ अभी पुराने बांटों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

(ग) फुटकर और थोक दोनों तरह के व्यापारियों को यह चेतावनी दे दी गयी है कि वे दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में मेट्रिक बाटों के अलावा दूसरे बाटों का इस्तेमाल जारी न रखें। यह काम प्रेस विज्ञप्तियों, प्रसारण, वर्ग बैठकों तथा बाट और माप के निरीक्षकों द्वारा व्यापार प्रतिष्ठानों का दौरा करके किया गया है। फल व सब्जियों के बाजारों में जो बगैर मेट्रिक के बाट मिले वे जब्त कर लिये गये हैं और निरीक्षकों ने उन्हें बाजारों से हटा दिया है। ऐसे बांटों की जब्ती तब तक होती रहेगी जब तक कि वे बिल्कुल नहीं हटा दिये जाते।

उत्तर प्रदेश में राल उद्योग

३५६७. **श्री भक्त दर्शन :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने वर्ष १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ में राल उद्योग (रेजिन इंडस्ट्री) को प्रारम्भ करने अथवा उसका विकास करने के लिये केन्द्र से किसी प्रकार की सहायता की मांग की थी; और

(ख) यदि हां, तो उसे किस प्रकार की सहायता दी गई ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिये भारत सरकार द्वारा किये गये तदर्थ नियतन में से १९५९–६० में पहाड़ी जिलों में सहकारिता के आधार पर राल के कारखानों का विकास करने के लिये राज्य सरकार ने १.३८ लाख रुपये रखे थे।

विवरण

उत्तर प्रदेश के आगरा, कानपुर, नैनी, लोनी, वाराणसी, देवबन्द, देवरिया, बस्ती, झांसी, एटा और बिजनौर में एक-एक बस्ती के लिये मंजूर की गयी ग्यारह औद्योगिक बस्तियों में से आगरा, कानपुर, नैनी, वाराणसी, लोनी और देवबन्द में औद्योगिक बस्तियां बसाई जा चुकी हैं। इन औद्योगिक बस्तियों की प्रगति नीचे दी जा रही है :—

आगरा : बस्ती में आंशिक रूप से काम हो रहा है। आगरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी १००० किलोवाट बिजली संभरण करने का प्रबन्ध कर रही है। इसमें से ६०० किलोवाट बिजली उपलब्ध हो गयी है तथा १८ पार्टियों को कनेक्शन दिये जा चुके हैं।

कानपुर : बस्ती में आंशिक रूप से काम हो रहा है। बस्ती को ६०० किलोवाट बिजली नियत की गयी है और २५ शेडों को कनेक्शन दिये जा चुके हैं।

नैनी : राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा ३४ शेडों वाली बस्ती स्थापित कर दी गयी है और उसमें काम हो रहा है।

वाराणसी, लोनी, देवबन्द : बस्तियां बसाई जा चुकी हैं और शेड नियत किये जा चुके हैं लेकिन बस्तियों में उत्पादन शुरू नहीं हुआ है।

देवरिया, बस्ती, झांसी, एटा, बिजनौर : इन बस्तियों के लिये भूमि प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। ये बस्तियां उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों में स्थित हैं।

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में ५२ बस्तियां बसाने का प्रस्ताव है।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां

३५६८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के किन-किन स्थानों पर औद्योगिक बस्तियां स्थापित गी गईं;

(ख) उनमें से प्रत्येक बस्ती में ३१ मार्च, १९६१ तक क्या प्रगति हुई थी; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस बारे में किस प्रकार का कार्यक्रम तैयार किया गया है?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). एक विवरण साथ में नत्थी हैं।

नेफा में सड़कें

†३५६९. **श्री डा० एरिंग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेफा में अभी तक सभी मौसमों में और अच्छे मौसम में खुली रहने वाली कितने मील लम्बी सड़कें तैयार की गयी हैं ;

(ख) आगामी पांच वर्षों में सभी डिवीजनल हेडक्वार्टरों और अन्य प्रशासनिक केन्द्रों को मिलाने वाली कितने मील सड़कें बनाने का विचार है ; और

(ग) वर्तमान सड़कों में से कितने मील सड़कें सैनिक इंजीनियरों द्वारा बनायी गयी हैं और आगामी पंचवर्षीय योजना काल में कितने मील सड़कें उन द्वारा बनायी जायेंगी?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य-मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

१. वर्तमान सड़कें :—

(क) सभी मौसमों की	—
(ख) अच्छे मौसम की	७४७ मील
(ग) खच्चरों के लिए आठ फुट चौड़ी सड़कें जिन पर जीपों के लिये भी व्यवस्था है . . .	३९८ मील
(घ) प्रशासनिक केन्द्रों से मिलाने वाले सामान ले जाने योग्य मार्ग	३२५२ मील

२. तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में प्रस्थापित सड़कें :—

(क) अच्छे मौसम की सड़कें	४१९ मील
(ख) जीपों और खच्चरों के योग्य सड़कें . .	१५३ मील
(ग) प्रशासनिक केन्द्रों से मिलाने वाली सामान ले जाने योग्य सड़कें	५२१ मील

३. सैनिक इंजीनियरों द्वारा बनायी गयी या बनायी जाने वाली सड़कें :—

(क) सैनिक इंजीनियरों द्वारा नेफा में ९८ मील अच्छे मौसम की सड़कें बनायी गयी हैं ।

(ख) जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स ने अच्छे मौसम की २५० मील और अधिक सड़कें बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है ।

पंजाब में विस्थापित व्यक्तियों के पास अतिरिक्त भूमि

†३५७०. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :**
श्री बहादुर सिंह :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब राज्य में ग्राम भूमि के अलाटियों के पास जो अतिरिक्त भूमि है वह उन्हें पहली २ एकड़ तक ६५० रुपये प्रति स्टैण्डर्ड एकड़ के हिसाब से और उसके ऊपर ९०० रुपये प्रति स्टैण्डर्ड एकड़ के हिसाब से बेची जा रही है ;

(ख) क्या यह कीमत उनके सत्यापित दावों की रकम में काट दी जायेगी ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकारी मुआवजा दर ४५० रुपये प्रति स्टैण्डर्ड एकड़ की और मुवाअजे और बिक्री की दरों में फर्क के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) अलाटियों को, उनके पास जो अतिरिक्त जमीन है उसे निम्नलिखित दरों पर खरीदने की अनुमति है :—

अलाटियों द्वारा गलत बयान दिये जाने के कारण उन्हें दी गई अतिरिक्त भूमि	(१) पहली २ स्टैण्डर्ड एकड़ तक ६७५ रुपये प्रति स्टेण्डर्ड एकड़ ।
	(२) शेष जमीन के लिये ९०० रुपये प्रति स्टैण्डर्ड एकड़ ।
विभाग की गलती के कारण अलाटियो को दी गई अतिरिक्त भूमि	(१) पहली १० स्टैण्डर्ड एकड़ तक ४५० रुपये प्रति स्टैण्डर्ड एकड़ ।
	(२) शेष जमीन के लिये ९०० रुपये प्रति स्टैण्डर्ड एकड़ ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) जी हां। विस्थापित व्यक्तियों के पास जो अतिरिक्त जमीन है उसे खरीदने का उन्हें, अनिवार्यतः, कोई हक नहीं है । यह तो एक रियायत मात्र है, जो उन्हें दी जा रही है । वस्तुतः सरकार द्वारा, विशेषतः उन लोगों के मामले में जिन्होंने अतिरिक्त जमीन गलत बयान दे कर प्राप्त की थी, सम्बन्धित अलाटियों को उन अतिरिक्त जमीनों से बेदखल किया जाना पूर्णतः न्यायोचित होता । अलाटियों को अतिरिक्त जमीन खरीदने का अख्तियार विशेष रियायत के तौर पर दिया गया है और उनके लिये ऐसी जमीन खरीदना अनिवार्य नहीं है । जो कीमत ली जा रही है वह अब भी पंजाब में ऐसी ही अन्य जमीन के बाजार भाव से कम है ।

पुनर्वास मंत्रालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी

†३५७१. **श्री भा० कृ० गायकवाड** : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास मंत्रालय में इस समय वर्ग १, वर्ग २ और वर्ग ३ के कितने सरकारी कर्मचारी हैं ;

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों के कितने लोग हैं ;

(ग) क्या दफ्तरों में छंटनी के समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की प्रतिशतता कायम रखी जायेगी ?

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) जी हां, गृह-कार्य मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम के अन्तर्गत नियम

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)**: मैं विस्थापत व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम १६५४ की धारा ४० की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक १ अप्रैल, १६६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४६० में प्रकाशित विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) चतुर्थ संशोधन नियम, १६६१।

(दो) दिनांक ८ अप्रैल, १६६१ की अधिसूचना सख्या जी० एस० आर० ४६२ में प्रकाशित विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) पांचवां सशोधन नियम, १६६१।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—२८५६/६१]

सहकारिता—प्रशिक्षण सम्बन्धी अध्ययन-दल का प्रतिवेदन

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : मैं सहकारिता प्रशिक्षण सम्बन्धी अध्ययन-दल का प्रतिवेदन (खंड १ और २) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या [एल० टी०—२८६०/६१]

राष्ट्रपति से सन्देश

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे राष्ट्रपति से निम्न संदेश मिला है :—

"जबकि दहेज निषेध विधेयक, १६५६ लोक-सभा द्वारा पास कर के और राज्य-सभा को भेजे जाने पर, राज्य-सभा और लोक-सभा उक्त बिल में किये जाने वाले संशोधनों के बारे में अन्तिम रूप से असहमत हुई हैं;

अतः अब मैं, राजेन्द्र प्रसाद, संविधान के अनुच्छेद १०८ के खंड (१) द्वारा प्राप्त सत्ता के अनुसार उस बिल पर विचार करने और मतदान के प्रयोजन के लिये राज्य-सभा और लोक-सभा की एक संयुक्त बैठक बुलाने के अपने इरादे की एतद् द्वारा अधिसूचना देता हूं।"

तिथियां बाद में निर्धारित की जायेंगी।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

तिरासीवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह (भटिंडा)** : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का तिरासीवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

---

†**बूल अंग्रेजी में**

अनुदानों की मांगें--जारी

वित्त मंत्रालय--जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा वित्त मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा और मतदान करेगी।

चौ० रणवीर सिंह अपना भाषण जारी रखें।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, कल मैं यह बता रहा था कि इन पिछले दस सालों के अंदर सरकारी नौकरियों और अन्य नौकरियों की तादाद काफी बढ़ी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रेलवे के मुहकमे को छोड़ करके सन् १९५१ म जहां सरकारी नौकरियों की तादाद ५ लाख ९० हजार थी वहां यह तादाद बढ़ कर ७ लाख ४९ हजार हो गई है। इसी तरीके से सन् १९५८ में कारखानों के अंदर जो लोग काम करते हैं उनकी तादाद २९ लाख से बढ़ कर ३४ लाख पहुंच गयी है। इसके अलाव ११ लाख के करीब वह भाई हैं जोकि रेलवे के मुहकमे में नौकर हैं। इस तरह आप देखेंगे कि जो अपने को मिडिल क्लास कहते हैं उनकी तादाद देश में कारोबार के बढ़ने से इन पिछले चन्द वर्षों में काफी बढ़ी है और सरकारी नौकरियों की तादाद में भी बहुत वृद्धि हुई है और यह तमाम नौकरियां आमतौर पर उन मिडिल क्लास के लोगों को मिली हैं।

हमारे कुछ भाइयों का यह खयाल है कि हमारे उन भाइयों को जो कि अपने को मिडिल क्लास कहते हैं, उनको इस देश के अंदर काफी कुर्बानी करनी पड़ी है। वे च गाहे बगाहे यह कहते रहते हैं कि मंहगाई बहुत बढ़ गयी है और सब चीजों के दाम बहुत बढ़ गये हैं। अब मैं इससे इंकार नहीं करता कि चीजों के भाव नहीं बढ़े हैं, भाव जरूर बढ़े हैं लेकिन उनकी तनख्वाहें भी तो बढ़ी हैं।

मैं इस सिलसिले में कुछ आंकड़े जोकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एनफौर्मल स्टैंडिंग कमेटी (स्थायी समिति) के सामने रक्खे थे, रखना चाहता हूं। सन् १९५२-५३ में इंडैक्स नम्बर १०० मान कर उन्होंने आंकड़े बताये हैं। उन्होंने माना है कि जहां तक चावल का वास्ता है, सन् १९६० में उसका इंडैक्स नम्बर १०० से बढ़ कर १०९.१ हो गया लेकिन जहां तक गेहूं का वास्ता है उसका इंडैक्स नम्बर १०० से घट कर ९१.२ रह गया। इसी तरीके से जो दूसरी चीजें हैं जैसे कि कपड़े का सामान, कपड़े का इंडैक्स नम्बर (देशनांक) जो कि सन् ५२-५३ में १०० था वह सन् १९६० के अंदर बढ़ कर १२७.५ हो गया है।

एक तरह से देखा जाय तो काश्तकार जो पैदा करता है उसका भाव तो घटा है और जिन चीजों को काश्तकार इस्तेमाल करता है उनका भाव बढ़ा है। एक तरीके से अगर कोई घाटे में रहा है तो हिन्दुस्तान की ७० प्रतिशत ग्रामीण आबादी ही घाटे में रही है। इतना ही नहीं पिछले ५-१० वर्षों के अन्दर देश में जो काम हुआ और उसके आंकड़े अगर देखे जायें तो उससे भी यही साबित होगा।

अध्यक्ष महोदय, स्टेट बैंक के ३१-१२-६० के जो ऐडवांसेज थे जो उन्होंने इस देश के मुख्तलिफ अंगों को उधार दे रक्खा था वह रकम २३२.२४ करोड़ रुपये है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।]

---

†मूल अंग्रेजी में

[चौ० रणवीर सिंह]

इसी तरह से लाइफ इन्शोरेंस कार्पोरेशन के जो एडवांसिज थे, या जो इन्वस्टमेंट था, वह ४५५.९८ करोड़ रुपये था। मैं यह जानना चाहता हूं कि जरा कोई बताये कि हिन्दुस्तान के देहात में जो मुल्क की सत्तर फीसदी आबादी बसती है, उसकी तरक्की के लिये उस रकम में से कितना रुपया लगाया गया है। यही नहीं, मेरा अन्दाज है कि दूसरे पांचसाला प्लान में एग्रीकल्चरल क्रेडिट को बढ़ाने के लिये रिजर्व बैंक ने जो अपनी स्कीम रखी थी, वह १२५ करोड़ रुपये के करीब थी, लेकिन अभी तक सिर्फ ९८ करोड़ रुपया रिजर्व बैंक ने देहात में खेती की तरक्की में लगाने के लिये भेजा है।

इसके साथ ही साथ, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि नैशनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट लांग-टर्म आपरेशन फंड (दीर्घकालीन ऋण निधि) के बार में जयपुर में को-आपरेशन मिनिस्टर्ज और अफसरों की जो कांफरेंस हुई थी, उसने यह सिफारिश की थी कि रक्षित बैंक मध्यम-कालीन ऋणों के लिये अधिक राशि जुटाने के प्रश्न पर विचार करें। इसी तरह से उन्होंने दूसरी सिफारिश यह की, जिसका जिक्र श्री वी० पी० नायर ने पिछले दिनों किया था कि दुधारू पशुओं के प्रयोजन के लिये मध्यम कालीन ऋणों के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिये और रक्षित बैंक अधिनियम में संशोधन किया जाये। इसके अलावा वह कांफरेंस मानती है कि देश में खेती की तरक्की के लिये पैसा ज्यादा लम्बे अरसे के लिये कर्ज दिया जाय। मैं यह नहीं मानता कि कर्जा देते वक्त हमें इस बात का ख्याल नहीं रखना चाहिए कि वह रुपया मारा तो नहीं जायेगा। इसका पूरा-पूरा ख्याल रखना चाहिए और बड़ी समझ से पैसा आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन असल बात तो वह है कि काश्तकार का जहां तक ताल्लुक है, वह किसी को कत्ल कर के तो छूट सकता है, लेकिन सरकारी कर्ज को मार कर वह बच नहीं सकता है। मैंने अभी आंकड़े दिये हैं कि जिन बड़े-बड़े लखपतियों को करोड़ों रुपये, ५००, ६०० करोड़ रुपये, एल० आई० सी० और स्टेट बैंक से दिये जाते हैं, उनमें से कुछ भाई पचास-पचास लाख रुपया रख कर दिवालिया बन जात हैं, लेकिन काश्तकार दिवालिया नहीं बन सकता है। अगर सरकार यह समझे कि ऐसे सैक्टर में, जहां कोई आदमी दिवालिया नहीं बन सकता है, रुपया लगाने में कोई खतरे की बात है, तो वह सही नहीं है। मैं निवदन करूंगा कि तीसरे पांच-साला प्लान में रिजर्व बैंक ने खेती की तरक्क के लिये कर्ज देने के लिये ४०० करोड़ रुपये की रकम रक्खी है, ताकि वह ठीक सूद पर काश्तकार तक पहुंच सके। स्टेट को-आपरेटिव बैंक की मार्फत रिजर्व बैंक एग्रीकल्चर और देहात की तरक्की के लिये जो रुपया कर्ज देता है, वह बैंक रेट से दो फीसदी कम होता है। उस रुपये को स्टेट बैंक की मार्फत सस्ते सूद पर दिया जा सकता है, ताकि काश्तकार और समाज के गरीब अंग को जो सूद देना पड़ता है, वह घट सके। रिजर्व बैंक काश्तकार को दो परसेंट सूद के ऊपर जो रुपया बढ़ाता है, वह ९८ करोड़ रुपये तक पहुंचा है। लेकिन काश्तकार तक वह रुपया सात से नौ फीसदी तक के सूद पर पहुंचता है, यानी सूद की तादाद तिगुनी और चौगुनी बढ़ जाती है।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक काश्तकार का ताल्लुक है, गवर्नमेंट आफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स ने करोड़ों रुपया है खर्च किया है और इस सिलसिले में एक कम्यूनिटी प्रोजेक्ट का महकमा बनाया गया है। उस महकमे के ऊपर दूसरे पांच-साला प्लान में जीपों, कर्मचारियों और अफसरों की तन्ख्वाहों और भत्तों और उनके लिये मकानों की शक्ल में कोई ६० करोड़ रुपया खर्च किया गया। लेकिन इवैल्युएशन कमेटी की रिपोर्ट से पता चलता है। कि नान-प्रोजेक्ट एरियाज में पब्लिक को-आपरेशन ज्यादा मिला। मैं कम्यूनिटी प्रोजेक्ट

महकमे के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि समय नहीं है, लेकिन मेरा मुद्दा यह है कि आज से डेढ़ साल पहले इस देश में चीनी की पैदावार १९ लाख टन थी। इस अरसे में एक या दो सीजन्स में—बोने का तो एक ही सीजन गुजरा है—सरकार ने कुछ बुद्धिमत्ता से काम लिया और किसानों को तकरीबन ५८ लाख रुपये का सहारा दिया, जिसकी वजह से हालात बेहतर हुए और चीनी की पैदावार में दस लाख टन का इजाफा हुआ। मुझे इस बात की खुशी है कि कल हमारे फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि जो चीनी हम बाहर भेजेंगे उसमें जो घाटा पड़ता, है वह सरकार कबूल करेगी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि गन्ने को ज्यादा बढ़ा कर जो चीनी की मिकदार ज्यादा बढ़ी और उससे सरकार को जो एक्साइज ड्यूटी ज्यादा मिली, मिली, क्या वह फायदा भी किसान की वजह से नहीं हुआ। आज हालत अजीब है। पिछले तेरह-चौदह सालों में जो रुपया एक तरह से अनाज खाने के लिये इमदाद की शक्ल में उपभोक्ताओं को दिया गया, उसकी तादाद २९८.९४ करोड़ रुपये हैं। एक तरफ तो अनाज खाने के लिये यह लगभग तीन सौ करोड़ रुपये की इमदाद दी जाती है और दूसरी तरफ इमदाद नहीं दी गई, बल्कि चीनी से जो आमदनी होती है, उसमें से सिर्फ पांच करोड़ रुपये की माफी हिन्दुस्तान की सरकार ने गन्ने की पैदावार करने और गन्ने के कारखाने वालों को दी। तो मुझे बताया जाये कि हमारी यह नीति हमको कहां ले जायेगी। मुझे साफ दिखाई दता है कि जो भाई उपभोक्ता हैं, उनके लिये ज्यादा रियायतें हैं और उसका नतीजा यह है कि १९४६ से १९६० तक हिन्दुस्तान में १७९१.९६ करोड़ रुपये का अनाज बाहर से आया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर चीनी बाहर भेजने में हमको कुछ घाटा रहता है और एक्साइज ड्यूटी को छोड़ने के बावजूद घाटा रहता है, तो मैं मानता हूं कि उसको घाटा नहीं मानना चाहिए। अगर आप किसी भी देश की इसके मुताल्लिक पालिसी को दखें, तो आपको पता चलेगा कि यह बात सत्य है। ज़ापान के लोगों ने एक्सपोर्ट को इसी ढंग से बढ़ाया है। वहां के भाव और एक्सपोर्ट के भाव में काफी फर्क है। एक्सपोर्ट हमेशा घाटा खा कर किया जाता है, यह इकनामिक्स भी मानती है और कई दफा अपनी मार्केट को बनाने के लिये अपने देश में चीजें मंहगी बेची जाती है और जिस कीमत पर वह पैदा होती हैं, उससे कम पर और घाटा उठा कर बाहर भेजी जाती है।

जो एग्रीकल्चरल लेबर के बारे में रिपोर्ट निकली है, उसमें लिखा है कि अगर हिन्दुस्तान के गरीब अंगों की रक्षा करनी है, तो उनके आर्थिक स्तर को ऊंचा करना पड़ेगा, जो भाई हल के पीछे काम करते हैं, जो हाली हैं, जो खेती करते हैं, उनके आर्थिक स्तर को ऊंचा करना पड़ेगा। अगर इसका कोई तरीका आज मुझे दिखाई देता है, तो वह यह है कि गन्ने की पैदावार ज्यादा से ज्यादा की जाये। किसानों ने पांच करोड़ से ४६ करोड़ रुपया एक्साइज ड्यूटी, उत्पादन-कर, के रूप में चीनी पर दिया है। अगर थोड़ी बहुत और भी रियायत देनी पड़े, तो वह देनी चाहिए, क्योंकि उससे तरक्की होती है।

आखिर में मैं यहां कहना चाहता हूं कि अगर हम चाहते हैं कि इस देश में खेती की पैदावार बढ़े, इस देश की इकानोमी सही तौर पर और मजबूत नींव पर स्थापित की जा सके, तो इसके लिये यह जरूरी है कि खेती की पैदावार बढ़ाई जाये। लेकिन उसके लिये अफसरों को भेजने की जरूरत नहीं है। उसक लिये रुपया चाहिए, उसके लिये बेहतर हालात चाहिएं, ताकि किसान ज्यादा पैदा कर सकें। आज काश्तकार चाहता है कि वह एक एकड़ में ६०० पौंड क बजाये ४,००० पौंड धान पैदा करे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके मुताबिक हालात नहीं हैं और वे हालात पैदा किये जाने चाहिएं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे अफसोस है कि घंटी की बिल्कुल परवाह नहीं की जाती है।

चौ० रणवीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह देश की आबादी के सत्तर फीसदी हिस्से का सवाल है। बीस, पच्चीस फीसदी वाले पता नहीं कितना समय ले लेते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से शिकायत नहीं कर रहा हूं। आम तौर पर मैं देख रहा हूं कि स्पीच खत्म करने में बहुत देरी की जा रही है। मैं दरख्वास्त करता हूं कि दूसरी घंटी के बजने पर अगर कोई फिकरा बोला जा रहा हो तो उसको खत्म करके भाषण समाप्त कर दिया जाए और अगर फिकरा खत्म हो गया हो, तो वहीं समाप्त कर दिया जाए।

राजा महेन्द्र प्रताप (मथुरा) : जनाबेमन, आपकी बड़ी मेहरबानी जो आपने मुझे इजाजत दी। यह मैं पहले कह दूं कि जो इजाजत मुझे मिली है, यह एक चिट्ठी लिखने के बाद मिली है। वह चिट्ठी यह थी कि १५ तारीख यानी शनीचर को मैं ने सपना देखा। सपने में देखा करता हूं, अजीब-अजीब सपने, और उनमें व्याख्यान किया करता हूं। सपने में मुझे किसी ने यह कहा कि मैं आचार्य कृपालानी के खिलाफ बोलूं कि उन्होंने क्यों हमारे मेनन साहब को इस कद्र बुरी तरह से लताड़ा। दरअसल में यह बहुत महत्व का प्रश्न है। जब वह हमारे वजीर साहब हैं और सेना के वजीर साहब हैं तो उनका इस तरह से भरी महफिल में बुरी तरह से कहना बहुत गलत था और...

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप इस मिनिस्ट्री पर भी कुछ कहें जिसके लिए आपको वक्त दिया गया है।

राजा महेन्द्र प्रताप : दूसरी बात यह है कि यह क्या हुआ कि हमारी दुर्गाबाई जी ने जा कर रंडियों की सभा का उद्घाटन कर दिया। कितनी शर्म की बात है यह हमारे लिए। जिस बात को हम कल तक बहुत बुरा बतलाते थे उसको हम ही शुरू करते हैं। उसमें हद कर दी उन लोगों ने उस्ताद के नाम से। उसको उन्होंने क्या कहा है कि...

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी जिम्मेदारी आप फाइनेंस मिनिस्टर साहब पर कैसे थोप सकते हैं ?

राजा महेन्द्र प्रताप : सब सवालों से इसका ताल्लुक है, यह पैसे का भी सवाल है, हमारी इज्जत और बेइज्जती का भी सवाल है, हमारे भविष्य का भी प्रश्न है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरह की कोई बात हमारे देश में नहीं होनी चाहिये। और खास कर हमारे कांग्रेस के भाइयों को, जिन के सामने महात्मा गांधी की शिक्षा उपस्थित है, विनोबा जी के उपदेश हैं, विचार हैं, कदापि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिये जैसी कि हमने गलती से की हैं।

तीसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हम लोग यहां पर, मेरा मतलब है कि हम में से कुछ लोग, बड़ी सख्ती से बोलते हैं, बड़े जोर से बोलते हैं। यह नहीं होना चाहिये। यहां तो हम सब भाई हैं और एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं और वह उद्देश्य है देश की भलाई। ऐसी हालत में हम सभी लोगों को यहां बहुत नम्रता से बात करनी चाहिये और अगर ऐसा किया गया तो ज्यादा अच्छा होगा।

ये तीन बातें अलहदा हैं। अब मैं अर्ज करूंगा कि जो सरकार का संगठन है, इसमें बहुत कुछ तबदीली लाने की जरूरत है, विचारों को बदलने की बड़ी आवश्यकता है। मैं यहां कई दिन से सुन रहा हूं कि चीजें बाहर भेजी जानी चाहियें और सभी ने इस पर जोर दिया है। मेरा कहना यह है कि जो कुछ हम बनायें नफे के लिए न बनाये बल्कि अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए बनाये। यह बड़ा उद्देश्य है जो हमारे सामने रहना चाहिये। मेरे एक दोस्त जिन्होंने सौ से ऊपर किताबें लिखी हैं और शायद जिन का अब देहान्त हो गया है, श्रीमान् अपटन सिंक्लेयर, जो कि कैलीफोर्निया के एक बड़े नेता थे, उन्होंने इस पर बड़ा जोर दिया है कि यह जो तरीका चल रहा है कि सामान जो बनाओ बेचने के लिए बनाओ, यह बड़ा गलत है। सामान जो कुछ बनाया जाए वह अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए बनाया जाए। मैं अर्ज करूंगा कि हमारे माननीय मंत्री जी यह क्या कर रहे हैं, कर लगा कर हम लोगों से पैसा लेते जा रहे हैं और इस तरह से उसको खर्च करते जा रहे हैं कि जिस से देश को नफा नहीं हो रहा है और वह गाने बजाने में खर्च हो जाता है, तमाशों में खर्च हो जाता है, कहीं कोई बड़ी मजलिस हुई कांग्रेस की, उसमें खर्च हो जाता है। यह नहीं होना चाहिये। लोगों के पास आप रुपया छोड़िये और उनको रास्ता बताइये कि वे किस तरह से उस रुपये को अच्छी तरह से खर्च करें। मैं कई बार कह चुका हूं कि यह जो एक तरीका है और यह जो एक बात चल गई है कि नैशनलाइज करो, नैशनलाइज करो, यह बहुत गलत है। इसका क्या मतलब है ? मैं समझता हूं कि इसका मतलब यह है कि हम ही कुछ लोग उस काम को करें जो दूसरे करते हैं। क्या उन लोगों को जो आज कर रहे हैं, कुछ भी अक्ल नहीं है, जो अब तक तजारत करते थे, उनको कुछ भी अक्ल नहीं थी। होना यह चाहिये कि पूरी इजाजत हो लोगों को कि जिस तरह से वे चाहे तजारत करें। एक बात है जिस पर मैं हमेशा जोर देता हूं। वह यह है कि हम गलत तरीके से रुपया उनको खर्च न करने दें। आजकल कुछ लोग कहते हैं कि साहब इन शहजादों को, इन राजे महाराजाओं की, जो तनख्वाह है, वह बन्द कर दो। ऐसे लोग आपस में लड़ाई कराते हैं। हम ने उन से कुछ वादा किया है और उनकी तनख्वाहों को हम बन्द करें, यह लाजिमी नहीं है। मैं यह बात बहुत दुख के साथ कह रहा हूं कि मेरे सगे साले का लड़का महाराजा जींद जो मर भी गया हैं एक लाख रुपया खर्च करते थे कुत्ते, बन्दरों और घोड़ों पर। यह नहीं होना चाहिये। मैं कहूंगा कि आप यह देख कि ये राजे-महाराजे, ये नए नवाब साहब, सेठ साहब पैसा ठीक तरह से खर्च करते हैं या नहीं करते हैं। हम इनको इस पैसे को नशे में, शराब में या जुए में या घुड़दौड़ों में या कुत्तों के शिकार में खर्च करने नहीं दे सकते हैं। इस तरह का कोई इंतिजाम हम लोग कर दें तो अच्छा रहेगा। पैसा कोई कैसे ही कमाये, उसका खर्च वह कैसे करता है, इसका हम हमेशा खयाल रखें, इसको हम हमेशा देखें।

एक बात मुझे यह भी कहनी है कि सरकार का जो ढांचा है वह बड़ा ही गलत है। कुछ लोग ऊपर बैठे हैं और समझते हैं कि उनको ही तमाम मुल्क का इंतिजाम करना चाहिये। मैं तो कहता हूं कि अगर दरअसल में हम यह चाहते हैं कि लोगों को स्वराज मिलना चाहिये तो वह नीचे से मिलना चाहिये। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार और हमारे प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू भी यह कहने लग गये हैं कि हां, पंचायती राज होना चाहिये। इस बात को मैं बराबर कहता आ रहा हूं। मगर अब जो पंचायती राज बना है, उसमें आप देखिये कि क्या हुआ है। मेरे पास के एक गांव में छः आदमी मारे गए इसी पंचायती राज के सिलसिले में। यह जो तरीका है चुनाव का यह बड़ा ही गलत तरीका है। हमारे यहां कुछ चुनाव का तरीका हमेशा से चला आया है, हम जो खुद की सभ्यता रखते

[राजा महेन्द्र प्रताप]

हैं वह हजारों बरस की सभ्यता है । हम क्यों हर बात में अंग्रेजों की नकल करते हैं। यह बात मुझे अच्छी नहीं लगती है । मैं अर्ज करूंगा कि जो पंचायती राज आप बनाये वह इस तरह से बनाये कि गांव वालों को अख्तियार दें कि वे अपने तरीके से चुनाव करें। आप देखें तो आपको पता चलेगा कि—गांवों में हर जाति की पंचायतें मौजूद हैं, उनके चौधरी या उनके सरदार मौजूद हैं। हम उन्हीं को क्यों न मानें ? हम उन पर कोई और आदमी क्यों थोपना चाहते हैं ? इससे तमाम झगड़े पैदा होते हैं। अगर इस तरह से जैसे मैं ने कहा है कि पंचायतें बनाई जायेंगी तो दरअसल में सच्चा पंचायती राज, सच्चा स्वराज देश में कायम होगा । मैं ने कई बार अर्ज किया है कि यह जो चुनाव का तरीका है, यह बहुत गलत है । इस तरीके में आदमी दौड़ता है, भागता है, रुपया खर्च करता है और यह भी आपने सुना होगा कि स्टार्ज यानी रंडियों को बुलाया तक गया है इस वास्ते कि हम को वोट मिलने चाहियें । यह क्या कोई तरीका है ? मैं अर्ज करूंगा कि होना यह चाहिये कि गांव गांव में, गांव वालों का राज हो । गांव वाले मिल कर एक जिले का राज बनायें। जिले जिले मिल कर सूबे का राज बनायें और सूबे-सूबे मिल कर केन्द्र का राज बनायें । मैं यह भी अर्ज करूंगा कि इतनी ज्यादा तादाद में हमारे यहां आने की जरूरत नहीं है । आप हाऊस को देख लीजिये । दरअसल में हम यहां पर कोई पांच सौ आदमी हैं। अव्वल तो आते ही बहुत थोड़े हैं, और जो आते भी हैं वे भी दरअसल में क्या कुछ कर सकते हैं ? यह देखने की बात है। मैं अर्ज करूंगा कि ४०—५० आदमी बहुत काफी हैं यहां सेंटर में । ३०—४० आदमी ही सूबे की सभा में बहुत काफी हैं। और वजीरों की तो पांच से ज्यादा जरूरत ही नहीं है। यह क्या है कि रेजीमेंट की रेजीमेंट ही रख ली गई है वजीरों की ।

मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि यह जो ढांचा है सरकार का यह बड़ा गलत है । हम तो तारीफ करते हैं उन वजीरों की जो अच्छा काम कर रहे हैं। मगर ज्यादा की जरूरत नहीं है और यह जो वजीर साहब यहां ज्यादा हैं वह चले जायेंगे तो उनका कोई नुक्सान नहीं होगा । वह तो वहां जा कर नेता बनेंगे । और हम लोग भी अगर यहां थोड़े रहेंगे तो बाकी लोग जा कर अपने अपने जिलों में काम करेंगे। और ज्यादा अच्छा काम कर सकेंगे । और सच्चे तौर से कौम को बना सकेंगे । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हर बात में अंग्रेजी ढांचे की नकल करना बड़ा गलत है ।

इसके साथ एक और बहुत जरूरी बात कहनी है । वह यह है कि हमरा जो मुल्क है वह धार्मिक देश है और यह ऐसा धार्मिक देश है जिसमें ऋषि मुनि पैदा हुए, राम और कृष्ण पैदा हुए और हमारे बड़े बड़े देवता पैदा हुए । ऐसा जो यह देश है जिसमें हिन्दू गंगा बह रही है, उसमें मुसलमानों की जमुना आ कर मिली है और उस अन्दर हमारे सिखों की सरस्वती भी आ गयी है, तो यह त्रिवेणी बन गयी है । तो ऐसा हमारा यह धार्मिक देश है इसमें हमको धर्म का अवश्य ख्याल रखना चाहिए ।

हम लोग कहते हैं कि हमारे लड़के उपद्रव करते हैं, हम कहते हैं कि सत्याग्रह हो रहा है, हम कहते हैं कि मारकूट हो रही है । इस सब का कारण यह है कि हम आदमी नहीं बना सके हैं। तो मेरा यह कहना है, और मैं ने यह कई दफा कहा है, लेकिन दुहराना पड़ता है क्योंकि यह बात सुनी नहीं जाती और मानी नहीं जाती, कि आप कानून न बनाएं उसके बजाए आदमी बनाएं। मैं तो कहता हूं कि सब विद्यालयों में धार्मिक भजन के साथ दिन

आरम्भ होना चाहिए। मगर वह धर्म ऐसा होगा कि हिन्दू कहेगा कि यह हिन्दू धर्म है, मुसलमान कहेगा कि यह दीन इस्लाम है और सिख कहेगा कि यही है वाह गुरू का खालसा।

श्री त्यागी (देहरादून) : माननीय सदस्य ने अभी कहा कि रंडियों का जलसा किया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह तवायफों का जलसा नहीं था बल्कि उनको इसलिए बुलाया गया था कि उनको बताया जाए कि किस तरह से वे अपना पुराना काम छोड़ कर सुधर सकती हैं और रिफार्म हो सकती हैं। उनको मजलिस करने के लिए नहीं बुलाया गया था।

राजा महेन्द्र प्रताप : उसमें यह बात कही गई कि यह डेरेदार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप रहने दीजिए।

राजा महेन्द्र प्रताप : जब ऐसी बात कही जाती है तो मुझे भी कुछ कहना पड़ता है।

†**श्रम और रोजगार मंत्री तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : इस अवस्था पर हस्तक्षप करना मेरे लिये कोई आवश्यक नहीं था। लेकिन मुझसे कहा गया है कि मैं कुछ बातों पर अधिक विस्तार के साथ प्रकाश डालूं।

श्री अशोक महता का प्रेरणादायक भाषण सुन कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी बातों से असहमत होने की अधिक गुंजाइश नहीं। उनको कार्यान्वित करने का दायित्व सरकार का है।

तृतीय योजना और पहले की अन्य पंचवर्षीय योजनाओं के बीच विचारों का कोई बड़ा अन्तर नहीं। तृतीय योजना की सबसे मुख्य विशेषता यह है कि उसमें कार्यान्विति पर बहुत अधिक जोर दिया जायेगा। हम जो अपेक्षाकृत बड़े लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, उनको निर्धारित क्रम में, ठीक समय पर पूरा करना है। हमें उसी के अनुरूप प्रशासन को ढालना है। तृतीय योजना के सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये सरकारी सक्रियता से अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण है आम जनता की सक्रियता। देश की समूची जनता को उसकी कार्यान्विति के लिये सक्रिय बनाना पड़ेगा।

माननीय सदस्य ने हमें आगाह किया है, और हम भी पूर्णतया सचेत हैं कि तृतीय योजना हमारे कंधों पर एक बड़ा उत्तरदायित्व रख रही है। लोकतांत्रिक समाज में एकाएक तेजी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। माननीय सदस्य ने जिस गुणात्मक परिवर्तन की बात कही है, वह तो अभी तक के सारे परिवर्तनों और विकास की चरम परिणति ही होगा।

माननीय सदस्य ने शायद यह कहा है कि विकास की दिशा में पूरे वेग से छलांग भरने से पहले गुणात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है।

उस प्रकार के परिवर्तन के दो पहलू हैं। उसका एक पहलू है तकनीकी स्तर पर परिवर्तन, जो द्वितीय योजना में काफी आगे बढ़ चुका है, और जिसके फलस्वरूप तकनीक में प्रशिक्षित कार्यकर्त्ताओं की संख्या काफी तेजी से बढ़ा गई है। लेकिन माननीय सदस्य ने उसके दूसरे पहलू पर अधिक जोर दिया है। दूसरा पहलू है लक्ष्यों को काफी बड़े पैमान पर बढ़ाने का

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नन्दा]

भगीरथ प्रयास। उदाहरण के लिये धरलू बचत ८ प्रतिशत से बढ़ कर ११ प्रतिशत होनी चाहिये। इसके लिये जितने प्रयास की आवश्यकता है, वह शायद अभी नहीं किया गया है।

इसके लिये पहले कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। माननीय सदस्य ने सबसे पहली शर्त रखी है---मानसिक कायाकल्प की। यह काम पंचायती राज के जरिये किया जा रहा है। गावों में चन्द सहकारों संस्थाओं का शायद कोई बड़ा महत्व न हो। लेकिन अगर गांवों में जनता की आर्थिक सक्रियता का ३०--४० प्रतिशत भाग सहकारी संस्थाओं के जरिये ही होने लगे, तो उसे गुणात्मक परिवर्तन ही माना जायेगा।

मानसिक परिवर्तन का अर्थ यह है कि जनता के हर दृष्टिकोण में उग्र परिवर्तन होना चाहिये। जब तक हर क्षेत्र में अधिकांश जनता के दृष्टिकोण में उग्र परिवर्तन नहीं आयेगा, तब तक योजना के निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं किये जा सकेंगे।

माननीय सदस्य का मत यह है कि जब तक समन्यायपूर्ण समाज की स्थापना की दिशा में कुछ कदम नहीं उठाये जायेंगे, तब तक योजना के प्रति आम जनता में उत्साह पैदा नहीं किया जा सकेगा। हम सभी इस बात से सहमत हैं। इस दिशा में कुछ किया भी गया है। लेकिन अभी कुछ और ज्यादा करने की आवश्यकता है। इसके विचारात्मक और व्यावहारिक पक्षों में विभेद करना भी जरूरी है। सामाजिक परिवर्तन सम्बन्धी अपने कुछ विचारों, अपनी कुछ धारणाओं के लिये---समानता लाने के विचार के लिये---समाज के आर्थिक विकास को मन्द नहीं करना चाहिये।

अपनी विचारात्मकता के लिये समाज के आर्थिक विकास और उसके आर्थिक लाभ का बलिदान चढ़ाये बिना भी, हम सामाजिक और आर्थिक समानता की दिशा में बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी हमें अपना सारा जोर आर्थिक उन्नति पर ही लगाना चाहिये। और यह समूची आर्थिक उन्नति समन्यायपूर्ण समाज की स्थापना की ही दिशा में होनी चाहिये, क्योंकि यह सम्भव नहीं कि हम एक अवस्था तक पूंजीवादी ढंग से विकास करते जायें और फिर एकाएक निश्चित कर दें कि अमुक तिथि के बाद हम समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना की ओर बढ़ने लगेंगे। यह दिशा तो प्रारम्भ से ही निश्चित होगी। समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना की एक निरंतर प्रक्रिया है। इसलिये योजना के प्रति जनता में उत्साह पैदा करने के लिये किये जाने वाले हमारे प्रयास समाज के आर्थिक विकास के प्रयासों के साथ-साथ ही चलने चाहिये।

इसलिये हमें विचारधारा सम्बन्धी समानता पर नहीं, बल्कि सामाजिक अवसरों की समानता पर जोर देना चाहिये।

दूसरा महत्वपूर्ण काम यह है कि हमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आवास, खाद्यान्न, इत्यादि की न्यूनतम व्यवस्थाओं को विनिश्चित कर लेना चाहिये। अर्थात्, राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के लिये उतनी न्यूनतम व्यवस्थायें तो होनी ही चाहिये। समाज के देहाती क्षत्रों में सामुदायिक विकास-कार्य को इन न्यूनतम अपेक्षाओं को जुटाने पर सबसे अधिक जोर देना चाहिये। व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए, हमें अपन उत्पादन की प्रणाली कुछ ऐसी रखनी चाहिये कि सामान्य जनता की दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं को पर्याप्त मात्रा में जुटाया जाये और विलास से कम-ज्यादा ताल्लुक रखने वाली वस्तुओं का उत्पादन सीमित रहें।

अपने उद्देश्यों की प्राप्ति का यही मार्ग है। हमने अपनी योजनाओं को तैयार करने में इन दोनों बातों का समुचित ध्यान रखा है।

सबसे ज्यादा ध्यान तो इस बात पर देना है कि रोजगार पाने के अवसर अधिक से अधिक व्यापक बनाये जायें। राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति रोजगार की सुविधायें जुटाकर की जानी चाहिये, दान और वित्तीय सहायता की योजनाओं के जरिये नहीं। हम इसे देहाती क्षेत्रों की जनशक्ति के अधिकाधिक उपयोग के कार्यक्रमों के जरिये प्राप्त करने के प्रयास कर रहे हैं। गरीब तबके के बच्चों के लिये शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें जुटायी जाना चाहिये, जिससे कि वे छात्रवृत्तियों इत्यादि के सहारे उच्चतम स्तर की शिक्षा भी प्राप्त कर सकें।

तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्वास्थ्य से सम्बन्धित सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि पीने के पानी की सुविधा सार्वभौमिक बनाई जाये।

हमारा दृष्टिकोण सैद्धान्तिक कठमुल्लेपन का नहीं है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये समाज के समृद्ध तबकों को पहले से अधिक त्याग करना पड़ेगा। उनको इससे हिचकना नहीं चाहिये, क्योंकि उनका त्याग समूचे समाज के हित में होगा। इसके लिये एक तरह से हम सभी को तैयार रहना पड़ेगा।

माननीय सदस्य ने जनसंख्या की वृद्धि के सम्बन्ध में काफी विस्तार से कहा है। जनगणना से पहले से भी, हम इस समस्या के प्रति सजग रहे हैं। जनगणना से पता चला कि हमारे अनुमान से कुछ अधिक ही वृद्धि हुई है। हमने हिसाब लगाया था कि द्वितीय योजना के अन्त तक हमारे देश की जनसंख्या ४३ करोड़ १० लाख हो जायेगी, लेकिन वह ४३ करोड़ ८० लाख हो गई है। अब प्रश्न है कि इसके लिये किया क्या जाये? पहली बात तो यह कि हम इसे रोकने के लिये क्या करने की सोच रहे हैं? दूसरी यह कि तृतीय योजना में हम इसके परिणामस्वरूप कौन से नये प्रस्ताव रख रहे हैं?

यह कहना सही नहीं है कि हम यह धारणा बना बैठे हैं कि तृतीय योजना काल में जन्म-दर घट जायगी। हमारी ऐसी कोई धारणा नहीं है। हां, उससे बाद के काल में यह संभव है। और वह भी तभी जब परिवार नियोजन का कार्य अपेक्षाकृत बेहतर ढंग से और अधिक व्यापक आधार पर किया जाये। उसके लिये शिक्षा के जरिये जनता की मनोवृत्ति बदलनी पड़ेगी। यह अवश्य किया जायेगा।

जनसंख्या की वृद्धि के फलस्वरूप हमें अपने लक्ष्य भी बढ़ाने पड़ेंगे। तृतीय योजना की प्रारूपित रूप रेखा में भी जनसंख्या की इस वृद्धि का पूरा ध्यान रखा गया था। हमने खाद्यान्नों, तिलहन, कपड़े और अन्य सामान्य उपयोग की वस्तुओं के प्रति व्यक्ति लक्ष्य पहले से कहीं ऊंचे कर दिये थे। यदि वे लक्ष्य ठीक ढंग से कार्यान्वित किये जायें और उनकी पूर्त्ति हो, तो उन लक्ष्यों के पुनरीक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

जनसंख्या की इस वृद्धि के फलस्वरूप सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण समस्या आ खड़ी हुई है रोजगार जुटाने की। हमने सोचा था कि १५० लाख लोगों के लिये अतिरिक्त रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और तृतीय योजना में १४० लाख लोगों के लिये रोजगार की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया था। शेष १० लाख नये लोगों के लिये रोजगार जुटाने की दिशा में हमने विशेष प्रयत्न करने का आश्वासन दिया था। अब जनगणना के आंकड़ों के

[श्री नन्दा]

अनुसार, १५३ लाख लोगों के लिये अतिरिक्त रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जनसंख्या की यह वृद्धि सभी राज्यों में समान रूप से नहीं हुई है। इससे यह समस्या और पेचीदा हो गई है। जनसंख्या की वृद्धि जहां आसाम में ३४.३० और पश्चिमी बंगाल में ३२.९४ है, वहीं कुछ अन्य राज्यों में तो ९.७३ ही रही है। इसलिये अतिरिक्त रोजगार जुटाने के कार्यक्रम उन राज्यों में अधिक बड़े पैमान पर कार्यान्वित किये जायेंगे जहां वृद्धि अधिक रही है। सभी राज्यों के लिये एक समान कार्यक्रम नहीं रख जा सकते। इस समस्या पर स्थानीय स्तर पर विचार करना पड़ेगा।

माननीय सदस्य ने रोजगार के सम्बन्ध में श्रम को अधिक तीव्र बनाने और पूंजी के उपयोग को तीव्र बनाने की समस्या का उल्लेख किया था। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। सिंचाई और विद्युत मंत्रालय का मेरा अनुभव यह है कि कई परियोजनाओं में मशीनों के प्रयोग से समय की बचत तो हुई, पर उससे कुल मिलाकर वास्तविक आय में वृद्धि नहीं हुई। अब हमने तैय कर लिया है कि रोजगार की संभावना बढ़ाने का एक तरीका यह इस्तेमाल किया जायेगा कि हम परियोजनाओं पर विचार करते समय यह देखेंगे कि उन योजनाओं को तैयार करने में श्रम को तीव्र बनाने और मशीनीकरण के पक्षों पर उचित ध्यान दिया गया या नहीं।

पूंजी के अधिक तीव्र उपयोग के संबंध में यह है कि हमारे इंजीनियरों का प्रशिक्षण विदेशों में होता है, जहां पूंजी के अधिक तीव्र उपयोग के द्वारा श्रम की बचत करना एक बड़ी सफलता मानी जाती है। हमारे यहां बात इस के विपरीत है। हमें अपने इंजीनियरों को प्रशिक्षित करना है इस काम के लिये कि वे अधिक श्रम का उपयोग कर के पूंजी की बचत करें।

माननीय सदस्य ने एक दूसरा पहलू भी लिया है। यह कि क्या अधिकतम रोजगार जुटाकर अधिकतम आय जुटाई जाये या अतिरिक्त उत्पादन की मात्रा अधिकतम करने पर जोर दिया जाये। उत्पादन की अतिरिक्त मात्रा की दरकार हमें है, अवश्य है, लेकिन सभी उत्पादन कार्यक्रमों के प्रति हम ने एक सामान्य दृष्टिकोण यही अपनाया है कि कुटीर उद्योगों और छोटे पैमाने के उद्योगों को भी सहायता की जाये, अर्थात् विभिन्न स्तरों पर विभिन्न तकनीकों को चालू होने दिया जाये।

कुछ समाचार पत्रों ने हमारी बड़ी कड़ी आलोचना की है कि हम अम्बर चर्खा और ग्रामोद्योगों को सहायता देकर अपने संसाधनों का अपव्यय कर रहे हैं। वे भूल जाते हैं कि संसाधन हैं ही इसलिये कि उन से जनता के लिये रोटी-रोजी जुटाई जाये। संसाधनों की बचत यदि करनी हो, तो व्यय और उपभोग की मितव्ययता के द्वारा की जानी चाहिये। हम ग्रामोद्योगों को जो सहायता देते हैं उस से रोजगार में वृद्धि होती है और साथ ही उनको बेहतर औजार हासिल करने में सहायता मिलती है।

माननीय सदस्य ने बड़े जोर के साथ कहा है कि विदेशों से जो मशीनें आ रही हैं, वे बड़ी पुरानी, पुराने ढंग की हैं, जिनका वहां अब उपयोग नहीं होता। कुछ निजी उद्योगपति उनको विदेशों में नये नमूनों पर तैयार करा रहे हैं। यदि उन को उस में लाभ होता है, तो हमें क्या आपत्ति ? इस बात पर इतना अधिक जोर देना अनावश्यक है। हां, बुनियादी उद्योगों में इसकी गुंजाइस नहीं है। वहां तो पूंजी कार्यक्षमता में यदि ५ प्रतिशत कमी भी आ जाये तो उस से लागत ३० प्रतिशत तक बढ़ सकती है। इस घाटे को वर्षों तक पूरा नहीं किया जा सकेगा।

माननीय सदस्य ने कहा है कि क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग किया जाना चाहिये। हम इस के प्रति पूर्णतया सतर्क हैं। नयी अनुज्ञप्तियां देते समय, हम एक नहीं, दो पालियों की व्यवस्था सामने रखते हैं। अब तो तीन पालियां भी रखी जाती हैं। हां, माल न मिलने के कारण मशीनों की कुछ क्षमता अप्रयुक्त पड़ी रहती है। यह समस्या विचाराधीन है।

माननीय सदस्य ने मुनाफे की विभिन्नता के संबंध में कहा था। प्रतियोगिता के आधार पर खड़ी अर्थ व्यवस्था में, विभिन्न कारणों से, विभिन्न उद्योगों के मुनाफों में विभिन्नता रहेगी ही। लेकिन जब कुप्रबन्ध इतना बढ़ जाये कि रोजगार की संभावना कम होने लगे, तो वह निजी प्रश्न नहीं रहता, समूचे राष्ट्र का प्रश्न बन जाता है। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम ने इस के लिये सरकार को पर्याप्त शक्तियां प्रदान की हैं, और सरकार उनका प्रयोग कर रही है।

अब सामान्यतया यह महसूस किया जा रहा है कि योजना के प्रारूप में निर्यात से होने वाली आय का जो लक्ष्य रखा गया था, उसका पुनरीक्षण करना पड़ेगा। हमें देश में ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा कि लोग निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की किस्म और उनकी उत्पादन लागत पर अधिक ध्यान दें, जिस से निर्यात-व्यापार बढ़ सके।

श्री माथुर हर बार प्रादेशिक असमानता के प्रश्न पर जोर देकर पूछते हैं कि उसे मिटाने के लिये हम क्या कर रहे हैं। उनकी शिकायत है कि हम हमेशा यही कह देते हैं कि समस्या का अध्ययन किया जा रहा है। मैंने यह कभी नहीं कहा कि इसका अध्ययन अब पूरा होने ही वाला है। अध्ययन तो निरन्तर चलेगा ही। कौन कह सकता है कि तृतीय योजना की समाप्ति तक प्रादेशिक असमानतायें नहीं रहने दी जायेंगी? अध्ययन चल रहा है और चलता रहेगा। इस बीच में हम राजस्थान जैसे पिछड़े हुए राज्यों को कुछ अधिक सहायता दे रहे हैं। हम पिछड़े हुए राज्यों को कई तरीकों से सहायता दे रहे हैं।

†**एक माननीय सदस्य :** कितने प्रतिशत ?

†**श्री नन्दा :** मेरे पास उस के आंकड़े मौजूद हैं। मैं उनको परिचालित कर दूंगा।

अखिल भारतीय आधार पर योजना में प्रति व्यक्ति ७८.४ प्रतिशत, और राजस्थान पर ११४.२ प्रतिशत वृद्धि हुई है।

अखिल भारतीय आधार पर विद्युत के मामले में योजना में प्रति व्यक्ति १२० प्रतिशत और राजस्थान पर, १७० प्रतिशत वृद्धि हुई है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : माननीय मंत्री ने कहा है कि राजस्थान पर १७० प्रतिशत और जब कि पूरे देश पर १२० प्रतिशत हुई है। लेकिन इस से पहले तो राजस्थान पर वृद्धि के नाम शून्य ही था।

मैंने स्पष्ट प्रश्न पूछा था कि इस बीच असमानता बढ़ी है या नहीं, और तृतीय योजना काल में असमानता और भी बढ़ेगी या घटेगी ?

†**श्री नन्दा :** मैं अपनी यह बात कह कर समाप्त करूंगा कि यह एक साधारण मामला है परन्तु उसे अनावश्यक रूप से जटिल बनाया जा रहा है।

जब हम कहते हैं कि प्रति व्यक्ति योजना इतनी अधिक हो गई है तो उसका मतलब यह है कि अन्तर बढ़ नहीं रहा है, बल्कि असमानतायें घट रही हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नन्दा]

यह सारा चित्र अनेक भागों से मिल कर बना है। मैं ने बिजली का प्रश्न इसलिए उठाया था कि माननीय सदस्य ने उस पर बहुत जोर दिया था । उन्होंने कहा कि बिजली के संबंध में कोई नीति नहीं है और हम बड़े उद्योगों को बहुत अधिक बिजली दे रहे हैं और सस्ती दरों पर । ऐसा नहीं है । कुछ राज्य कुछ उद्योगों को संरक्षण देना चाहते थे परन्तु वैसा किसी बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है । दूसरी ओर लघु उद्योगों, विशेषकर कृषि को, अधिमान्यता दी जा रही है । चूंकि विद्युत् और राजस्थान के संबंध में पृथक पृथक् चर्चा नहीं हो सकती है इसलिए मैं संक्षेप में ही स्थिति का विवरण दे सकता हूं ।

बस मुझे इतना ही निवेदन करना है ।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानल) : वित्त मंत्रालय की मांगों पर बोलते हुए मैं सर्वप्रथम योजना मंत्री द्वारा कही गई कुछ बातों के बारे में कुछ निवेदन करूंगा । यह ठीक है कि हम समानता की ओर बढ़ रहे हैं और व्यक्ति-व्यक्ति राज्य-राज्य तथा क्षेत्र-क्षेत्र के बीच विषमताओं को कम करने का प्रयत्न किया जा रहा है परन्तु हमारे राज्य और प्रशासन में कुछ ऐसी असमानतायें हैं जो इस संबंध में बाधक हैं। संविधान के अन्तर्गत राजाओं को दी जाने वाली निजी थैलियां इसका ज्वलन्त उदाहरण हैं । मैं यह नहीं कहता कि वे बन्द कर दी जायें परन्तु उन पर कर अवश्य लगाया जाना चाहिए। जब जन साधारण के उपयोग की प्रत्येक वस्तु पर कर लगा हुआ है तो राजाओं की निजी थैलियों पर कर न लगाया जाना नैतिक दृष्टि से अत्यन्त अवांछनीय है। यह कहना व्यर्थ है कि उन पर कर लगाना उन के साथ किए गए करार के विरुद्ध होगा। मेरा निवेदन है कि जब हम समाजवादी समाज की स्थापना का निर्णय कर चुके हैं तो इस प्रकार के करार समाप्त किए जाने चाहियें क्योंकि वे समाजवाद की भावना के विरुद्ध हैं।

इस के बाद मैं आयकर के प्रश्न पर आता हूं । प्रो० कैल्डर का कहना है कि करापवंचन की राशि २०० करोड़ रुपये होगी जब कि सरकार केवल ३० करोड़ रुपए स्वीकार करती है । वास्तविक राशि जो भी हो परन्तु यह निर्विवाद है कि करापवंचन काफी मात्रा में होता है । मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री इस के संबंध में प्रकाश डालेंगे ।

आयकर के संबंध में दूसरी मुख्य समस्या बकाया की है । देश में प्रति वर्ष औसतन २४० करोड़ रुपए का आयकर लगाया जाता है । ३१ मार्च, १९५९ को आय-कर की बकाया राशि १४३.८ करोड़ रुपये थी जो कुल राशि की लगभग ६५ प्रतिशत होती है । यह बड़ी शोचनीय स्थिति है । मेरा विचार है कि यदि समस्त आयकर की राशि वसूल की जा सके तो वित्त मंत्री को दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर कर नहीं लगाना पड़ेगा। अतः बकाया राशि की वसूली का प्रयत्न किया जाना चाहिए ।

आयकर के संबंध में एक बात और भी उल्लेखनीय है वह है प्रभावी और अप्रभावी मांगों का अन्तर । कुछ आयकर वसूल किए जाने के समय ही प्रभावी होता है परन्तु तब तक करदाता देश छोड़कर चला जाता है और वह राशि बट्टे खाते में डाल दी जाती है । इस प्रकार आयकर के संबंध अनेक दोष हैं । इनको दूर करने के लिए कानून और प्रक्रिया में समुचित संशोधन किया जाना चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस के बाद मैं जीवन बीमा निगम पर आता हूं । मुझे खुशी है कि उसका व्यापार बढ़ रहा है । परन्तु जहां तक बीमे की पालिसी के व्यपगत होने का प्रश्न है मैं माननीय वित्त मंत्री से उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध करूंगा । आजकल जीवन यापन बहुत कठिन हो गया है और कोई भी व्यक्ति जानबूझ कर ऐसी गलती नहीं करता है । अतः प्रीमियम न दे सकने के कारण पालिसी व्यपगत (लैप्स) नहीं होनी चाहिए ।

जहां तक दावों के निर्णय का प्रश्न है मैं वित्त मंत्री का ध्यान प्राक्कलन समिति के संबंधित प्रतिवेदन की ओर आकर्षित करूंगा । उस के पृष्ठ ७१ पर यह कहा गया है कि १५,००६ पालिसियां निर्णय के लिए एक साल से अधिक समय से पड़ी हुई हैं । मैं समझता हूं कि निगम के प्रशासन में कोई मूलगत दोष अवश्य होगा तभी इतनी पालिसियां निर्णय के लिए पड़ी हुई हैं । इतना अधिक समय लगना ठीक नहीं है ।

जहां तक निगम के व्यापार का सम्बन्ध है, यह ठीक है कि उसमें वृद्धि हुई है परन्तु वह वृद्धि मेरे विचार से निगम के प्रयत्न के परिणामस्वरूप नहीं कही जा सकती । हम देखते हैं कि निगम के एजेण्टों की संख्या, जो ३१-१२-५८ को २,३०,६०४ थी अब केवल १४८,२५५ रह गई है । मैं नहीं समझता कि एजेण्टों की संख्या घटाते जाने से व्यापार किस प्रकार बढ़ सकता है ? यही नहीं, एजेण्टों की संख्या तो कम की जा रही है परन्तु प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है जिनसे व्यापार नहीं मिलता है । इसके अतिरिक्त लिखापढ़ी का काम भी ठीक नहीं हो रहा है और बीमाधारियों को प्रीमियम के नोटिस नहीं भेजे जाते हैं जिससे उन की पालिसी लैप्स हो जाती है । मैं यह नहीं कहता कि कर्मचारियों की संख्या न बढ़ाई जाय परन्तु बीमाधारियों को संतोषजनक सेवा भी तो प्राप्त होनी चाहिये ।

बीमा निगम के सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री से यह भी पूछना चाहता हूं कि उन जाली अंशों (शेयर्स) का क्या हुआ जो मूंदड़ा कांड के सम्बन्ध में खरीदे गये थे ?

अपना भाषण समाप्त करने के पूर्व मैं मूल्य के प्रश्न का निर्देश और करूंगा । मेरा विचार है कि मूल्यों के सम्बन्ध में सरकार की नीति बहुत कमजोर रही है । पहले तो सरकार यह कहती थी कि खाद्यान्नों के भाव अधिक होने के कारण ही समस्त वस्तुओं के मूल्य चढ़ रहे हैं । परन्तु अब तो स्थिति बदल गई है और खाद्यान्न के भाव गिर रहे हैं । अब सरकार अन्य वस्तुओं के मूल्यों को कम करने के लिये नियंत्रण क्यों नहीं लगा रही है ? जब सरकार दिन पर दिन कर बढ़ाती जा रही है तो वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखना भी उसका नैतिक कर्त्तव्य है ।

†डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : बजट प्रस्तावों में ६० करोड़ रुपये के कराधान का प्रस्ताव है जिन में से ३० करोड़ रुपये सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क से वसूल किये जायेंगे और शेष प्रत्यक्ष करों द्वारा । मेरा निवेदन है कि सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क ने अनेक छोटे-छोटे उद्योगों के लिये बहुत कठिनाई पैदा कर दी है । विद्युत् चालित चार करघों वाले यूनिटों ने यह अभ्यावेदन किया है कि स्टेपल धागे के १० पौंड वाले बण्डल का मूल्य २२ रुपये से बढ़ाकर ३४ रुपये हो गया है । इस वृद्धि के बावजूद यदि ये उत्पादन शुल्क वसूल किये गये तो ये एकक सर्वथा नष्ट हो जायेंगे । मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री उनकी सहायता करने का प्रयत्न करेंगे ।

दूसरी बात पेटन्ट औषधियों के सम्बन्ध में है । उन पर उनके मूल्यानुसार १० प्रतिशत उत्पादन शुल्क वसूल करने का प्रस्ताव ठीक नहीं है तथा उसके परिणामस्वरूप इस लाइन के छोटे

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० मा० श्री० अणे]

उद्योग नष्ट हो जायेंगे । चूंकि औषधियों का सम्बन्ध जनता के स्वास्थ्य से है अतः इस ओर माननीय मंत्री को ध्यान देना चाहिये ।

जहां तक कांच उद्योग का सम्बन्ध है, मुझे गोंदिया फैक्टरी, जिसे ओनामा फैक्टरी कहते हैं, से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है । वह मैं ने मंत्री महोदय को दे दिया है । उन्होंने भी यह मांग की है कि 'फूंक' प्रणाली से काम करने वाले कारखानों को कर-मुक्त किया जाये । ये कारखाने छोटे पैमाने के हैं तथा उनमें मुख्यतः टूटा हुआ शीशा काम में लाया जाता है ।

अन्तिम बात रेडियो व्यापारियों से सम्बन्धित है । अखिल भारतीय रेडियो व्यापारी संघ ने एक वैकल्पिक प्रस्ताव रखा है कि रेडियो सेटों पर मूल्यानुसार शुल्क लगाने के बजाय एक निश्चित उत्पादन शुल्क लगाया जाय । उन का कहना है कि इससे भी सरकार को उतनी ही आय प्राप्त होगी जितनी कि विधेयक में कल्पित की गई है । मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री इसकी जांच करें और यदि यह दावा ठीक हो तो उसे स्वीकार कर उन्हें राहत दें ।

†श्री लीलाधर कटकी (नौगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी दो योजनायें पूरी हो गई हैं और हम तीसरी योजना प्रारम्भ करने जा रहे हैं । अतः हमें यह देखना चाहिये कि पिछले दस वर्षों में हमारी राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हुई है उसका समान वितरण हुआ है या नहीं ? देश की राष्ट्रीय आय में ४२ प्रतिशत की वृद्धि हुई है और प्रति व्यक्ति आय में २० प्रतिशत । परन्तु यदि हम आंकड़े देखें तो ज्ञात होगा कि किसानों की प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि हुई है वह अन्य व्यक्तियों की आय से बहुत कम है । इस असमानता को कम करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये ।

प्रादेशिक असमानतायें भी इतनी ही विषम हैं । उदाहरण के लिये असम राज्य को लिया जा सकता है । समस्त भारत की राष्ट्रीय आय में ४२ प्रतिशत हुई है परन्तु असम में केवल २१ प्रतिशत ही हुई है । इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय के सम्बन्ध में भी असम बहुत पीछे है । यही नहीं यदि हम आंकड़े देखें तो ज्ञात होगा कि असम में प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के बजाय कम हो गई है । मेरा निवदन है कि योजना आयोग को विभिन्न राज्यों को आवण्टन करते समय इस असमानता को दूर करने का ध्यान रखना चाहिये ।

जहां तक जनसंख्या वृद्धि का प्रश्न है, इस मामले में भी असम का दुर्भाग्य है कि उसकी जनसंख्या ३४.३ प्रतिशत बढी है जबकि समस्त देश का औसत २१.१ प्रतिशत है । प्रति व्यक्ति आय कम होने से असम की स्थिति और भी दयनीय हो जाती है । असम में उद्योगों की बहुत कमी है अतः इस बढ़ी हुई जनसंख्या को खती में ही खपाना होगा ।

जहां तक आयोजन का सम्बन्ध है, केवल धन के आवण्टन से उद्देश्य प्राप्ति नहीं हो सकेगी । विभिन्न परियोजनाओं का निरन्तर मूल्यांकन बहुत आवश्यक है । दूसरी योजना में इस दिशा में प्रयत्न किया गया है परन्तु मैं चाहता हूं कि उसे नियमित रूप दे दिया जाय और योजना का विभिन्न मदों के अन्तर्गत तथा विभिन्न क्षेत्रों के कार्य का वार्षिक मूल्यांकन किया जाय तथा उसे सभा के समक्ष पेश किया जाय । मंत्रालयों के प्रतिवेदन से पूर्ण चित्र नहीं रहता है इसलिये ये वार्षिक मूल्यांकन अवश्य ये पेश कि जाने चाहिये ।

जहां तक असमानता का सम्बन्ध है, अगस्त-सितम्बर के सत्र में प्रधान मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि अतिरिक्त आय के प्रति व्यक्ति विभाजन के सम्बन्ध में जांच करने के लिये एक

---

†मूल अंग्रेजी में

विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जायेगी। पता नहीं इस समिति की नियुक्ति की गई है या नहीं ? मैं चाहता हूं कि उस समिति को केवल आय के विभाजन के कार्य तक ही सीमित न रखा जाये वरन् वह योजना के आवण्टन का भी पुनर्विभाजन करे ताकि आगामी योजनाओं से असमानता खत्म की जा सके।

अन्त में मैं एक बात कहना चाहता हूं। वह यह है कि मूल योजनाओं में कुछ बड़ी भूलें हो गई हैं। उदाहरण के लिये सूरतगढ़ के केन्द्रीय यंत्रीकृत फार्म को योजना के सम्बन्ध में सिंचाई के पहलू और बाढ़ के कारण संभाव्य हानि का विचार नहीं किया गया। इसी कारण हमने उस फार्म के सम्बन्ध में जो ऊंची आशायें की थीं वे पूरी नहीं हो सकीं। अतः योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये समस्त पहलुओं पर भली प्रकार विचार किया जाना आवश्यक है।

†**श्री द० अ० कट्टी (चिकोडी)** : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि उत्पादन समस्त सुनियोजित विकास का आधार है। कृषि उत्पादन बढ़ाये बिना योजना को सफल बनाना असंभव है। माननीय श्री पाटिल ने अपने विभाग की मांगों का उत्तर देते हुए यह कहा था कि खाद्य उत्पादन में हमें बहुत सफलता मिली है और लोगों को पहले से अधिक खाने को मिलने लगा है। परन्तु मुझे मेरे एक चक्की वाले मित्र ने यह बताया कि आजकल पिसाई बहुत कम होती है क्योंकि लोगों को अन्न नहीं मिल रहा है। अतः यदि माननीय मंत्री के कहने के कारण उत्पादन बढ़ा है तो जाहिर है कि उस उत्पादन का वितरण समान नहीं है। वास्तव में सरकार को उत्पादन के जो आंकड़े मिलते हैं वे ठीक नहीं होते हैं। मुझे एक तहसीलदार ने बताया था कि ये आंकड़े किस प्रकार एकत्रित किये जाते हैं। उसने बताया कि हम एक (उपजाऊ) भूमि पर जाते हैं और उसका औसत निकाल लेते हैं तथा वही औसत अन्य लोगों के सम्बन्ध में भी लागू कर दिया जाता है। यह ठीक नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को यह ध्यान रखना चाहिये कि ये बातें खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के सम्बन्ध में अधिक उपयुक्त रहतीं परन्तु उनकी चर्चा की जा चुकी है।

†**श्री द० अ० कट्टी** : मैं प्रारंभ में ही यह कह चुका हूं कि हमारी योजनायें कृषि उत्पादन बढ़ाए बिना सफल नहीं होंगी। मैं आयोजन के सम्बन्ध में ही बोल रहा हूं, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के सम्बन्ध में नहीं।

श्री पाटिल ने यह भी कहा कि हम अपनी कुल भूमि का ४१ प्रतिशत भाग जोतने लगे हैं जब कि अमरीका में केवल १४ प्रतिशत भाग में खेती होती है। मेरा निवेदन है कि हमें देश के आकार और जनसंख्या का भी तो ध्यान रखना चाहिये। अमरीका की जनसंख्या लगभग २० करोड़ है जबकि हमारी ४३ करोड़ है और आकार में अमरीका भारत से तीन गुना बड़ा है। अतः यदि हम ४१ प्रतिशत भूभाग में खेती करने लगे हैं तो वह कोई गर्व की बात नहीं है। हमें अधिकाधिक भूमि को खेती के अन्तर्गत लाने का प्रयत्न करना चाहिये।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं यह है कि हमारे संविधान ने हमें राजनैतिक स्वतंत्रता प्रदान की है। परन्तु बिना आर्थिक स्वतंत्रता के राजनैतिक स्वतंत्रता निरर्थक है। अतः क्या हम आर्थिक स्वतंत्रता की दशा में बढ़ रहे हैं ? मेरा विचार है कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम समान विभाजन का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, इसलिये हमारी योजना का लाभ भी थोड़े ही व्यक्तियों को हो रहा है। मैं दो एक उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट करूंगा।

मेरे क्षेत्र में तम्बाकू की खेती होती है। मुझे ज्ञात हुआ है कि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड ने यह नियम बनाये है कि तम्बाकू का व्यापार करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत जमानत देनी होगी। इसका मतलब

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री द० अ० कट्टी]

यह है कि केवल सम्पत्तिवान व्यक्ति ही यह व्यापार कर सकेगा। इस प्रकार साधारण व्यक्ति इस व्यापार का लाभ उठाने से वंचित है। यही बात जूतों के उद्योग के बारे में भी लागू होती है। जो लोग जूते बनाते हैं उनको लाभ नहीं मिलता वरन् जिन पूंजिपतियों के माध्यम से उनका संभरण किया जाता है उन को मिलता है। प्रायः सभी छोटे उद्योगों के बारे में ऐसी ही स्थिति है।

यदि आप सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय का प्रतिवेदन देखें तो ज्ञात होगा कि छोटे तथा ग्राम उद्योगों के संबंध में कुछ भी नहीं किया गया है। हमारे देश के ७० प्रतिशत लोग खेतिहर हैं और उन में से ३० प्रतिशत भूमिहीन श्रमिक हैं। वे वर्ष में अधिकांश समय में बेरोजगार रहते हैं। यदि ग्राम उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए तो उनको रोजगार मिल सकेगा। परन्तु हम देखते हैं कि उन के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। इसीलिए मुझे यह कहना पड़ा है कि हमारी योजना धनवानों के हित के लिए ही है, निर्धनों के लिए नहीं।

एक बात और है जिसकी ओर मैं वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बेलगाम जिले में अनुसूचित जातियों की महिलायें 'मुआल' नामक तम्बाकू की पत्तियां चुनने का काम करती हैं। उन पर यह प्रतिबन्ध है कि वे उसके लिए प्लाटों के सर्वे नम्बर प्राप्त करें। मेरा निवेदन है कि उन अशिक्षित महिलाओं के लिए यह बहुत कठिन है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस मामले में विचार करेंगे।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि तम्बाकू के संग्रह के लिए भी सुविधा दी जानी चाहिए। केन्द्रीय तथा राज्य भाण्डागार निगम तम्बाकू रखने से इन्कार करते हैं। उनका कहना है कि राष्ट्रीय कृषि और भाण्डागार अधिनियम में तम्बाकू को यह सुविधा देने पर प्रतिबन्ध है। अतः मैं चाहता हूं कि उस अधिनियम में दी गई 'कृषि उत्पाद' की व्याख्या में संशोधन कर के तम्बाकू को उस में सम्मिलित किया जाए ताकि उसे भी संग्रह की सुविधा मिल सके।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अर्थ मंत्रालय की मांगें रक्खी गई हैं उनका मैं समर्थन करता हूं। अभी हाल ही में योजना मंत्री जी ने पिछड़े प्रदेश और अविकसित प्रदेशों के बारे में फिर अपने आश्वासन को दोहराया है कि उसकी ओर हम विशेष ध्यान देंगे। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ी इस सम्बन्ध में शिकायत है और वह यह है कि पिछले अनुभव के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि जहां इस ओर प्लानिंग कमीशन चिंतित है और कुछ जांच पड़ताल भी हो रही है कि पिछड़े हुए और अविकसित क्षेत्रों का कैसे सुधार किया जाय और उनको भी दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में बराबरी पर लाया जाय। उस के लिए चिंतित होते हुए भी कुछ प्रदेशों की ओर ध्यान जाता है और कुछ की ओर नहीं जाता है। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश जिस से कि मैं आता हूं और जिस के बारे में अधिकृत रूप से कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं, उस के बारे में ही कहूंगा कि यह हिन्दुस्तान का सब से बड़ा प्रदेश है और इस विशाल प्रदेश को बनाने में जिन कर्णधारों का हाथ रहा है

उन में से हमारे माननीय अर्थ मंत्री भी एक हैं । यह भी उस के बनाने वालों में से एक थे । रिआर्गेनाइजेशन कमिशन ने भी इस बड़े प्रदेश को बना कर के देश की आर्थिक स्थिति और यहां के साधन, खनिज साधन, वन के साधन, और मैन पावर आदि सब से यह आशा की थी कि यह एक अच्छे प्रदेश की उन्नति में काफी योग दे सकेंगे और बड़ा उन्नत क्षेत्र बनेगा । लेकिन इतने बड़े प्रदेश की जो उस के आसपास दूसरे बड़े बड़े प्रदेश बम्बई, गुजरात, आंध्र, और उत्तर प्रदेश हैं, यह सब बड़े बड़े प्रदेश लगे हुए हैं, उन से अगर इसकी तुलना की जाय और देखा जाय तो यह जो कि देश के बीच मध्य भाग में एक बड़ा प्रदेश है यह कई बातों में बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है और यदि प्लानिंग कमिशन और हमारे अर्थ मंत्री जो इसकी पिछड़ी हुई स्थिति की ओर ध्यान नहीं देंगे तो मैं यह कह सकता हूं कि इस दौड़ में जहां दूसरे प्रदेश आगे बढ़ जायेंगे वहां वह हिस्सा जिसको कि हम अधिक विकसित करना चाहते हैं और जल्दी बढ़ाना चाहते हैं, वह हमारा भाग इस देश का बहुत पीछे रह जाने वाला है, कमजोर रहने वाला है और यह कमजोरी उस प्रदेश की ही नहीं होगी बल्कि यह सारे देश की कमजोरी होगी ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । हम ने देखा कि प्लानिंग कमिशन की जो तीसरी ड्राफ्ट रिपोर्ट हमारे सामने आई उस के अनुसार दूसरी योजना के काल में पिछड़े प्रदेशों की ओर विशेष ध्यान दिया गया । जो खास तौर से स्केयरसिटी ऐरियाज हैं उनको उन्नत करने के लिए कुछ राज्यों को स्पेशल ग्रांट्स दी गईं । राज्य सरकारों को ऐसे स्केयरसिटी ऐरियाज में सुधार कार्य करने के लिए और उन में परमानेंट इम्प्रूवमेंट करने के लिए विशेष ग्रांट्स दी गई हैं । लेकिन उन स्पेशल ग्रांट्स को मध्य प्रदेश को देने के बारे में कोई जिक्र नहीं है । अब यह तो ठीक है कि मध्य प्रदेश में अन्न की कमी नहीं है लेकिन एक अन्न की ही तो प्राबल्म नहीं है । वहां पर अन्न के अलावा दूसरी समस्याएं हैं, दूसरे प्रश्न हैं और बड़े जटिल प्रश्न हैं जिनकी कि ओर ध्यान देने की जरूरत है लेकिन उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और उस में मध्य प्रदेश की प्राब्ल्म्स् का कहीं जिक्र नहीं है । दूसरे राज्यों को स्पेशल ग्रांट्स दी गई हैं ।

सेकेंड फाइव ईयर प्लान में हम कैसे पीछे रहे यह मैं बतलाना चाहता हूं । सेकेंड फाइव ईयर प्लान में मध्यप्रदेश के वास्ते १९० करोड़ और ९० लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी लेकिन खर्च सिर्फ १५० करोड़ हुआ अर्थात् ४० करोड़ और ९० लाख रुपया मध्यप्रदेश को कम दिया गया । अब इसके लिए अर्थ मंत्री जी कहेंगे कि इसमें राज्य का दोष है लेकिन मैं इसे बहुत जोरदार शब्दों में कहना चाहूंगा कि इसमें राज्य का दोष नहीं है बल्कि दोष केन्द्र का और प्लानिंग कमिशन का है । हमारे राज्य में प्लान के प्रथम वर्ष में ही जितना रुपया मुकर्रर हुआ था उतना वह पूरा खर्च नहीं कर पाया । सन् ५६–५७ के लिए हमारी सीलिंग खर्च करने के वास्ते ३२ करोड़ और ८० लाख रुपये मंजूर हुई थी जिसमें से कि सिर्फ १८ करोड़ और ८७ लाख रुपया खर्च हो सका और पूरा रुपया खर्च न होने के कारण हैं । एक तो वह रिआर्गेनाइजेशन का पहला साल था और विन्ध्य, महाकौशल, मध्यभारत और भूपाल आये । कैप्टिल नागपुर से हटा कर भूपाल आया । जबलपुर, रायपुर, ग्वालियर, इंदौर, भूपाल और रीवां इतनी जगहों पर अलग अलग आफिसेज थे । अब इधर से उधर कागज पत्तर जाने में सारा ऐडमिनिस्ट्रेशन हो गया था । इंडस्ट्रीज डिस्लोकेट हो गई थीं और सड़कों और रेलों की व्यवस्था के अभाव के कारण एकीकरण बराबर नहीं हो सका और जिसकी कि

वजह से रुपया पूरा खर्च नहीं हो सका। इन सब कारणों से पहले साल तो जरूर रुपया पूरा खर्च नहीं हो सका लेकिन अगले सालों के बारे में यह शिकायत नहीं की जा सकती है और अगले सालों में यह हालत नहीं रही। मैं आंकड़ों के द्वारा बतलाना चाहता हूं। १९५७–५८ में २७ करोड़ सीलिंग मुकर्रर हुई। उस के अगेंस्ट स्टेट ने २७.३५ करोड़ खर्च किया। १९५८–५९ में ३१.७२ करोड़ सीलिंग थी और ३२.१६ करोड़ खर्च हुआ। १९५९–६० में ३४.२२ करोड़ सीलिंग निश्चित हुई और उस के अगेंस्ट ३५.१६ करोड़ स्टेट ने खर्च किया। १९६०–६१ के लिये ३६.५१ करोड़ रुपया मन्जूर हुआ है और मैं समझता हूं कि इस में से एक पाई भी बचने वाली नहीं है। गत वर्ष में भी पूरा रुपया खर्च हुआ। इस अवस्था में मेरी समझ में नहीं आता कि जब गत वर्षों में राज्य पूरे रुपये को खर्च करने में समर्थ था और उस में क्षमता थी, तो फिर क्यों रुपये को कम किया गया और विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिये प्रदेश को केन्द्र की ओर से पूरी मदद क्यों नहीं मिली।

जहां तक स्टेट के रीसोर्सिज़ का सम्बन्ध है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि १९०.९० करोड़ रुपये में से स्टेट का क्वोटा था ४७.७० करोड़ रुपये और सैंटर का क्वोटा था १४३.२० करोड़ रुपये। इस में ४७.७० करोड़ के अगेंस्ट स्टेट ने ५४.६५ करोड़ रुपये का इन्तज़ाम किया। इस लिये यह नहीं कहा जा सकता कि चूंकि स्टेट अपने रीसोर्सिज़ नहीं जुटा सकी, इसलिये सैंटर कैसे दे। इस के मुकाबले में सैंटर ने १४३.२० करोड़ रुपये में से केवल ९४.४० करोड़ रुपये की व्यवस्था की।

यह मैं ने दूसरी पंचवर्षीय योजना का थोड़ा सा चित्र आप के सामने रखा है। इस से स्पष्ट है कि हम काफ़ी पीछे रह गये हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में ३०० करोड़ रुपये हमारे राज्य के लिये मन्जूर हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की प्राबलम्ज़ को देखा जाये। मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक एरिया का सम्बन्ध है, हमारे प्रदेश को सारे देश का १२.७९ परसेंट एरिया मिला है। पापुलेशन की दृष्टि से सारे देश की पापुलेशन का ७.३ परसेंट हमारे प्रदेश में है और उस में भी लगभग ९० लाख आदिवासी, हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज़ हैं।

कृषि की दृष्टि से भी हमारा प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारा सारा देश ही कृषि-प्रधान देश है, लेकिन हमारे यहां तो कृषि ही मुख्य व्यवसाय है और उस में भी हम बैकवर्ड हैं, क्योंकि हम को ज्यादातर मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है। सैकंड प्लान के अन्त में हमारे यहां इरिगेटिड एरिया ७·३ परसेंट है, जो कि सारे हिन्दुस्तान में सबसे कम है, जब कि सारे देश में इरिगेटिड एरिया १९ परसेंट है।

वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : गुजरात में वह केवल ५ प्रतिशत है।

श्री राघेलाल व्यास : ठीक है, गुजरात में पांच परसेंट होगा।

श्री राघे लाल व्यास : मैं यह कह रहा था कि मध्य प्रदेश मेनली एग्रीकल्चरल है। वहां इतनी इंडस्ट्रीज नहीं हैं। गुजरात में इंडस्ट्रीज काफी हैं।

श्री मो० ब० ठाकुर (पाटन) : कौन सी इंडस्ट्री है, सिवाये टैक्सटाइल के ?

श्री राघे लाल व्यास : वहां टैक्सटाइल बहुत ज्यादा है।

एक माननीय सदस्य : वहां तेल निकला है ।

श्री राधे लाल व्यास : लेकिन दूसरी बातों को देखिए । हमारे यहां मिनरल रीसोर्सिज कितने हैं । सरकार की रिपोर्ट से पता चलता है कि हमारे यहां काफी मिनरल्ज हैं । क्या बगैर पैसे के उन को एक्सप्लायट किया जा सकता है ?

श्री मोरारजी देसाई : स्टील मिल है ।

श्री राधे लाल व्यास : इस के साथ ही साथ हम सड़कों के बारे में बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं । हमारे यहां १,००० स्क्वेयर माइल्ज में कुल ११ मील सड़कें हैं, जब कि हिन्दुस्तान में १,००० स्क्वेयर माइल्ज में ३१ मील सड़कें हैं । ये सैकंड फाइव ईअर प्लान के ऐंड के फिगर्स हैं, जो मैं आप के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं । दूसरे प्रदेशों में भी सड़कें कम हो सकती हैं । कहा जा सकता है कि राजस्थान में भी कम हैं । लेकिन राजस्थान में पहाड़ नहीं हैं । हमारे यहां पहाड़ हैं, नदियां हैं और उन पर जगह जगह पुल चाहिए । यह इतनी बड़ी प्राबलम है कि हमारे प्रदेश को सड़कों के विषय में आल इंडिया स्तर पर लाने के लिए करोड़ों रुपये चाहिए । बारिश के समय लोग एक गांव से दूसरे गांव जा नहीं सकते हैं, क्योंकि पुल नहीं हैं । सड़कों की बात तो अलग रही, पुल भी नहीं बन सके हैं । उन के लिये करोड़ों रुपये की जरूरत होगी । नागपुर प्लान के सम्बन्ध में कहा जाता है कि हम ने टारगेट्स ऐचीव कर लिये हैं और हम आगे बढ़े हैं । लेकिन एक अलग प्रदेश के हिसाब से देखें, जो कि देश के बीच में स्थित है । और सारे आस पास के प्रदेशों से जिस का सम्बन्ध है । यहां से वहां माल पहुंचाने के लिये सड़कों वगैरह की जरूरत होती है । इस महान समस्या को कैसे हल किया जा सकता है ?

आज हमारे प्लानिंग मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम हर एक गांव में ड्रिंकिंग वाटर देना चाहते हैं । मैं कुओं की बात आप के सामने रखना चाहता हूं । हमारे यहां ११,००० ऐसे गांव हैं, जहां कोई भी कुआं नहीं है और १५,०० ऐसे गांव हैं, जिन को अगर गहरा न किया जायगा, तो उन से बराबर पानी नहीं मिल सकता । हमारे यहां १६,००० ऐसे गांव हैं, जहां इनसफिशेंट वाटर है । उस से पूरा नहीं हो सकता है । यह एक कालोसल प्राबलम है । करोड़ों रुपये इन गांवों में कुओं की समस्या को हल करने के लिये चाहिएं, लेकिन मुश्किल से दो ढाई करोड़ रुपये थर्ड फाईव ईअर प्लान में प्रोवाइड किया गया है ।

हमारे यहां आदिवासी क्षेत्र है । बस्तर में जो घटना घटी, उस के विषय में आप ने सुना । हमारे यहां बहुत निरक्षरता है, हम दूसरे राज्यों के मुकाबले में साक्षरता में भी बैकवर्ड हैं । इस लिये इन भोलेभाले लोगों को कई लोग उकसाते हैं । अगर वे लोग शिक्षित नहीं होंगे, तो वे देश की सम्पत्ति और पैदावार को कैसे बढ़ायेंगे । इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है ।

मैं निवेदन करूंगा कि ला एंड आर्डर का प्राबलम भी हमारे यहां है और कैपिटल भी हमारे यहां का प्रालबम है । इन सारे प्राबलम की ओर देखने की जरूरत है । हम सामाजिक दृष्टि से भी पिछड़े हुए हैं, और जैसा कि मैं ने अभी कहा है, हमारे यहां आदिवासी और हरिजन बहुत ज्यादा हैं । यदि इस बैकवर्डनेस, अनडेवेलप्डनैस और अविक-

[श्री राधेलाल व्यास]

सितपन की ओर ध्यान देकर इस को एज ए स्पेशल प्राबलम ट्रीट नहीं किया जायेगा और उस के लिए विशेष व्यवस्था नहीं की जायेगी, तो मुझे भय है कि इस दौड़ में हमारा प्रदेश, मध्यप्रदेश, बहुत पीछे रहने वाला है ।

हमारे यहां भिलाई और हैवी इलैक्ट्रिकल्ज बनाए गए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे यहां के नौजवान उन में लिये जायें, लेकिन वे कैसे लिये जा सकते हैं, जब तक कि वहां टैक्निकल एजूकेशन की व्यवस्था न होगी । इतने बड़े प्रदेश में थर्ड फाइव ईअर प्लान में कुल पांच टैक्निकल इंस्टीट्यूट दिये गये हैं । हम लोगों को कृषि के अतिरिक्त दूसरे धंधों में लगाना चाहते हैं और बेरोजगारी को मिटाना चाहते हैं, लेकिन इस प्रदेश में बेरोजगारी कैसे मिटेगी, जब तक लोगों को दूसरे धंधे अपनाने के लिये तैयार नहीं किया जायेगा ।

मेरा नम्र निवेदन है कि नैशनल डेवेलपमेंट कौंसिल की बैठक होने जा रही है और पिछड़े प्रदेशों के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है और अध्ययन किया जा रहा है । इसलिये मध्यप्रदेश के विशेष प्रश्नों के बारे में---ला एंड आर्डर का प्रश्न है, एजूकेशन का प्रश्न है और विशेषकर रोड्ज़ का प्रश्न है जिन के बारे में हम बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, आवागमन के साधन बड़े कठिन और दुर्लभ हैं, काफी नदियां और नाले हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर कई नदी नाले मिलते हैं---ध्यान दिया जाये और विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की जाये । तभी यह प्रदेश आगे बढ़ सकेगा और देश का एक अच्छा भाग बनेगा और उस से देश की उन्नति में बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा ।

इन शब्दों के साथ में आप को धन्यवाद देते हुए अपना आसन ग्रहण करता हूं ।

†श्री टे० सुब्रह्मण्यम् (बल्लारी) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी योजना एक प्रकार से निर्धनता और पिछड़ेपन के विरुद्ध अभियान हैं । पिछली दो योजनाओं में हमारे कृषि उत्पादन में ३५ प्रतिशत वृद्धि हुई है और औद्योगिक उत्पादन में ८० प्रतिशत । अब तीसरी योजना में हम खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, आधारभूत उद्योगों का विस्तार और रोजगार के अवसरों का विस्तार करना चाहते हैं । जहां तक कृषि का संबंध है, हम लगभग १० करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन करना चाहते हैं । मेरा निवेदन है कि इसके लिए हमें सिचाई की अधिकतम सुविधाओं और उर्वरकों की व्यवस्था करनी चाहिए । मैं समझता हूं कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक उर्वरक कारखाना अवश्य खोला जाना चाहिए ।

जहां तक उद्योगों का संबंध है, हम ११,५०० करोड़ रुपए लगाने जा रहे हैं जिसमें से ७,५०० करोड़ रुपए सरकारी क्षेत्र में होंगे और ४,००० करोड़ गैर-सरकारी क्षेत्र में । जहां तक संसाधनों का प्रश्न है, मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री ने २२०० करोड़ रुपए की विदेशी सहायता की कल्पना की है । पहली योजना में केवल ९८२ करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे । इससे यह मालूम होता है कि विदेशों को यह विश्वास हो गया है कि हम अपने लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे ।

औद्योगीकरण में हमें बड़े, मध्यम और छोटे तीनों प्रकार के उद्योग स्थापित करने होंगे । प्रत्येक स्थान में बड़े पैमाने के उद्योग चालू नहीं किए जा सकते । हमारे देश में, ५,८०,००० गांव हैं और हमारी ८३ प्रतिशत जनसंख्या गांवों में ही रहती है । अतः हमारे

†मूल अंग्रेजी में

देश में कुटीर उद्योगों का बहुत महत्व है। इस संबंध में मैं हथकरघों का निर्देश करना चाहता हूं जो भारत का सब से बड़ा कुटीर उद्योग है। हमारे कुटीर उद्योगों के लोग आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने के लिए तैयार हैं ताकि उत्पादन बढ़ सके। हमारे यहां लगभग २८ लाख हथकरघे हैं जिनमें से २२ लाख वाणिज्यिक हैं तथा हथकरघे से बने कपड़े से हमें पर्याप्त विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अब यह प्रस्ताव किया गया है कि ४० काउण्ट और उस से अधिक के सूत के हथकरघों को संभरण पर उत्पादन शुल्क लगाया जाय जो १५ नए पैसे प्रति किलोग्राम हो। मेरा निवेदन है कि यह ठीक नहीं है। तथा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति की दृष्टि से यह उत्पादन शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए।

†**श्री ले० अचौ सिंह** (आन्तरिक मनीपुर) : हमारा आर्थिक विकास विषम और असंतुलित रहा है। समाज में असमानता अब भी बराबर बनी हुई है। अधिक प्रगति काफी धीमी और बहुत ही कम रही है। हम देश की रचनात्मक शक्तियों को संचालित नहीं कर सके हैं। पश्चिमी समाज ने जो प्रगति की है उससे हम काफी दूर हैं। सरकार समाजवादी ढंग के समाज की बात करती है लेकिन हम उससे बहुत दूर हैं।

दूसरी लड़ाई के बाद राष्ट्रीय आय में १० प्रतिशत की वृद्धि हुई है—ऐसा अनुमान किया जाता है। और आशा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राष्ट्रीय आय में १५ प्रतिशत तक की वृद्धि हो जायेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि यह वृद्धि ३॥ प्रतिशत प्रति वर्ष होगी। इसी कारण मैं कहता हूं कि यह वृद्धि बहुत धीमी है। अधिकाधिक लोग शहरों में जा रहे हैं और इनेगिने लोगों के हाथों में धन का केन्द्रीकरण बढ़ता जा रहा है। इससे तो शहरी इलाकों तथा ग्रामीण इलाकों की आय में असमानता बढ़ती जायेगी। पिछले १०–१२ वर्षों से पिछड़े क्षेत्रों की अर्थ-व्यवस्था में कोई प्रगति नहीं हुई है। हमारी अर्थ-व्यवस्था का विकास एवं वृद्धि कुछ राज्यों में तो अधिक हुआ है लेकिन कुछ राज्यों में कम हुआ है। इन सब बातों से पता चलता है कि समाजवादी ढंग के समाज के निर्माण में हमारी प्रगति बहुत ही कम है।

भारत के सरकारी क्षेत्र राष्ट्रीय आय का केवल १० प्रतिशत उत्पादन कर रहे हैं और शेष उत्पादन गैर-सरकारी क्षेत्र कर रहे हैं। प्रत्यक्ष कराधान कुल राष्ट्रीय आय का केवल ३ प्रतिशत है और अप्रत्यक्ष कराधान १० प्रतिशत है। इस समय जनता को हमारी अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिये करों का भारी बोझ उठाने के लिये कहना अनुचित होगा। हमारा उद्देश्य अपने स्वदेशी संसाधनों को बढ़ाने के होने चाहियें। अब तक हम ३० प्रतिशत से भी अधिक माल बाहर से मंगाते हैं। साथ ही बढ़ते हुए मूल्य को रोकने का भी प्रयत्न करना चाहिये।

मेरे विचार से तो हमारी राष्ट्रीय आय की वृद्धि भ्रमपूर्ण है क्योंकि रुपये का मूल्य घटकर एक-चौथाई रह गया है। राष्ट्रीय आय बढ़ते हुए मूल्य के अनुपात के अनुरूप नहीं है। बढ़ते हुए मूल्य को रोकने के लिये हमें कुछ न कुछ करना होगा अगर मूल्यों की वृद्धि को रोका नहीं गया तो योजनाओं का उद्देश्य बिल्कुल बेकार होगा। हमें अनाज तथा अन्य आवश्यक चीजों के मूल्य भी स्थिर करने चाहियें। खेद की बात है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया मूल्यों पर नियंत्रण नहीं रख सका है।

सरकार निर्यात को इतना महत्व दे रही है लेकिन मैं सरकार की इस नीति से सहमत नहीं हूं। क्योंकि निर्यात हमारी अर्थ-व्यवस्था के विकास का चरम उद्देश्य नहीं है बल्कि यह तो एक साधनमात्र है। अतः हमें अपने निर्यात-आयात के संतुलन का कोई तरीका खोज निकालना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ले० अची सिंह]

राष्ट्रीयकरण के बाद जीवन बीमा निगम के कार्य में काफ़ी अन्तर आ गया है। इसका काम सन्तोषजनक नहीं है। यह तो अच्छा है कि इसके काम में ६० प्रतिशत की वृद्धि हुई है लेकिन अभी तक लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई है। बीमा कराने वालों के प्रति निगम के कर्मचारी अपने कर्त्तव्यों का पालन उचित ढंग से नहीं कर रहे हैं। नोटिस तथा रसीद भेजने में काफी देर की जाती है अतः मेरा निवेदन है कि इसकी जांच की जानी चाहिये।

औद्योगिकरण तथा अन्य विकास के मामले में नेफा, नागालैंड, मनीपुर, मिज़ो पहाड़ियों और त्रिपुरा क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। वहां विद्युत् की भी कोई योजना शुरू नहीं की गई है। वहां छोटे छोटे उद्योग हैं जिनके विकास के लिये प्रोत्साहन की आवश्यकता है। अतः यह आवश्यक है कि देश के विकास में इन सीमान्त क्षेत्रों का भी कुछ भाग हो। इन क्षेत्रों में संचार के साधनों का विकास किया जाना चाहिये। मनीपुर में अधिकांश बड़ी योजनाएं क्रियान्वित नहीं की गई हैं। खेद की बात है कि मनीपुर के लिये दूसरी योजना में जो धन दिया गया है वह उपयोग में नहीं लाया गया है जबकि इस क्षेत्र में संचार के अच्छे साधन नितान्त आवश्यक हैं। मनीपुर में खेती की हालत सुधारने के प्रयत्न किये जाने चाहिय। वर्ष में दो फसल की जायें और गन्ना तथा कपास की खेती शुरू की जाये। आसाम वित्त निगम का क्षेत्राधिकार मनीपुर तक बढ़ाया जाय। मध्यम और छोट पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये अधिक सुविधाएं दी जानी चाहियें।

औद्योगिक विकास के क्षेत्र में मनीपुर की एकदम अवहेलना की गई है और आगामी वर्ष में इसके लिये केवल ४ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

भारतीय टिकट अधिनियम १८९९ को मनीपुर में लागू करने से काफ़ी राजस्व की हानि हो रही है क्योंकि इस अधिनियम की अनुसूची अभी वहां लागू नहीं हो रही है। अतः वहां आसाम अनुसूची के स्थान पर अधिनियम की अपनी अनुसूची लागू करनी चाहिये।

†**श्रीमती मंजुला देवी** (ग्वालपाड़ा) : योजना आयोग ने भारत चीन सीमा पर स्थित पिछड़े इलाकों में आर्थिक स्थिति की जांच करने के लिये एक सर्वेक्षण करने के हेतु आदेश दिया है। इसके लिये मैं उन्हें बधाई देती हूं। यह एक अच्छा क़दम है। क्योंकि इन इलाकों में आर्थिक असमानताएं हैं और असंतोष है। इसको दूर करने के लिये प्रामाणिक प्रयत्न करना चाहिये। वहां के निवासी आम चुनावों का बहिष्कार भी करने जा रहे हैं। वे अपने आपको उपेक्षित समझते हैं। अतः वित्त मंत्री को इस दिशा में कुछ करना चाहिये।

नागा विद्रोहियों को शस्त्रास्त्रों का संभरण बराबर हो रहा है। गुप्तचर विभाग को इस मामले में अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। मेरे विचार से वहां के गुप्तचर विभाग को कुछ आर्थिक सुविधाएं तथा उच्चस्तर दिया जाना चाहिये। इससे उन्हें अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलेगी। देश की आन्तरिक सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है किन्तु राष्ट्र की सुरक्षा के लिये आर्थिक सुरक्षा अधिक महत्व रखती है और इसलिये देश में जो आर्थिक असमानताएं हैं उन्हें दूर करने के लिये प्रयत्न किये जाने चाहिय। यह प्रसन्नता की बात है कि एक राष्ट्रीय विनियोजन निगम की स्थापना की जाने वाली है जो छोटे छोटे विनियोजकों को रुपया देगा। सरकारी क्षेत्र में उत्साह तथा पहल की कमी है। सरकारी उपक्रमों में काम न रुकने पाये इसके लिये अधिक प्रयत्न किये जाने चाहिये। इन उपक्रमों में प्रावीधिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के ह्रास को रोकने के लिये ऐसी चीजों की किस्म पर नियंत्रण रखने के लिये अनुसंधान किया जाना चाहिये ।

हथकरघा कपड़े के द्वारा सब से अधिक विदेशी मुद्रा की आय होती है अतः सूत पर से उत्पादन शुल्क हटा देना चाहिये और हमें निर्यात को प्रोत्साहन देना चाहिये ।

विस्तार करने से पूर्व अब तक जो कार्य हुआ है उसका उचित रूप से समेकन करना चाहिये । विदेशों में हमारे जो दूतावास हैं, उन्हें निर्यात सर्वेक्षण करने चाहियें । निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने के लिये प्रत्येक दूतावास में एक निर्यात सम्वर्द्धन शाखा खोली जा सकती है । निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ प्रविधिक प्रशिक्षण भी अनिवार्य होना चाहिये । हमारे स्कूलों में सैनिक शिक्षा और अनुशासन की शिक्षा भी दी जानी चाहिये । मेरा सुझाव है कि देश में पूर्ण मद्यनिषेध होना चाहिये । तीसरी योजना में लघु उद्योगों को उच्च प्राथमिकता दी जाये ।

श्री रा० रा० मिश्र (फैजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रालय प्रशासन का सब से महत्वपूर्ण अंग है और इस विभाग को सरकार के अन्य विभागों के लिए धन की व्यवस्था करनी होती है । इसका सीधा सम्बन्ध हमारे देश की अर्थ नीति से है । गत वर्ष हमारे देश के बैंकिंग बिजिनेस को स्प्रेड करने के लिए इस मंत्रालय ने जो कदम उठाये हैं और बैंकिंग कानून में जितने संशोधन किये हैं, उसके द्वारा हमारे देश का बैंकिंग व्यवसाय बहुत दृढ़ हो गया है । हमें आशा करनी चाहिये कि भविष्य में बैंक्स के फेल्योर्ज़ की बहुत कम बातें सुनने को मिलेंगी ।

इस मंत्रालय का विशेष काम हमारे देश के अन्दर टैक्सों के द्वारा धन उपार्जन करना है । पिछले पांच बरसों में केन्द्रीय सरकार ने नये टैक्सों के रूप में ७९७ करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त की है और राज्य सरकारों ने नये करों से २४४ करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त की है । इस प्रकार हमारे देश पर कुल १०४१ करोड़ रुपये का बोझा पड़ा है । तीसरी योजना की जो रूपरेखा सामने आई है उससे पता चलता है कि वह बहुत बड़ी योजना है और उसमें १०,२०० करोड़ रुपये की बड़ी भारी रकम खर्च करनी होगी । यह तो हम नहीं कह सकते कि अगले वर्षों में हमारे देश पर नये टैक्सों का भार नहीं पड़ेगा या नये टैक्स नहीं लगेंगे लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि नये टैक्स लगाने के पहले इस बात का ठीक प्रकार से इत्मीनान कर लिया जाये कि आया हमारा जो नान-प्लान खर्चा है, उसमें क्या किसी प्रकार की कमी की गुंजाइश है या नहीं । जहां तक मैंने बजट साहित्य को देखा है, मैं कह सकता हूं कि हमारे देश में नान-प्लान खर्चे में पिछले पांच बरसों में काफी वृद्धि हुई है । एस्टीमेट्स कमेटी ने अपनी ९२वीं रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में काफी चर्चा की है और यह बताया है कि हमारे देश के नान-प्लान खर्चे में जो वृद्धि हुई है, उसमें कमी की गुंजाइश है और कमी की जानी चाहिये ।

जहां तक हमारी सरकार के मंत्रालयों में स्टाफ का और सैक्रेटेरिएट की वृद्धि का सम्बन्ध है, उस सम्बन्ध में भी इस कमेटी ने अपनी राय जाहिर की है । उसने कहा है कि मंत्रालयों में कर्मचारियों की वृद्धि अन्य संगठनों की अपेक्षा अधिक हुई है । लेकिन यह देखना चाहिये कि क्या यह वृद्धि काम के अनुरूप है ।

जहां तक सरकारी खर्चों में इकोनोमी ड्राइव का सम्बन्ध है, वह १९५७ में शुरू की गई थी । जहां तक उसके द्वारा प्राप्त फल का सम्बन्ध है, ऐसा प्रतीत होता है कि इसके जितने अच्छे नतीजे

[श्री रा० रा० मिश्र]

निकलने चाहियें थे, नहीं निकले हैं। उस ड्राइव के फलस्वरूप बहुत थोड़ी रकम की सेविंग हुई है। सन् १९५७-५८ में १०.५ लाख की, १९५८-५९ में ५.९ लाख की, और १९५९-६० में ३.१ लाख की बचत हुई है। इसके सम्बन्ध में एस्टीमेट्स कमेटी ने यह कहा है कि कोई खास बचत नहीं हुई है। ओ० एण्ड एम० के प्रतिवेदन में यह दिखाया जाना चाहिये कि प्रत्येक मंत्रालय में प्रत्येक वर्ष कितने पदों की समाप्ति की गई।

इस प्रकार से हम देखते हैं कि अभी सरकारी खर्चों में कमी की गुंजाइश है। अतः यह मुनासिब मालूम पड़ता है कि जब नये टैक्स लगाये जायें तो इस बात का भी पूरा इत्मीनान कर लिया जाये कि हम ने खर्चों में कितनी कमी की है।

जो नए टैक्स लगाये गए हैं, उनके सम्बन्ध में भी देश के अनेक भागों में काफी विरोध हुआ है। मैं समझता हूं कि यदि योजना को हमें सफल बनाना है तो टैक्सों का देना कुछ न कुछ अनिवार्य होगा। लेकिन वे टैक्स इस प्रकार से लगाये जाने चाहियें जिससे उनका कम से कम बोझा उन लोगों पर पड़े जो टैक्स अदा नहीं कर सकते हैं। इसी सदन में एक माननीय सदस्य ने कहा है कि मिट्टी के तेल पर जो टैक्स लगा है, उसका सीधा सम्बन्ध हमारे देहात की जनता से है। इससे उन इलाकों में जहां पर कि केवल लालटेन वगैरह से रोशनी प्राप्त होती है डेबरी की तरफ हमें जाना पड़ेगा और इसका नतीजा यह होगा कि विकास से उलटी दिशा में हम जाने लग जायेंगे। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि इस ओर माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान जाए।

म मानता हूं कि पिछले दस बरसों में हमारी नैशनल इनकम ४२ प्रतिशत बढ़ी है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे देश के अन्दर चीजों के जो दाम हैं, उनमें भी काफी वृद्धि हुई है। इस वृद्धि के कारण जो साधारण स्थिति के लोग हैं, उनको जीवन-निर्वाह के लिए काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग बेकार हैं, उनको तो और भी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वास्ते दामों की ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये।

हमारी योजना में बेकारी की समस्या को हल करने के लिए बहुत ही कम व्यवस्था की गई है। पिछली योजना में ८० लाख आदमियों को काम देने की व्यवस्था की गई थी लेकिन हम केवल ६५ लाख आदमियों को ही काम दे पाये हैं। इस वक्त बेकारों की जो संख्या है वह काफी बढ़ी हुई है और इसमें पढ़े लिखों की जो तादाद है वह भी काफी अधिक है। तीसरी योजना में इस बेकारी की समस्या को हल करने के लिए विशेष प्रयत्न किया जाना चाहिये।

कम्यूनिटी डिवेलेपमेंट की एक स्टडी टीम ने जो रिपोर्ट सन् १९५९ में प्रस्तुत की थी, उसमें उस टीम ने १६५.७० करोड़ रुपये की योजना देहातों के अन्दर रोजगार के अवसर फैलाने के लिए प्रस्तुत की थी। इसमें स्माल स्केल इंडस्ट्रीज लगाने की भी व्यवस्था थी। मैं चाहता हूं कि इस टीम की सिफारिशों पर ध्यान दिया जाए और देहातों के अन्दर भी कुछ न कुछ उद्योग धंधों को लगाया जाए ताकि ग्रामीण जनता में जो बेकारी फैली हुई है और जिसके कारण वहां के लोगों में निराशा की भावना है, वह निराशा की भावना दूर हो और जो बेकारी है, वह भी कुछ हद तक कम हो और उन लोगों के अन्दर आपकी इस योजना के प्रति कुछ न कुछ एक प्रकार का प्रेम आवे।

हमारे देश के जो पबलिक अंडरटकिंग हैं उनमें केवल ·५१ परसेंट के हिसाब से मनाफा होता है। मैं समझता हूं कि यह बहुत कम है। जो हमारे देश के प्राइवेट अंडरटेकिंग हैं उनमें काफी मुनाफा होता है। इससे मालूम होता है कि हमारे पबलिक अंडरटेकिंग्स में कहीं न कहीं कुछ

गड़बड़ी है, चाहे वह इन्तिजाम में हो या और किसी जगह हो जिससे हमारे पबलिक अंडरटेकिंग में उतना मुनाफा नहीं होने पाता जितना कि होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस तरफ हमारे वित्त मंत्री महोदय अधिक ध्यान दें और पबलिक अंडरटेकिंग्स का मुनाफा कम से कम पांच या सात पर सेंट हो जाए ताकि हमारे देश के लोगों को पबलिक अंडरटेकिंग्स पर श्रद्धा हो और वे उनकी तरफ चलें।

हमारे देश में जनसंख्या की वृद्धि का प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कल भी इस सदन के अन्दर मेहता साहब ने इस पर काफी जोर दिया। मैं भी समझता हूं कि यह प्रश्न बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से अभी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है अगर वही क्रम जारी रहा तो हमको प्लान से कोई फायदा नहीं होगा। इस समस्या को हल करने के लिए कोई विशेष प्रकार के उपाय करने की आवश्यकता है। इसके लिए इस वक्त जो हमारे प्लान में व्यवस्था दी हुई है उससे कुछ ज्यादा करने की जरूरत है। हमारे देश में इसके बारे में सभी स्थानों पर प्रचार होना चाहिये ताकि जो लोग इस समस्या के महत्व को नहीं जानते वह भी इसको जान जाएं और इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ नियंत्रण करने के लिए तैयार रहें।

तीसरी योजना की सफलता के लिए मैं समझता हूं कि सब से बड़ी आवश्यकता यह है कि लोगों को उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाए। इसलिए मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय देश में लोगों को योजना के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने का प्रयत्न करें और उनकी जो इस सम्बन्ध में शंकाएं हैं उनको दूर करने का प्रयत्न किया जाए।

जहां तक डेफिसिट फाइनेंसिंग का सवाल है वह तीसरी योजना के लिए ५५० करोड़ का रखा गया है। यह मुनासिब है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार लोगों को यह आश्वासन दे कि यह रकम बढ़ने नहीं पाएगी। लोगों को भय हो रहा है कि अगर इससे ज्यादा डेफिसिट फाइनेंसिंग किया जाएगा तो उससे चीजों के दाम और बढ़ जाएंगें। मैं चाहता हूं कि लोगों को यह भय न रहे कि दामों में वृद्धि हो जाएगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** (कोयम्बटूर) : इसमें तो सन्देह की कोई बात नहीं है कि दोनों योजनाओं के दौरान में काफी अच्छी प्रगति हुई है। लेकिन देखना यह चाहिए कि क्या देश भर में प्रगति समान रूप से हुई है या नहीं। क्या हम कह सकते हैं कि हम देश की आर्थिक दशा के सुधार की दिशा में प्रगति कर रहे हैं ? हमारी इन दो योजनाओं के दौरान में सभी क्षेत्रों में उन्नति हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश में बरोजगारी एक गम्भीर समस्या बनी हुई है। तीसरी योजना के आरम्भ में काफी लोग बेरोज़गार हैं। इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये। योजनाओं की जो सफलताएं हमारे समक्ष हैं उनसे यह स्पष्ट है कि खेतिहर मजदूरों की हालत में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। इन लोगों की आमदनी घट गई है। इस घटी हुई कमी की पूर्ति करने के लिए महिलाओं तथा बच्चों को भी खेत में काम करना पड़ता है। यह कोई अच्छी बात नहीं है कि जब बच्चों को स्कूलों में पढ़ने के लिए जाना चाहिये था तो वे खेतों में काम कर रहे हैं। दूसरी कृषि मजदूर जांच समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह स्पष्ट किया है कि इनकी मजूरी भी घटी है।

हमारे बढ़ते हुए उत्पादन और विकास कार्यक्रमों के बावजूद वस्तुओं के खासकर अनाज, चीनी आदि के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं। इस समस्या को शीघ्र हल किया जाना चाहिये। आम जनता

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती पार्वती कृष्णन्]

इन वस्तुओं के मूल्य बिना किसी दिक्कत के दे सके इसके लिये सख्त कार्यवाही करना आवश्यक है। क्योंकि यह अच्छी बात नहीं है कि एक ओर तो नये उद्योगों की स्थापना की जाये और दूसरी ओर मूल्यों की वृद्धि की जाये। यदि सरकारी क्षेत्र हमारी अर्थ-व्यवस्था की दिशा निर्धारित करे तो हमारी आर्थिक प्रगति सुनिश्चित हो सकती है। सरकारी क्षेत्र की शक्ति और कृषि सुधार ये इस विषय की दो मुख्य बातें हैं। हमारे आवश्यक उद्योग सरकारी क्षेत्र में ही होने चाहियें। दुर्भाग्य की बात है कि सरकारी क्षेत्र ऐसी स्थिति में काम कर रहा है जहां गैर-सरकारी क्षेत्र उसकी गतिविधियों को नियंत्रित कर रहा है। गैर-सरकारी क्षेत्र में कुप्रबन्ध आदि के मामलों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने पर भी वह कई कदम उठाने में हिचकती है। हमारे संसाधन बढ़ाने के लिये हम कोयला खानों, सामान्य बीमे, और बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं। इसी प्रकार चाय, जूट और काफी के व्यापार को राज्य व्यापार निगम अपने हाथ में ले सकता है जीवन बीमा निगम का जितना भी धन लगाया जा सकता है वह सारा सरकार अपने उद्योगों के लिये ले सकती है। राज्य सभा का अधिवेशन पुनः करने और उस पर ७०,००० रुपया खर्च करने का क्या कारण है? उड़ीसा का आयव्ययक २ मार्च को तैयार था और राज्य सभा का अधिवेशन बढाया जा सकता था। यह बताया जाए कि इस के लिये कौन जिम्मेदार है।

†डा० क० ब० मेनन (बडागरा): पलाई सेन्ट्रल बैंक के बन्द होने से केरल राज्य के सभी वर्गों के लोगों को हानि हुई है। यहां तक कि सरकार को भी इससे हानि हुई है। बिक्री कर तथा राजस्व की वसूली में ४० लाख रुपये की कमी रही है। यदि यही स्थिति वहां चलती रही तो योजना पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा।

वित्त मंत्री ने बताया था कि पलाई बैंक की स्थिति कभी भी सन्तोषजनक नहीं रही यही कारण था कि उसे बन्द करना पड़। इस बैंक के खातेदारों के सामने जो अनेक तथ्य रखे गये हैं उनसे वे गलतफेमी में पड़ गये हैं और यह सोचने लगे हैं कि क्या इस बैंक का बन्द किया जाना आवश्यक ही था।

बैंक के सरकारी समापनकर्ता ने अभी हाल में बताया है कि बैंक की ८१ प्रतिशत आस्तियां पुनः प्राप्त होने योग्य है। ऐसा लगता है कि बैंक को बन्द करने के सम्बन्ध में सरकार को गलत राय दी गयी है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

इस बात के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये कि केरल राज्य के मुद्रा बाजार के वित्तीय ढांचे में सामान्य स्थिति पुनः स्थापित हो जाये।

†**श्री मोरारजी देसाई**: माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं मैं उनका आभारी हूं। अब की बार यह आपत्ति उठाई गई है कि योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय की मांगों की चर्चा साथ साथ न की जाये। लेकिन इसका दायित्व मेरे ऊपर नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय**: एक समिति की नियुक्ति की गई थी जिसने इस बारे में निश्चय किया था। जहां तक कि योजना के अंतिम प्रारूप की बात है, जैसे ही वह सभा पटल पर रखा जायेगा तो मैं इस पर वाद विवाद करने की अनुमति दूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोरारजी देसाई :** प्रारूप पर पहले चर्चा हो चुकी है और अन्तिम योजना पर भी चर्चा होगी ।

हमारे साथी, योजना आयोग के उपसभापति ने कुछ बातें कह कर, आयोग के दृष्टिकोण की व्याख्या कर दी हैं और श्री अशोक मेहता की विभिन्न बातों के बारे में व्याख्या की है ।

सब से पहले मैं कराधान के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करूंगा । वाद-विवाद में अनेक बातों का उल्लेख किया गया है जिनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध वित्त मंत्रालय से नहीं है परन्तु चूंकि वित्त मंत्रालय की चर्चा के समय काफी बातें आ जाया करती हैं इस कारण मैं ये नहीं कहता कि उन बातों से हमारा सम्बन्ध नहीं है । परन्तु इसी के साथ यह भी संभव नहीं कि मैं हर बात का जवाब दूं । अतः इस समय मैं केवल उन्हीं बातों का उल्लेख करूंगा जिनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध वित्त मंत्रालय से है । कल फिर सामान्य चर्चा होगी और फिर देखा जायेगा कि किस चीज का स्पष्टीकरण किया जाय और किस चीज का नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री कराधान के बारे में उठाये गये प्रश्नों का उत्तर बाद के लिय रहने दें । इस समय वह अपने विभाग से सम्बन्धित प्रश्नों का उत्तर दे दें ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** इस समय करों के बारे में मैं जो कुछ कहूंगा वह केवल करों की बकाया राशि के बारे में ही कहूंगा । प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की बात मैं वित्त विधेयक के समय कहूंगा ।

बकाया करों और कर अपवंचन के बारे में जो स्थिति है उसके बारे में मैं कई बार स्पष्टीकरण कर चुका हूं । किन्तु तब भी मैं सभा को विशेष विश्वास नहीं दिला पाया हूं । शायद इसके लिए मैं ही दोषी हूं । यद्यपि मैं अपनी क्षमता से बाहर तो नहीं जा सकता तब भी मैं सभासदों को विश्वास दिलाने का प्रयत्न दुबारा करूंगा ।

शायद यह चीज़ गलत जानकारी के आधार पर कही जा रही है कि प्रत्यक्ष कर कम होते जा रहे हैं । यह बात श्री प्रभात कार ने कही और जो निष्कर्ष उन्होंने निकाला बड़ा ही असाधारण है ।

उन्होंने कहा कि १९५९–६० में कर से १४८.८५ करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ; १९६०–६१ में बजट अनुमान १०५ करोड़ रुपया था और संशोधित अनुमान १२७.२५ करोड़ रुपया । उनके अनुसार १९६१–६२ का अनुमान १३८ करोड़ रुपया है । इन आंकड़ों को देखकर गलती से उनका यह कहना है कि करों की मात्रा कम होती गयी है ।

उन्होंने यह आंकड़े व्याख्यात्मक ज्ञापन के पृष्ठ ८/९ की चौथी पंक्ति से लिए हैं । यदि वह तीसरी पंक्ति के आंकड़े भी देख लेते तो कभी ऐसी गलती न करते । १९५९–६० में व्यक्तियों से १४८.८५ करोड़ रुपया कर के रूप में वसूल किया गया । कम्पनियों से १०६.५६ करोड़ रुपया वसूल किया गया जिसे उन्होंने शामिल नहीं किया । १९५९–६० में वास्तविक संग्रह २५५ करोड़ रुपये हुआ । १९६०–६१ का मूल अनुमान कम्पनियों को छोड़कर व्यक्तियों से ही संबंधित है । इसमें समवायों से प्राप्तव्य कर भी शामिल करना है । अतः उस समेत आंकड़े २६५ करोड़ रुपया होंगे । १९६१–६२ का १३३ करोड़ रुपये का अनुमान भी कम्पनियों को छोड़कर है । यदि हम इसमें १४१ करोड़ रुपये की रकम भी शामिल कर दें तो कुल राशि २७४ करोड़ रुपये हो जायेगी । इस कारण १९६१-६२ के आंकड़े १९५९-६० के आंकड़ों की अपेक्षा अधिक हैं । अब पता नहीं कि इतने

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

सावधान होते हुए भी माननीय सदस्य ने कैसे गलती कर डाली । इसी कारण बैंकों में भी शायद शिकायतें हो रही हैं ।

अब मैं १९५४-५५ से कर संग्रह के आंकड़े दूंगा । १९५४–५५ में १५९.६० करोड़, १९५५–५६ में १६८.८४ करोड़, १९५६-५७ में २०१.५९ करोड़, १९५७-५८ में २२०.२७ करोड़, १९५८–५९ में २२५.०७ करोड़, १९५९–६० में २५३ ७७ करोड़ और १९६०–६१ में २७२.३६ करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ । इसलिए यह चीज समझ में नहीं आती कि ऐसी गलती कैसे हो गयी है । पिछले साल भी राज्यों के अंश के बारे में ऐसी ही गलती हुई थी । अब तो मैंने माननीय सदस्यों को बजट की जांच पड़ताल की पूरी सुविधा दी है । मेरा आशय यही है कि इस तरह से सदस्य मंत्रालयों के काम के प्रति पूर्ण रूप से सतर्क हो जायं और उधर मंत्रालय भी जनता की पूरी सेवा कर सके । इस कारण मैं इस प्रकार की गलत आधार पर कही गयी बात के लिए भी माननीय सदस्य के प्रति आभार प्रकट करता हूं ।

एक सदस्य ने यह कहा कि श्री कालडोर के अनुसार कर अपवंचन की मात्रा लेनी चाहिए। यह ठीक है कि श्री कालडोर एक बड़े अर्थ-शास्त्री हैं पर वह जिस देश के वासी हैं उस की स्थिति और हमारी स्थिति में बहुत अंतर है । यह कह देना आसान है कि १ ००० लाख का कर अपवंचन होता है । परन्तु इसको रोके कौन ? यह तो वैसी ही बात है जैसे कि एक बार अकबर के यह पूछने पर कि दिल्ली में कितना धन है किसी ने कहा था ५,५६,५६७, ००० रुपये । अब कौन गिनने जा रहा है उसे । इसी प्रकार अपवंचन का अंदाज है ।

इस कारण गलत आधार के निष्कर्षों से किसी को लाभ नहीं पहुंच सकता । यदि हमें कोई बतायें कि अपवंचन वहां पर हो रहा है तो हमें उसे रोकेंगे । इसी उद्देश्य के लिए हमने श्री त्यागी की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की थी । उनकी काफी सिफारिशें हमने स्वीकार भी कर ली हैं । उन सिफारिशों पर आधारित एक विधेयक शीघ्र ही सभा में प्रस्तुत किया जायेगा । हम विधि को समेकित करने का प्रयास कर रहे हैं । केवल कर अपवंचन के लिए चिल्लाने से ही हम उसे न रोक पायेंगे । मैं इन्कार नहीं करता कि यहां पर कर की चोरी नहीं होती पर हर देश में ही होती है ।

इसे दूर करने के लिए हमें दृढ़-प्रतिज्ञ होकर प्रयास करने चाहिएं । जो व्यावहारिक सुझाव हमें दिए जायेंगे उन पर सहर्ष विचार किया जायेगा ।

हो सकता है कि धनी लोग कर अपवंचन करते हों पर वे लोग विधिवत् काम करते हैं । किन्तु कुछ लोग कानून तोड़कर कर अपवंचन करते हैं । छोटे दुकानदार भी यह काम करते हैं । कर अपवंचक की पहचान करना कठिन है । इस लिए हमें व्यावहारिक सुझावों का स्वागत करना है ।

इसी तरह पर भू-राजस्व, आयकर क्या अन्य करों के बकाये का प्रश्न है । यहां भी कहा गया कि हम बिना कुछ सोचे समझे करोड़ों रुपये बट्टे खाते डाल रहे हैं । इस तरह पर बात कही गई जैसे मैं किसी की जेब में रुपया डाल रहा हूं । यह आरोप बड़ा दुखद था । वे जानते हैं कि यह आरोप गलत है । बट्टे खाते डालने का क्या कारण दें ?

यह भी पूछा गया कि "प्रभावपूर्ण बकाये" और "वास्तविक बकाये" में क्या अंतर है। आयकर के बकाये में वह सारी राशि आ जाती है जिसके लिए नोटिस जारी किये जाते हैं । इसी प्रणाली के आधार पर काम चलता है ।

३१-३-१९६० को कुल बकाया रकम २५७.३९ करोड़ रुपये थी। उसमें से ३१-३-१९६० से पहले ४३.०८ करोड़ रुपये की रकम देय नहीं हुई थी। अतः उसे बकाया नहीं कहा जा सकता। कुल रकम २१४ करोड़ रुपया होती है। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार की सहायताएं या रियायतें दी जाती हैं। रियायतों की मात्रा ३०.३ करोड़ रुपये थी। उसे भी बकाया राशि नहीं कहा जा सकता। ३० करोड़ रुपया निकाल कर शेष रकम १८४ करोड़ रुपया रह जाती है। उसके बाद कुछ रकम वसूल न हो सकने वाली भी होती है। उन्हें तुरन्त बट्टे खाते में नहीं डाला जाता। इसके बाद कुछ करदाता देश छोड़कर पाकिस्तान चले गये हैं। उनसे प्राप्तव्य रकम ११ करोड़ रुपये की है। उसे बट्टे खाते डालना है। इसके अतिरिक्त कुछ समापनोन्मुख समवाय होते हैं। उनसे भी कर वसूल नहीं हो पाते उनका हम क्या कर सकते हैं। शायद इस की मात्रा ३४ करोड़ रुपया है। इसलिए ११३ करोड़ में से ३४ करोड़ यह वसूल नहीं हो सकते। शेष को प्रभावपूर्ण बकाया कहा जाता है। २५७ करोड़ रुपये का बकाया केवल लेखे के लिए है। वास्तविक बकाया १३३ करोड़ रुपया है। इस वर्ष २७२ करोड़ के कर प्राप्त हुए। इससे स्पष्ट होगा कि बकाया रकम आधे वर्ष की प्राप्ति से भी कम है।

हम कुर्की आदि करके भी वसूली नहीं कर सकते। हमें राज्यों के माध्यम से वसूली करनी पड़ती है। कुछ संग्रहकर्ता बहुत व्यस्त होते हैं अतः हमने अधिक संग्रहकर्ताओं की मांग की है। हम प्रत्यक्ष रूप से वसूली करने के उपायों के बारे में भी सोच रहे हैं। किन्तु यह सरल काम नहीं है। हमें खर्च की बात पर भी विचार करना है। माननीय सदस्य खुद ही कहते हैं कि हमें प्रशासनिक व्यवस्था पर ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। अतः इधर भी हमें सावधान रहना होता है।

अतः इतना कुछ समझ कर भी हमें इस बात पर जिद न करनी चाहिए कि सरकार ठीक तरह से काम नहीं कर रही। यदि पांच रुपये भी बकाया हों तब भी सरकार को दोषी ठहराया जा सकता है पर उसका उत्तर हमारे पास नहीं है।

बैंकरों की बैठक और मेरी वहां की उपस्थिति का भी उल्लेख किया गया। मैंने वहां किसी प्रकार की भी स्वीकृति नहीं दी। इस चीज का संबंध रिजर्व बैंक से है। रिजर्व बैंक स्वायत्त है। मैं तो कभी कभी वैसे सलाह देता हूं। यह बात सैद्धान्तिक दृष्टि से देखी गयी थी। बैंकिंग की सारी बातें आखिर हमें भी ज्ञात होनी ही चाहिएं। यदि उस दृष्टि से हमने इस बात में थोड़ी चि ली तो क्या आपत्ति है?

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : मुझे गलत समझा जा रहा है।

†**श्री मोरारजी देसाई** : गलत समझने की क्या बात है। जब बैंकरों की बैठक होगी तो सारी बातों पर ही चर्चा चलेगी। फिर यह क्यों कहा जाय कि इन बातों पर काहे को चर्चा हुई।

उसके बाद यह कहा गया कि मानो ब्याज की दरें काफी बढ़ गयी है। परन्तु ऐसी कोई चीज नहीं हुई है। स्टेट बैंक ने पहली अप्रैल से ३ से ३¼ से ले कर ३ से ३½ प्रतिशत तक दरें कीं और बचत बैंक निक्षेपों की दर २-½ प्रतिशत से २¾ प्रतिशत तक की। शेष संशोधित दरें इस प्रकार हैं: ३ दिन के सावधिक निक्षेप के लिए तीस दिन समेत ३ प्रतिशत पर वही दर जो पहले थी; ३१ से ६० दिन के लिए ३¼ प्रतिशत, वही दर जो पहले थी। ६१ दिन से ९० दिन तक ३½ प्रतिशत; ९१ दिन से ऊपर पर बारह मास से कम तक ३¾ प्रतिशत; १२ महीने

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

से अधिक और २४ महीने से कम तक, ४ प्रतिशत; २४ महीने से अधिक पर ४८ मास से कम तक, ४½ प्रतिशत; ४८ मास से आगे, ६० मास से कम तक ४½ प्रतिशत। ६० मास से आगे दर को ४½ प्रतिशत को बढ़ाकर ५ प्रतिशत कर दिया गया है।

बैंक दरों और सरकारी दरों में सदा अन्तर रहता है। बैंकों की दर हमेशा ज्यादा होती हैं। परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि सरकार को रुपया नहीं मिल सकता। सरकार की अपनी साख होती है। इसके बाद अपर्याप्त जानकारी के लिए आलोचना की गयी है।

जहां तक दरों का संबंध है, उस बारे में मैं पुनः कर दूं कि दरें बढ़ायी नहीं गयीं। मैं समझता हूं कि सदस्य शायद यह मान रहे हैं कि ३½ प्रतिशत को बढ़ाकर ५ प्रतिशत कर दिया गया है। पर ऐसी बात नहीं है। यदि माननीय सदस्य को इस बात का अफसोस हो कि उनकी गलत बात कट गयी है तो उसका इलाज मैं नहीं कर सकता।

†**श्री प्रभात कार**: माननीय मंत्री अपने वक्तव्य से संतुष्ट रहें।

†**अध्यक्ष महोदय**: उनके कहने से यही चीज जाहिर होती थी कि दरें १ प्रतिशत से बढ़ाकर ५ प्रतिशत तक कर दी गयी हैं। माननीय मंत्री को सही स्थिति बताने का हक है।

†**श्री मोरारजी देसाई**: माननीय सदस्य सब बातें वित्त विधेयक की चर्चा के समय पर कह सकते हैं। इसलिये अब मुझे अपनी बातें कहने का मौका दिया जाये।

सामान्य बीमे और जीवन बीमा निगम के बारे में भी प्रश्न उठाया गया। निक्षेप बीमा योजना की बात भी कही गयी। हम इस सम्बन्ध में भी शीघ्र ही सभा के सम्मुख आने वाले हैं। कैबिनेट को ही इस मामले में निर्णय करने का अधिकार है।

सामान्य बीमे के बारे में कहा गया कि वहां गबन होता है और गड़बड़ होती है। अतः इस का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये। यह भी कहा गया कि मैं इस किस्म की बातें पसन्द नहीं करता। परन्तु यह सामूहिक सत्य हो ऐसी बात भी नहीं है। शायद किसी एकाध समवाय की हालत ऐसी हो। उन की भी जांच की जा रही है पर इस का यह मतलब नहीं कि सब समवायों की हालत एक सी है।

†**अध्यक्ष महोदय**: क्या वार्षिक प्रतिवेदन नहीं होते ?

†**श्री मोरारजी देसाई**: होते हैं। बीमे के नियंत्रकों का यह कर्तव्य है कि वे इस सम्बन्ध में निरन्तर कार्यवाही करते रहें और मामलों को ठीक करें।

जहां तक राष्ट्रीयकरण की नीयति का संबंध है, हमारी नीति यह है कि राष्ट्रीयकरण तभी किया जाय जब वह देश के हित में हो। निस्संदेह सामान्य बीमे के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में विचार किया जाना चाहिये। तथापि यह ज्ञात होना चाहिये कि यह व्यवसाय खतरे से खाली नहीं है। उस के अन्तगत कई प्रकार के दावों का भुगतान किया जाता है। इसमें लाभ भी बहुत अधिक नहीं है। मेरे विचार से ऐसे व्यवसाय को अपने हाथ में लेना काफी खतरा उठाना है। अतः मेरे विचार से इस का राष्ट्रीयकरण करना उचित नहीं होगा। अतः बार बार यह प्रश्न उठाना और यह कहना कि मंत्री महोदय इसका राष्ट्रीयकरण करने के विरोधी हैं उचित नहीं है।

यह कहा गया है कि बीमा संबंधी नीतियों में भी कई भूलें हुई हैं। तथापि व्यपगत होने वाली पालिसियों की संख्या उन कम्पनियों की अपेक्षा बहुत कम हैं जिन के हाथ में पहिले बीमा का कार्य था।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं इस सम्बन्ध में आंकड़े दे चुका हूं। इन से स्पष्ट है कि यदि पहिले व्यपगत हुई पालीसियों का प्रतिशत था तो अब यह प्रतिशत केवल ६ है। कभी कभी बीमा करवाने वाले अपनी भावी आय के सम्बन्ध में पूर्ण जागरूक नहीं रहते हैं फलतः वे अपनी किस्तें नहीं चुका सकते हैं और उन की पालीसियां व्यपगत हो जाती हैं। कुछ लोग बीमे के संबन्ध में पूर्ण जागरूक नहीं होते हैं। उचित सेवायें न कर सकने पर भी पालीसियां व्यपगत हो जाती हैं। तथापि इस संबंध में जीवन बीमा निगम पूर्ण प्रयत्न कर रहा है तथा जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत दिलचस्पी ले रहे हैं तथा मुझ विश्वास है कि कुछ ही समय के अनन्तर इस संबंध में शिकायत करने की गुंजाइश बहुत कम रहेगी।

पालीसियों के व्यपगत होने का एक कारण एजेंट भी है, वेकमीशन पाने के उत्साह में अधिकाधिक लोगों का बीमा करवाते जाते हैं, फलतः कई पालिसियां व्यपगत हो जाती ह। इस संबंध में हम एजेंटों और क्षेत्राधिकारियों को उचित प्रशिक्षण देने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं जिस से कि वे अपना कार्य उचित तरीके से कर सकें। इस से भी इस प्रतिशत में कमी होने में मदद मिलेगी।

वस्तुतः उन्हीं के कार्य की देख रेख करने के लिये प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की आवश्यकता होती है। यदि ये अधिकारी वहां न हों तो जीवन बीमा निगम का कार्य ठप्प हो जाये। वस्तुतः सरकार को सारी आय एजेंटों से ही नहीं होती है ऐसा होने पर बीमा करवाने वालों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। अतः यदि क्षेत्राधिकारी उचित कार्य नहीं करेंगे तो उन की संख्या घटानी होगी। यदि वे अच्छा कार्य करेंगे तो उन्हें प्रोत्साहन बोनस भी मिलेगा और वे बने रहेंगे। क्षेत्रों में काम करने वाले एजेंटों इत्यादि के लिये विशेष शिक्षा अर्हतायें या आयु संबंधी प्रतिबन्ध नहीं हैं तथापि जीवन बीमा निगम के अन्य अधिकारियों के लिय शिक्षा इत्यादि के सम्बन्ध में कड़े प्रतिबन्ध हैं अतः इन दोनों सेवाओं की तुलना नहीं हो सकती है।

श्री माथुर ने यह कहा है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में जो ४४९ करोड़ की अधिकथ राशि तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये उपलब्ध हुई है उस के विस्तृत विवरण दिये जायें। अनुमान है कि इस्पात परियोजनाओं से १११ करोड़ रुपये की आय होगी। उर्वरक संयंत्रों से ३३ करोड़ रुपये की आय होगी। डाक तथा तार विभाग से २८ करोड़ रुपये की तथा अन्य उपकमों से १२८ करोड़ रुपयों की आय होगी।

यह कहा गया है कि आय के वितरण में विषमता दूर नहीं हो रही है। यह भी आरोप लगाया गया है कि क्षेत्रीय विषमतायें उसी प्रकार मौजूद हैं। तथापि प्रश्न यह है कि क्या हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे है या नहीं। कई बार ऐसा होता है वस्तुओं का रूप हमारे चश्मे के रंग के अनुसार दिखाई देता है। हम अपने सिद्धान्तों के अनुसार सभी वस्तुओं का प्रतिरूप देखते हैं। क्या किसी व्यक्ति ने यह अनुमान लगाया था कि १० या १४ वर्ष पश्चात देश में संपत्ति का समान वितरण हो जायेगा और देश में किसी प्रकार की विषमता नहीं रहेगी। जो लोग तत्काल ऐसा करना चाहते हैं मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि हम कई सौ वर्ष तक ऐसा करने में समर्थ नहीं होंगे। हमारे विचारों में संतुलन होना चाहिये।

जब खाद्य मंत्री ने खाद्य उत्पादन और खपत संबंधी कुछ आंकड़े दिये उस समय भी यही कहा गया कि यह आंकड़ सही नहीं हैं और लोग अधिक अन्न नहीं खा रहे हैं। यह भी कहा गया है कि देश में बेकारी बढ़ रही है तथापि ऐसे द्विविधापूर्ण विषय की जानकारी के लिये केवल आंकड़ों का विश्वास करना उचित नहीं है। निसंदेह हमें आंकड़ों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तथापि उन्हें अपने विश्वास का आधार बनाने के पूर्व हमें एक प्रकार का संतुलन रखना चाहिये। तथापि क्या हमारे देश की वही स्थिति है जो कि आज से १३ या १४ वर्ष पहिले थी। इस में सन्देह नहीं है कि उन व्यक्तियों तक उत्पादन या संपत्ति का लाभ नहीं पहुंचा है जिन तक हम पहुंचना चाहते थे। तथापि इस का कारण यह है कि हमने

[श्री मोरारजी देसाई]

इतनी संपत्ति का निर्माण ही नहीं किया है। तथापि इस मात्रा में सम्पत्ति किसी का गला काट कर या ईर्षा उत्पन्न कर या केवल मेरे विरुद्ध विषय उगल कर तो नहीं पैदा की जा सकती है। मैं ने गैर-सरकारी क्षेत्र को कोई रियायतें नहीं दी हैं। मैंने सम्पत्ति कर में वृद्धि रूप दी है। यदि कुछ समवायों को इस उद्देश्य से रियायतें दी गयी हैं कि उन कासंचालन अधिक कुशलता पूर्वक हो सके तो इस का लाभ उन अंशधारियों को भी मिलेगा जो कि गरीब या मध्यम वर्ग के लोग हैं। तथापि मैं इस बात से इन्कार नहीं कर सकता हूं कि सम्पत्ति उन लोगों को मिलती है जिन के पास पहिले से ही सम्पत्ति होती है। तथापि इस का कोई उपचार नहीं किया जा सकता है। निसंदेह हमारा यह प्रयत्न होना चाहिये कि क्रमशः निर्धन व्यक्ति भी धनियों की कोटि में आ सकें।

निसंदेह हम ने क्षेत्रीय विषमताओं को भी दूर करना है। यह कहा गया है कि हमें पिछड़े क्षेत्रों में और अधिक पूंजी लगानी चाहिये। प्रश्न यह है कि पूंजी आयेगी कहां से? इस के लिये हमें चाहिये कि पूंजी ऐसे स्थान पर लगायें जहां से सरलता से उस से रकम मिल सकती है और तब उस का वितरण करें। यदि हम ऐसे स्थान पर पूंजी लगायेंगी जहां से कोई उत्पादन नहीं हो सकता है तो इस का यह लफ होगा कि हमें कुछ प्राप्ति ही नहीं होगी जिस का हम वितरण कर सकें।

उदाहरणार्थ यदि सिचाई की एक परियोजना में ३०० रुपये प्रति एकड़ व्यय होता है और दूसरी में १००० रु० प्रति एकड़। हमें चाहिये कि हम ३०० रु० प्रति एकड़ वाली योजना को पहिले लेवें। इसी प्रकार यदि हम ऐसे संसाधनों का उपयोग करते हैं जहां से तुरन्त लाभ मिलेगा तो हम उस रकम का वितरण अन्य क्षेत्रों में कर सकते हैं। इसी प्रकार हमें उन लोगों का उपयोग करना चाहिये जो संपत्ति का उत्पादन करना जानते हैं तथापि हमें उन्हें अपने नियंत्रण में रखना चाहिये। तथापि इस नियंत्रण की एक सीमा होनी चाहिये। यदि हम सीमा से बाहर जायेंगे तो इस से उन संसाधनों पर आघात होगा जिन से संपत्ति का उत्पादन होता है। न हमें अपना शोषण होने देना चाहिये और न स्वयं ही किसी का शोषण करना चाहिये। इस के लिये हम देश में शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं तथा मंजूरी बोर्ड इत्यादि का निर्माण कर रहे हैं। आप ऐसा कोई भी कानून नहीं दिखा सकते हैं जिस से हमारा यह उद्देश्य प्रगट नहीं होता हो। संभव है वह उस सीमा तक नहीं जाता हो जहां तक हम चाहते हैं। निसंदेह विरोधी पक्ष की क्षमता हम से अधिक हो सकती है। तथापि किसी भी वस्तु का ध्वंस करना सरल होता है जब कि उस का निर्माण करना बहुत कठिन होता है।

मुझे उन की सदाशयता पर संदेह नहीं है। वे चाहते हैं कि गरीबों को भी खुशी हासिल हो। हम भी यही चाहते हैं। तथापि यदि मैं उन के द्वारा बतलाया गया मार्ग ग्रहण करूं तो गरीबों का अस्तित्व ही नष्ट हो जायेगा।

श्री अशोक महता ने कहा कि हमें आत्मतुष्ट नहीं बैठ जाना चाहिये। निसंदेह हम आत्मतुष्ट नहीं हैं और न हम यह अनुभव करते हैं कि हम सभी कुछ कर चुके हैं। निसंदेह हम कुछ दूरी तय कर चुके हैं तथापि अभी हमें बहुत दूर चलना है और काफी मुसीबतें तय करनी हैं। हमें चाहिये कि हम संगठित होकर इन कठिनाइयों का मुकाबला करें और अपनी सफलताओं तथा असफलताओं से शक्ति ग्रहण करें। यदि हम एक दूसरे की आलोचना भी करें तो वह मैत्रीपूर्ण होनी चाहिये तथा वह दूसरे को सहायता करने के उद्देश्य से होनी चाहिय। दूसरे का दोष निकाल कर उसे नीचा दिखाने के उद्देश्य से नहीं। हरे प्रत्यक व्यक्ति की अच्छाई खोजनी है और उस को सुदृढ़ करना है।

हम बहुत अधिक छिद्रान्वेषण करते हैं। यह चीज हमें विरासत में मिली है। हमें इसे छोड़ देना चाहिये। अन्यथा इस से सारी अच्छाइयों का निराकरण हो जायेगा। मेरे कथन का तात्पर्य यह नहीं है कि हम आलोचना न करें। मेरा आशय है कि हम यथा संभव पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं। यदि वे

इस संबंध में धैर्य धारण करें और अपने हृदय से ईर्ष्या का विष निकाल देवें तो वे समाज के अधिक उपयोगी बन सकते हैं ।

संपत्ति के वितरण के संबंध में मध्य वर्ग का उल्लेख किया गया है । मैं स्वयं मध्यम वर्ग से आया हूं । तथापि मंत्री के रूपमें मैं धनिक वर्ग में आ गया हूं । क्योंकि एक मंत्री को आप गरीब नहीं कह सकते हैं । मैं अन्य सदस्यों से अधिक आयकर देता हूं तथा उनसे अधिक धनी हूं । तथापि मैं उन कठिनाइयों तथा परिस्थितियों को नहीं भूला हूं जिनसे होकर मैं गुजरा हूं । मुझे उनकी कठिनाइयों का व्यक्तिगत अनुभव है । निसंदेह मध्यम वर्ग की भावनाओं को उकसा कर उनसे मतदान लेना आसान हैं । मध्यम वर्ग की वास्तविक कठिनाई यह है कि केवल एक व्यक्ति को ही सारे परिवार का भरण पोषण करना होता है । व्यय में दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है । आज स्थिति यह है कि मजदूर वर्ग की आय मध्यम वर्ग से अधिक बढ़ गयी है, यह सरकार की की गयी कार्यवाहियों का परिणाम है । तथापि क्योंकि उनके परिवार के कई लोग कमाते हैं अतः उनका स्तर काफी ऊंचा बढ़ गया है । मध्यम वर्ग के व्यय उसी प्रकार के हैं जब कि उनकी आय में वृद्धि नहीं हुई है । उनके लिये हमने गृह उद्योगों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों की व्यवस्था की है । जिन से लोगों की आय में वृद्धि होगी । इसी कारण हम इन योजनाओं में पर्याप्त धन व्यय कर रहे हैं ।

श्री भा० कृ० गायकवाड़ ने पूछा है कि किस प्रकार के मजदूरों की आय में वृद्धि हुई है । मेरा तात्पर्य कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से है । मेरे विचार से मेरे माननीय मित्र इस तर्क का खंडन नहीं कर सकते हैं । मेरे कहने का यह आशय नहीं है कि अन्य मजदूरों की स्थिति में भी सुधार हुआ है । तथापि उनकी आय में भी वृद्धि हुई है । वे लोग भी आगे बढ़ रहे हैं भले ही उस गति से न बढ़ रहे हों जिस गति से हम चाहते हैं । निसंदेह उनकी आय में वृद्धि करनी होगी तथा उन्हें अन्य काम देना होगा । जहां तक यह कहने का सम्बन्ध है कि वे सब लोग बेकार हैं और उनकी आय में वृद्धि नहीं हुई है मेरा कथन यह है कि एक घरेलू नौकर का मिलना भी आजकल कठिन होता है और वे पहिले से पांचगुनी तनख्वाह मांगते हैं । लोग गांवों से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं । इसका कारण यह है कि पहिले की अपेक्षा उनकी अवस्था काफी सुधर गयी है । हमें वास्तविकता की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये ।

जहां तक आयोग का सम्बन्ध है आयोग ने यह भी कहा था कि इस प्रकार की तुलना करनी गलत है । समान प्रकार के आंकड़ों की तुलना न करने के कारण हम भटक गये हैं । हमें ऐसे आंकड़ों पर विश्वास नहीं करना चाहिये । हमें अपने आंखों और कानों पर विश्वास करना चाहिये और अपने दिमाग पर भरोसा करना चाहिये । तथापि हमारे दिल और दिमाग को दूषित नहीं होना चाहिये ।

जहां तक विद्युत तथा उसके उपयोग का सम्बन्ध है सरकार की नीति कृषि और छोटे पैमाने के उद्योगों के प्रतिकूल नहीं है । हम उन्हें पूर्ववर्तिता देना चाहते हैं । तथापि हमें पर्याप्त उत्पादन करना चाहिये । छोटे पैमाने के उद्योगों पर पूंजी तभी लगायी जा सकती है जब कि हम बड़े पैमाने के उद्योगों से पूंजी का उत्पादन करें । अतः हमें छोटे और बड़े दोनों ही प्रकार के उद्योगों पर विचार करना है । उद्योगों की प्रगति तत्काल नहीं हो सकती है । विशेषतः यदि हम उनके मार्ग में कई प्रकार की बाधायें प्रस्तुत करें तो उनका विकास नहीं हो सकता है । निसंदेह उद्योगों की स्थापना होने पर उनसे लाभ प्राप्ति हो सकती है । अतः इस मामले में हमारा दृष्टिकोण व्यावहारिक होना चाहिये ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** (मुकुन्दपुरम्): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५० और १९६० के दौरान कामगर वर्गों की वास्तविक आय में कितनी वृद्धि हुई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं आपको इस सम्बन्ध में आंकड़े नहीं दे सकता हूं। तथापि इसका प्रमाण मेरे समक्ष है। आज हमारे देश में चीनी का उपयोग ९ लाख टन से बढ़ कर २२ लाख टन हो गया है। प्रति व्यक्ति कपड़े की खपत ९ गज से बढ़ कर १६ गज हो गयी है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इन सभी बातों के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। कृपा करके अब माननीय मंत्री को उत्तर देने दें।

†**श्री मोरारजी देसाई** : हम बहुत से गांवों में जाते हैं तो हमें दिखाई देता है कि बहुत से नये मकान बनाये जा रहे हैं परन्तु मैं चाहता हूं कि सभी व्यक्तियों के रहने के लिए मकान बन जायें। ऐसा एक दिन में तो हो नहीं सकता। इसके लिये समय चाहिए।

मेरे मित्र श्री अशोक मेहता ने बताया कि हमें अपने तरीके बदल देने चाहिए। मैं उनकी बात से सहमत हूं और बता देना चाहता हूं कि अनुभवों के आधार पर हम अपने तरीके बदलते जा रहे हैं। परन्तु यह तरीके भी, मैं समझता हूं तभी बदले जाने चाहिए जब परिवर्तित तरीकों से हमें अच्छे परिणामों की आशा हो। हम सभी सुझावों का ध्यान रखते हैं तथा उनको कार्यान्वित करने का प्रयत्न करते हैं।

यह सुझाव दिया गया कि हमें उत्पादन में भी गवेषणा करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। हम अधिक से अधिक गवेषणा करने का प्रयत्न कर रहे हैं तथा प्रयत्न कर रहे हैं कि अधिक से अधिक गवेषणा विद्यार्थियों को प्रशिक्षित कर दिया जाये। परन्तु यह भी एक दिन में नहीं किया जा सकता है और मैं बताना चाहता हूं कि दिन प्रति दिन प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बंगलौर की मशीन टूल्स फैक्टरी है। इस कारखाने में हमारे कर्मचारी स्विटज़रलैंड के कर्मचारियों से भी अच्छा काम तीन चार वर्षों में करने लगे हैं। इसीलिए हम प्रयत्न कर रहे हैं कि नई परियोजनाओं में और अधिक प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था कर दी जाये।

इससे मेरा यह मतलब नहीं है कि हमने बहुत काम कर दिया है और अब और कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो बहुत काम करना शेष है। कभी भी व्यक्ति को संतुष्ट होकर चुप नहीं बैठना चाहिए उसे तो आगे बढ़ने का प्रयत्न ही करते रहना चाहिए। अमरीका, रूस आदि में भी अभी यह भावना है कि उनकी प्रगति पर्याप्त नहीं हुई है क्योंकि टैक्नालाजी, उद्योग बढ़ने के साथ साथ टैक्नीशियनों की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है।

मैं प्रेजीडैंट कैनेडी के इन वाक्यों से पूरी तरह सहमत हूं कि 'आप यह न पूछिये कि अमरीका ने आपके लिये क्या किया है अपितु यह पूछिये कि आपने अमरीका के लिये क्या किया है।' इसीलिए मेरा यही कहना है कि "आप यह न पूछिये कि भारत ने आपके लिये क्या किया है अपितु यह पूछिये कि आपने भारत के लिये क्या किया है।" हमें इसी भावना के आधार पर आगे बढ़ना है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या १६७४ मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय द्वारा वित्त मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
२१	वित्त मंत्रालय .	१,६०,४४,०००
२२	सीमा-शुल्क	३,६८,५२,०००
२३	संघ उत्पादन शुल्क .	८,२०,६५,०००
२४	निगम कर आदि सहित आय पर कर	५,४३,२३,०००
२५	अफीम	४८,८३,०००
२६	मुद्रांक	२,४४,३७,०००
२७	लेखा-परीक्षा	१०,९२,०७,०००
२८	चल-मुद्रा .	४,७९,९६,०००
२९	टकसाल . .	६,३३,२५,०००
३०	प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति-वेतन	२१,६२,०००
३१	अतिवयस्कता भत्ता तथा निवृत्ति-वेतन	३,९५,९१,०००
३२	वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय .	१३,२३,५५,०००
३३	योजना आयोग	८०,१३,०००
३४	राज्यों को सहायतार्थ अनुदान . .	१,६१,१८,९४,०००
३५	संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन .	२०,४७,०००
३६	विभाजन-पूर्व के भुगतान . .	१५,३५,०००
११४	इंडिया सिक्यूरिटी प्रेस पर पूंजी व्यय . . .	२९,८७,०००
११५	चल-मुद्रा और मुद्रा पर पूंजी व्यय . .	९,४२,२५,०००
११६	टकसालों पर पूंजी व्यय . .	६,३३,०००
११७	सेवा निवृत्ति वेतन का राशिकृत मूल्य . .	१,३६,१७,०००
११८	वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय .	७४,६७,५९,०००
११९	विकास के लिये राज्यों को दिये जाने वाले अनुदानों पर पूंजी व्यय.	१५,७३,००,०००
१२०	केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम धन . .	१,५६,३८,६०,०००

अणु शक्ति विभाग

अध्यक्ष महोदय द्वारा अणु शक्ति विभाग की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१०२	अणु शक्ति विभाग . .	१५,०६,०००
१०३	अणु शक्ति अनुसंधान .	५,३६,८०,०००
१४१	अणुशक्ति विभाग का पूंजी व्यय . . .	५,००,४६,०००

संसद्-कार्य विभाग

वर्ष १९६१-६२ के लिए संसद्-कार्य विभाग की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१०४	संसद्-कार्य विभाग	२,३५,०००

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : श्रीमान्, संसद्-कार्य विभाग का यह काम है कि मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों को मंत्रालयों द्वारा पूरा कराये परन्तु मुझे खेद है कि संसद्-कार्य मंत्री ने इन आश्वासनों को पूरा कराने में उतना उत्साह नहीं दिखाया है जितना उन्होंने पहली लोक-सभा में दिखाया था। मेरा उनसे अनुरोध है कि मंत्री महोदय कृपा करके थोड़ा उत्साह दिखायें।

दूसरी बात मैं राज्य-सभा का सत्र बुलाने के बारे में कहना चाहता हूं। वित्त मंत्रालय को उड़ीसा बजट २ मार्च को मिल गया था तथा राज्य सभा १८ मार्च को स्थगित हुई थी। इससे पता लग जाता है कि इसको इन दिनों में पारित किया जा सकता था। परन्तु ऐसा नहीं किया गया और केवल उड़ीसा का बजट पारित करने के लिए ७०,००० रुपया व्यय किया गया। मैं चाहता हूं कि इस के बारे में हमें बताया जाये।

†**श्री मोरारजी देसाई** : ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने जान बूझ कर ऐसा किया है। सच यह है कि बजट अभी तैयार नहीं था। उड़ीसा सरकार से आये हुए बजट को उसी रूप में हम पारित नहीं कर सकते थे। उसमें परिवर्तन करना आवश्यक था क्योंकि उसमें १० करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया था। मैंने वित्त मंत्री तथा मुख्य मंत्री दोनों को यहां बुलाया। उनसे बातचीत की और तब उसको सभा में प्रस्तुत किया गया। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है।

---

†इस अंग्रेजी में

†संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : आश्वासनों को शीघ्रता से पूरा न कराने का दोष अवश्य मेरे पर लगाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में अधिक अच्छा काम होगा।

श्री ब्रज राज सिंह (फ़िरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इस विभाग की मांगों पर कभी बहस नहीं हुई, इस लिये यह अच्छा है कि आज दस मिनट मिल रहे हैं।

संसद् का कार्य देश के विकास के लिये अधिकाधिक महत्वपूर्ण हो रहा है और देश की जनता देश में जनतंत्र को सफल बनाने के लिये संसद् की ओर निगाह लगा कर देखती है। इस लिये इस विभाग का यह कर्तव्य होना चाहिये कि वह संसद् की कार्यवाही को अधिकाधिक दिलचस्प बनाए और ज्यादा से ज्यादा वक्त उन समस्याओं पर बहस करने के लिये मिले, जिनका सम्बन्ध देश की जनता से है, जिससे देश का जीवन संसद् में दर्पण की तरह दिखाई दे। मुझे लगता है कि संसद् देश की समस्याओं का दर्पण नहीं बन रही है। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में संसद्-कार्य मंत्री बहुत कुछ कर सकते हैं। आप जानते हैं कि इस सम्बन्ध में मैंने आपको सुझाव दिये थे, लेकिन चूंकि उसका सीधा सम्बन्ध सरकार से है, इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार उन पर विचार करे और यह संसद् सिर्फ कानून बनाने वाली संस्था ही नहीं बननी चाहिये, बल्कि समय समय पर देश में उठने वाली विभिन्न समस्याओं पर संसद् में बहस के लिये वक्त होना चाहिये। देश में जो लोग कानून की विभिन्न बारीकियों से परेशान हो जाते हैं और अदालतों की शरण में नहीं जा सकते हैं, वे संसद् की तरफ देखते हैं (जब उसकी बैठक हो रही होती है) कि उसके द्वारा हमारी मुसीबतें दूर हो सकती हैं। इस समय जितने वक्त संसद् बैठती है, उससे अधिक बैठे और कानूनों के अतिरिक्त **नो डे येट-नेम्ड-मोशन** और इस प्रकार के और प्रस्तावों के लिये अधिक समय मिले। प्रश्नों का घंटा और अधिक मिले, जिससे गैर-सरकारी लोगों को ज्यादा मौका मिल सके और देश के नागरिक यह महसूस कर सकें कि देश में जनतंत्र मजबूत हो रहा है और संसद् वाकई देश के जीवन का दर्पण बन रही है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर): मेरी माननीय मंत्री से प्रार्थना है कि वह सभा में गणपूर्ति बनाये रखने का प्रयत्न किया करें।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : इसकी जिम्मेदारी सभी माननीय सदस्यों पर है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (गुड़गांव) : अध्यक्ष महोदय, मैं संसदीय कार्य मंत्री से बहुत ही संक्षिप्त सी भाषा में एक निवेदन करना चाहता हूं। मैंने एक प्रस्ताव भी उपस्थित किया है, जिसे विचारार्थ स्वीकार कर लिया गया है। हमारी वर्तमान यह जो शासन प्रणाली चल रही है, उसमें गांधी जी को आदर्श माना गया है। गांधी जी का वैयक्तिक जीवन और सार्वजनिक जीवन भी इस प्रकार का था कि जब वह अपने दैनिक कार्यों को आरम्भ करते थे तो परमात्मा का नाम लेकर आरम्भ करते थे। आपके मस्तक पर भी, अध्यक्ष महोदय, "धर्मचक्र प्रवर्तनाय" लिखा हुआ है। इन सारी बातों को देखते हुए भी अत्यन्त आश्चर्य होता है कि ईश्वर का नाम लेकर यहां कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाता है। सारी संसद् में मेरे विचार से बहुत कम प्रतिशत लोग ऐसे होंगे जो ईश्वर में आस्था न रखते हों। इसी दृष्टि से मैंने उस प्रस्ताव को उपस्थित किया है और मैं चाहता हूं संसदीय कार्य मंत्री उसके ऊपर कुछ गम्भीरता से विचार करें और निर्णय लें कि संसद का जब भी कोई अधिवेशन आरम्भ हो, उस समय प्रथम दिन और जब संसद् समाप्त होने लगे, यानी अन्तिम दिन ईश्वर का नाम ले कर कार्यारम्भ किया जाए और परमात्मा को धन्यवाद देकर उसको समाप्त किया जाए।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय द्वारा संसद्-कार्य विभाग की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१०४	संसद्-कार्य विभाग	२,३५,०००

अध्यक्ष महोदय द्वारा लोक-सभा, राज्य-सभा तथा उपराष्ट्रपति के सचिवालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१०५	लोक-सभा	६०,६५,०००
१०७	राज्य-सभा	३४,८५,०००
१०८	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	६५,०००

विनियोग (संख्या) २ विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६१--६२ में व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६१--६२ में व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

वित्त विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्थापनाओं पर विचार किया जाये ।"

यह विधेयक डेढ़ महीने से अधिक समय से सभा के सामने है और इस पर सभासदों तथा जनता ने बहुत कुछ कह दिया है ।

†मूल अंग्रेजी में

सभा को याद होगा कि मैंने संघ उत्पादन शुल्कों में वर्तमान करों की दरों का समायोजना भी किया है तथा कुछ नयी वस्तुओं पर कुछ उत्पादन शुल्क भी लगाये थे। परन्तु संसद् में सामान्य चर्चा तथा जनता की आलोचना देखते हुए मैंने १७ मार्च को सामान्य चर्चा का उत्तर देते हुए इनमें कुछ रियायतें दे दी गई थीं। इस के बाद मैंने तथा मंत्रालय के अधिकारियों ने, व्यापारियों से और बातचीत की तथा माननीय सदस्यों के सुझावों को सुना। मैं आशा करता हूं कि सभा मेरी इस बात की सराहना करेगी कि हमें तीसरी योजना के लिए धन की नितान्त आवश्यकता है इसलिये जो रियायतें तथा छूट मैं दे चुका हूं उनसे अधिक रियायतें अथवा छूट देना मेरे लिए संभव नहीं है। परन्तु फिर भी मैंने इस पर और विचार किया तथा यह निश्चय किया कि कुछ और रियायतें दी जानी चाहिएं। श्रीमान आपकी अनुमति से मैं उनको सभा में बताता हूं।

१७ मार्च को मैंने सभा में बताया था कि मैं बढ़िया किस्म के मिट्टी के तेल पर से उत्पादन शुल्क ५० प्रतिशत कम कर दूंगा। अब मैंने घटिया किस्म के मिट्टी के तेल को जानने के लिये कसौटियां बना दी हैं। इस से घटिया किस्म के मिट्टी के तेल के आयात में भी सहायता मिलेगी। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए घटिया किस्म के मिट्टी के तेल का आयात किया जायेगा और मुझे आशा है कि शीघ्र ही समस्त देश में घटिया किस्म का मिट्टी का तेल पर्याप्त मात्रा में मिलने लगेगा।

मैंने सभा को यह भी बताया था कि यदि घटिया तथा बढ़िया किस्म की काफी की पहचान करने का कोई तरीका मालूम हो गया तो मैं घटिया किस्म की काफी पर कुछ छूट दे दूंगा। मुझे बताया गया है कि घटिया तथा बढ़िया किस्म की काफी में अन्तर का पता लगाया जा सकता है और इसलिए मैंने रोबस्टा तथा लाइबेरिया किस्म की काफी पर से अतिरिक्त उत्पादन शुल्क को हटा दिया है।

१७ मार्च को ३ अथवा ४ करघों वाले बिजली के करघों पर मैंने कुछ रियायतों की घोषणा की थी। उसके बाद मुझे बताया गया है कि रियायतें पर्याप्त नहीं हैं और उनको और राहत मिलनी चाहिए। मैंने इसीलिए ३ अथवा ४ करघों को पूरी छूट दे दी है। मैं यही छूट ऊनी कपड़ा बनाने वाले करघों को देना चाहता हूं।

स्वयंचालित करघों पर बने हुए कपड़े पर लगाये गये उप-कर के कारण वस्त्र उद्योग ने बड़ी चिन्ता व्यक्त की है। मैंने इस पर कर की दरें इस कारण से बढ़ाई थी जिस से निर्यात बढ़ सके। स्वयंचालित करघों पर बनाये गये कपड़ों का निर्यात कितना बढ़ सकता है, इसका ध्यान रख कर मैंने उत्पादन को ७० प्रतिशत पर से अधिभार कम करके उसको निर्यात शुल्क में शामिल कर दिया है जिससे निर्यात की हुई मात्रा के ३० प्रतिशत पर ही अधिभार लगे। इसकी घोषणा कर दी गई है कि ४० काउन्ट तक का सूत यदि लच्छियों में दिया गया तो उस पर शुल्क नहीं लगेगा।

ऊनी धागे पर लगाये गये शुल्क के बारे में कुछ कठिनाइयां मुझे बताई गई हैं। मैंने इसमें कुछ परिवर्तन किए हैं जिनके अनुसार ६० एस के वर्स्टेड धागे पर २ रुपये १० नये पैसे किलोग्राम दर होंगी तथा ६० एस के कम से कम धागे पर १.६० रुपये प्रति किलोग्राम होगी। वर्स्टेड धागे के अतिरिक्त अन्य धागों पर यह ४० नये पैसे प्रति किलोग्राम होगी।

सभा को यह याद होगा कि बजट प्रस्तावों में मैंने बताया था कि कांच, कांच के बर्तन बनाने वालों जिन्होंने पांच कर्मचारियों से अधिक कर्मचारी नौकर नहीं कर रखे हैं, को शुल्क से छूट दे दी गई थी। परन्तु यह समझा गया कि इस छूट से कुटीर उद्योगों को कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि इनमें कभी

कभी पांच से अधिक कर्मचारी भी नियुक्त होते हैं। इसलिये मैंने २० कर्मचारियों वाले निर्माताओं को छूट देने की व्यवस्था कर दी है। चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने वालों को भी मैंने छूट दे दी है वह कर्मचारी तक नियुक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रसाधन सामग्री बनाने वालों को भी मैंने ५० किलोग्राम से ७५ किलोग्राम प्रति मास तक उत्पादन पर छूट दे दी है।

तांबे पर शुल्क लगाये जाने से छोटे बर्तन बनाने वालों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। मैंने उनकी बात सुनी और तांबे तथा पीतल पर से २५ प्रतिशत की छूट दे दी।

मैं सभा को बता चुका हूं कि प्लास्टिक तथा कांच के बर्तनों पर शुल्क केवल एक बार लिया जायेगा। मैं यह भी बता चुका हूं कि रंगों के निर्माण पर भी एक बार शुल्क लिया जायेगा। दवाओं के निर्माताओं ने मुफ्त सैम्पल देने की एक समस्या खड़ी कर दी है। अस्पतालों, शोधनशालाओं आदि को दिये जाने वाले सैम्पलों पर से मैंने ५ प्रतिशत शुल्क की छूट दे दी है।

यह बता दिया गया है कि खाद्यान्नों के परिरक्षण के लिये रैफ्रेजीरेटरों पर शुल्क नहीं लगाया जायेगा। वित्त विधेयक में यह एक प्रस्ताव है कि जिन सूती कपड़े के निर्माताओं का अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया है उन पर शुल्क ५० प्रतिशत से बढ़ा कर १०० प्रतिशत किया जा रहा है। मछुओं की सहकारी समितियों ने यह प्रतिनिधित्व किया है कि इस शुल्क के कारण उन पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इसलिये आयात किये गये नायलन के धागों पर लगाया शुल्क ५० प्रतिशत कम किया जा रहा है।

खुरदरे, आयात किए गए अखबारी कागज की रीलों पर शुल्क ३.१० रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ा कर ७.५० रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया था तथा अन्य प्रकार के आयात किये गये अखबारी कागज के रीलों पर शुल्क ३.६० रुपये प्रति क्विंटल से ९ रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया था। हमें बताया गया कि इससे उद्योग को बड़ी कठिनाई होगी और इसीलिये पहले प्रकार के अखबारी कागज पर ५ रुपये प्रति क्विंटल तथा दूसरे प्रकार के अखबारी कागज पर ५.५० रुपये प्रति क्विंटल की छूट दे दी गई है। मैं अब समझता हूं कि उद्योग को कोई कठिनाई नहीं होगी।

रेयन के धागे पर उत्पादन शुल्क के बढ़ जाने से सीमा शुल्क भी कुछ बढ़ गया। हमें बताया गया कि बजट से पहले ही उत्पादन शुल्क का एक भाग सीमा शुल्क में जोड़ दिया गया था। इसलिये हमने अब सीमा शुल्क की दरें कुछ कम कर दी हैं अर्थात् धागे के प्रति किलोग्राम पर ६५ नये पैसे कम कर दिये गये हैं।

कुछ वस्तुओं की व्याख्या करने के लिये विधेयक के उपबन्धों में कुछ परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है। उदाहरणतः 'सिल्लोफेन' नामक एक वस्तु का जो उनके निर्माताओं ने बनाई थी। यद्यपि सिल्लोफेन को सभी जानते हैं परन्तु यह व्यापार चिह्न हैं इसलिये इसका स्पष्टीकरण आवश्यक है। चीनी मिट्टी के बर्तनों की व्याख्या भी आवश्यक है। सूची १ सातवीं अनुसूची की ८४ प्रविष्टि में बताया गया है कि अल्कोहल वाली वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क लगाया जायेगा। मैं बताना चाहता हूं कि यह उत्पादन शुल्क राज्यों को मिलेगा और इसकी उगाही भी वही करेंगी। ऐसा करने के लिये वित्त विधेयक के खण्ड १३ (जी) का संशोधन किया जा रहा है।

विधेयक में अपेक्षित संशोधन करने के लिये एक नोटिस दिया जा रहा है।

प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में वित्त विधेयक का सर्वत्र स्वागत हुआ है। यद्यपि इस दिशा से भी कुछ सुझाव प्राप्त हुये हैं। मैंने उन सुझावों पर बड़े ध्यान से विचार किया है। आय-कर तथा अधिकार

सम्बन्धी उपबन्धों में मैं कुछ संशोधन करना चाहता हूं । इन संशोधनों को पेश करने के लिये अलग से नोटिस दे दिया गया है । वास्तविक कठिनाइयों को देखते हुए थोड़े बहुत परिवर्तन किये जा रहे हैं । यह भी ध्यान रखा गया है कि राजस्व में भी विशेष रूप से कमी न हो सके ।

प्रत्यक्ष करों का जहां तक सम्बन्ध है, विदेशी समवायों को असंलग्न भारतीय समवायों से प्राप्त होने वाले लाभांश की दरों को सरल बनाया जा रहा है । यह भी व्यवस्था की जा रही है कि समवायों को छोड़ कर अन्य फर्मों को आदर-सत्कार व्यय पर लगाये जाने वाले प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे । यह भी किया जा रहा है कि अल्प वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये मकान बनाने पर जो रियायतें दी जा रही हैं वे उनके अस्पताल, स्कूल, कैन्टीन, पुस्तकालय आदि के निर्माण के लिये भी दी जायेंगी ।

कुछ और भी संशोधन हैं परन्तु उनका सम्बन्ध केवल कुछ मामलों के स्पष्टीकरण से ही है, ये मामले बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं । प्रत्यक्ष करों में और अधिक रियायतें देना सम्भव नहीं । इन सारी रियायतों के परिणामस्वरूप हमें वर्ष भर में राजस्व में ६.१४ करोड़ रुपये की हानि होगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** (लुधियाना) : मैंने कई बार इससे पूर्व भी यह बात कही है और अब भी कह रहा हूं वह यह है कि कृषि और उद्योग के क्षेत्रों के बीच जो असमानतायें हैं वे वैसी की वैसी ही हैं । दो योजनाओं के बावजूद भी ये वैसी की वैसी ही हैं । खेतिहर मजदूरों तथा औद्योगिक मजदूरों की आय की असमानता भी बढ़ गयी है । हमें इस ओर समुचित ध्यान देना चाहिये । इस बात का पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिये कि तीसरी योजना में इस प्रकार की असमानताओं को जहां तक सम्भव हो दूर किया जाये ।

कृषि की ओर भी समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा । गत १० वर्षों में इस दिशा में केवल ४० लाख टन का ही उत्पादन बढ़ा है । यह पर्याप्त नहीं है । मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिय कि कृषि क्षेत्र की आयोजना के लिये जो प्रशासकीय व्यवस्था है उसमें उचित सुधार कर दिया जाय । मुझे इस बात पर भी बहुत खेद है कि नालागढ़ समिति के प्रतिवेदन को कार्यान्वित नहीं किया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य कल अपना भाषण जारी रख सकेंगे । अब सब सभा स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरूवार, २० अप्रैल, १९६१/३० चैत्र, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

बुधवार, १९ अप्रैल, १९६१
(२९ चैत्र, १८८३ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. . . .	५६३५—५९
तारांकित प्रश्न संख्या		
१६११	सिक्किम की रक्षा . .	५६३५—३७
१६१२	पाकिस्तान में भारतीय पावन—स्थान	५६३७—३८
१६१३	सीमेंट मजूरी बोर्ड . .	५६३८—४०
१६१४	नंगल उर्वरक कारखाने में आक्सीजन गैस	५६४०—४१
१६१५	गौमांस का निर्यात . . .	५६४१—४३
१६१८	चाय अनुसन्धान और वैज्ञानिक केन्द्र, तोकलाई	५६४३—४५
१६२०	नागा विद्रोही .	५६४५—४६
१६२१	उत्तर प्रदेश में नमक की कमी .	५६४६—४७
१६२३	काफी उद्योग . .	५६४७—५०
१६२४	अशोक होटल . . .	५६५०—५१
१६२५	तीसरी पंचवर्षीय योजना . .	५६५१—५३
१६२६	मोटरगाड़ियों का निर्यात . . .	५६५३—५५
१६२७	सुरक्षा उपकरण समिति	५६५५—५६
१६२८	भविष्य निधि में अंशदान की दर .	५६५६—५७
१६२९	उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में विमानों द्वारा सम्भरण .	५६५७—५९
प्रश्नों के लिखित उत्तर	. .	५६५९—९१
तारांकित प्रश्न संख्या		
१६१६	रेयन से बनी चीजों का निर्यात .	५६५९—६०
१६१७	कोरापुट और बस्तर में आदिवासी लोग	५६६०
१६१९	तिब्बत में भारतीय मुसलमान	५६६०—६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

	विषय	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या		
१६२२	पुरुलिया का लाख उद्योग . .	५६६१
१६३०	रेयन के कपड़े का निर्यात	५६६१–६२
१६३१	अमृतसर का छोटे पैमाने का ऊनी कपड़ा उद्योग	५६६२
१६३२	निर्यातकों के नाम दर्ज करना	५६६२
१६३३	कपड़ा मजूरी बोर्ड	५६६३
१६३४	छतरियों का निर्यात	५६६३
१६३५	नंगल उर्वरक कारखाना .	५६६३–६४
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३५१४	भारतीय राष्ट्रजनों का अपहरण	५६६४
३५१५	जापान और आस्ट्रेलिया के लिये पारपत्र	५६६४–६५
३५१६	पाकिस्तान से प्रव्रजन	५६६५
३५१७	उद्योगों में ठेका श्रमिकों का सर्वेक्षण	५६६५
३५१८	कून्नूर में घड़ियों का कारखाना	५६६५–६६
३५१९	भारतीय ढोरों का निर्यात	५६६६
३५२०	पंजाब का औद्योगिक विकास	५६६६
३५२१	पंजाब के बारे में प्रलेखीय चलचित्र	५६६६
३५२२	पंजाब में स्थानीय विकास कार्य योजना .	५६६७
३५२३	पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों के लिये शिक्षा	५६६७
३५२५	संयुक्त राष्ट्र कमान में भारतीय सैनिक	५६६७–६८
३५२६	चावल की भूसी का निर्यात	५६६९
३५२७	पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति	५६६९
३५२८	पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति	५६६९–७०
३५२९	आसाम में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति	५६७०
३५३०	विज्ञापन तथा प्रचार निदेशालय	५६७०–७१
३५३१	प्रधान सूचना पदाधिकारी	५६७१–७२
३५३२	ग्राम आवास परियोजना योजनाएं .	५६७३
३५३३	प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन	५६७२–७३
३५३४	निर्यात .	५६७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

	विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३५३५	अमरीका के साथ प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन	५६७३–७४
३५३६	सीरे का निर्यात	५६७४
३५३७	मीट्रिक माप	५६७४–७५
३५३८	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति	५६७५
३५३९	त्रिकाओं का आयात	५६७५–७६
३५४०	पूर्व पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति	५६७६
३५४१	कलिंगा इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	५६७६–७७
३५४२	कलिंगा इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	५६७७
३५४३	कागज़ बनाने की मशीनें	५६७७–७८
३५४४	रुई का मूल्य	५६७८
३५४५	दक्षिण अफ्रीका में भारतीय	५६७८–७९
३५४६	अगरतला (त्रिपुरा) में औद्योगिक बस्ती में हड़ताल	५६७९
३५४७	'वेस्पा' स्कूटर	५६७९–८०
३५४८	लोकमान्य तिलक स्मारक	५६८०
३५४९	जासूसी कार्यवाहियों में अन्तर्ग्रस्त वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के कर्मचारी	५६८०–८१
३५५०	रबड़ के पौधों के पुनःरोपण के लिये राजकीय सहायता	५६८१
३५५१	रबड़ बोर्ड के में वेतन-क्रम	५६८१
३५५२	आकाशवाणी, दिल्ली, में सब-एडीटर तथा एनाउन्सर	५६८२
३५५३	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	५६८२
३५५४	आयात लाइसेन्स	५६८३
३५५५	तृतीय पंचवर्षीय योजना में कपड़े का उत्पादन	५६८३
३५५६	पटसन मिलों के लिये विशेष प्रकार के करघे	५६८३
३५५७	जापानी वस्तुओं का आयात	५६८४
३५५८	फिनलैण्ड को निर्यात	५६८४
३५६०	सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों में दुकानें	५६८४–८५
३५६१	पुनर्वास मन्त्रालय में छटनी	५६८५–८६
३५६२	कोठागुदाम में उर्वरक फैक्टरी	५६८६
३५६३	उड़ीसा के लिये सीमेन्ट	५६८६–८७
३५६४	बाली किला विस्फोट के सम्बन्ध में रिपोर्ट	५६८७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३५६५ इटली को आर्थिक मिशन . ५६८७

३५६६ दिल्ली में दशमिक बाट तथा माप ५६८८

३५६७ उत्तर प्रदेश में राल उद्योग ५६८८–८९

३५६८ उत्तर प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां ५६८९

३५६९ नेफा में सड़कें . ५६८९–९०

३५७० पंजाब में विस्थापित व्यक्तियों के पास अतिरिक्त भूमि ५६९०–९१

३५७१ पुनर्वास मन्त्रालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी ५६९१

सभापटल पर रखे गये पत्र ५६९२

(१) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक एक प्रति :

(एक) दिनांक १ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४६० में प्रकाशित विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) चतुर्थ संशोधन नियम, १९६१।

(दो) दिनांक ८ अप्रैल, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४९२ में प्रकाशित विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) पांचवां संशोधन नियम, १९६१।

(२) सहकारिता प्रशिक्षण सम्बन्धी अध्ययन दल का प्रतिवेदन (खंड १ और २) की एक प्रति।

राष्ट्रपति से सन्देश ५६९२

अध्यक्ष महोदय ने राष्ट्रपति से प्राप्त यह सन्देश लोक-सभा को सुनाया कि संविधान के अनुच्छेद १०८ के, खण्ड (१) द्वारा प्राप्त सत्ता के अनुसार दहेज निषेध विधेयक, १९५९ पर विचार करने और मतदान के प्रयोजन के लिए वह राज्य सभा और लोक-सभा की एक संयुक्त बैठक बुलाना चाहते हैं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित ५६९२

तिरासीवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

अनुदानों की मांगें . . . . . ५६९३—५७२९

विषय पृष्ठ

(१) वित्त मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई। सारे कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए और मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं।

(२) अणु-शक्ति विभाग, संसद्-कार्य विभाग, लोक-सभा, राज्य-सभा तथा उप-राष्ट्रपति के सचिवालय की मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं।

विधेयक—पुरःस्थापित ५७३०

विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६१

विधेयक—विचाराधीन . . . . . ५७३०—३३

वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) ने प्रस्ताव किया कि विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६१ पर विचार किया जाय। प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त नहीं हुई।

गुरूवार, २० अप्रैल, १९६१/३० चैत्र, १८८३ (शक) के लिए कार्यावलि .

विनियोग (संख्या २) विधेयक तथा वित्त विधेयक, १९६१ पर विचार तथा उनका पारित किया जाना।

———

GMGIPND—LSIII—535(Ai) LS—20-6-61—125.

अणु-शक्ति विभाग	५७२८
संसद्-कार्य विभाग . . .	५७२८–३०
श्री त० ब० विट्ठल राव	५७२८
श्री मोरारजी देसाई	५७२८
श्री सत्य नारायण सिंह .	५७२९
श्री प्रकाशवीर शास्त्री .	५७२९
वि नियोग (संख्या) २ विधेयक—पुरस्थापित . .	५७३०
वित्त विधेयक	
विचार करने के लिये प्रस्ताव . . .	५७३०–३३
श्री मोरारजी देसाई .	५७३०–३३
श्री अजित सिंह सरहदी	५७३३
दैनिक संक्षेपिका . .	५७३४–३८

PLS 41. LIV. 48 61.
125

© १९६१ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और नई दिल्ली स्थित भारत सरकार के मुद्रणालय की संसदीय शाखा में मुद्रित।